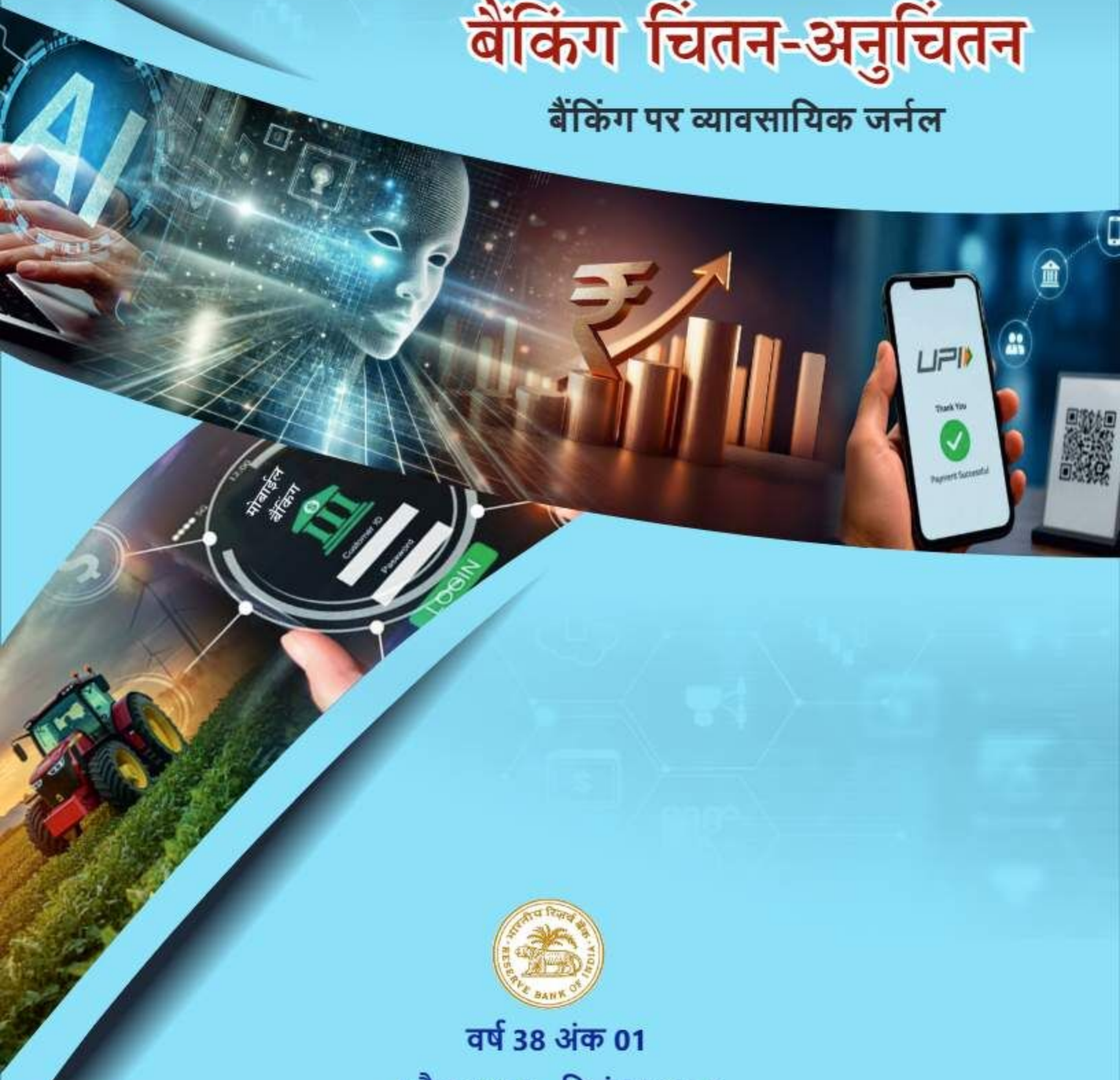
आईएसएसएन - 2457-015X

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल



वर्ष 38 अंक 01

अप्रैल 2026 - सितंबर 2026

सदस्य

Member

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषय सूची

संपादक मंडल 1

संरक्षक का संदेश 2

संपादकीय 3

भाषण

भारत के विकास और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका — श्री संजय मल्होत्रा 6

आलेख

- भारत में बैंकिंग धोखाधड़ी - एक अध्ययन — डॉ. अशोक कुमार साहू और सुबोध कुमार बाजपेई 10
- दृष्टिकोण - दृष्टिबाधितों के लिए बैंकनोटों की सुगम्यता — मारुत प्रकाश बेहेरा 15
- केंद्रीय बैंकिंग और संचार की बदलती भूमिका – भारतीय रिज़र्व बैंक के विशेष संदर्भ में — नीरज कुमार 20
- वित्तीय स्वर्ण नियम और भारतीय राज्य — बिचित्रानंद सेठ और कोवुरी आकाश यादव 24
- राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI) 2025–30 – विकसित भारत के लिए वित्तीय समावेशन 2.0 का नया रोडमैप — सुधीर कुमार झा 27
- बैंकिंग व्यवसाय और साइबर सुरक्षा की चुनौती — डॉ. संजय कुमार 33
- जलवायु जोखिम और सतत वित्त - वित्तीय प्रणाली की भूमिका और चुनौतियाँ — अपराजिता 38
- एआई - एक नीतिगत विश्लेषण - भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए रणनीतिक रोडमैप — रजनी कान्त 43
- साइबर सुरक्षा क्षेत्र की नई चुनौतियाँ और उनके समाधान — अश्वनी कुमार 51

स्थायी स्तंभ

रेग्युलेटर की नज़र से — अनामिका शर्मा 54

घूमता आईना

- राष्ट्रीय खंड — डॉ. निधि शर्मा 58
- अंतरराष्ट्रीय खंड — डॉ. आनंद उपाध्याय 63

श्री अरविंद कुमार चतुर्वेदी, महाप्रबंधक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी-9, आठवीं मंज़िल, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा राजेश प्रिंटरी, मुंबई से मुद्रित।
इंटरनेट - https://www.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध
ई-मेल - rajbhashaco@rbi.org.in फोन - 022-2657 2805

संरक्षक



राजेश कुमार मोरिया
मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

संपादक मंडल

अध्यक्ष



ब्रिज राज
मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

प्रबंध संपादक



अरविंद कुमार चतुर्वेदी
महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

कार्यकारी संपादक



नितीन देसाई
महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

सदस्य – संपादक मंडल



मनोज कुमार पोद्दार
महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक



अभिषेक कुमार
उप महाप्रबंधक एवं संकाय
भारतीय रिज़र्व बैंक



नबोनीता बसाक
सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक



दिवाकर झा
सहायक महाप्रबंधक एवं निदेशक
स्टेट बैंक ज्ञानार्जन एवं विकास संस्थान



राजीव जमुआर
सहायक महाप्रबंधक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई-400051
कॉरपोरेट ईमेल:- rajbhashaco@rbi.org.in

वरिष्ठ संपादक



बिजु एम वी
सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

उप संपादक



वंदना सिंह
सहायक प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो। इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

संरक्षक महोदय का संदेश



प्रिय पाठको

'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' के इस अंक के माध्यम से आप सभी तक पहुँचना मेरे लिए हर्ष और गौरव की बात है। यह पत्रिका केवल एक प्रकाशन नहीं, बल्कि बैंकिंग के ज्ञान-भंडार को सरल और सुबोध भाषा में साझा करने का एक सतत प्रयास है। आज के परिवर्तनशील वित्तीय परिदृश्य में इस प्रयास का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र इस समय एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ विकास और सावधानी — दोनों एक साथ अपेक्षित हैं। जोखिम प्रबंधन की परिपक्वता और अनुपालन संस्कृति अब केवल विनियामक अपेक्षा नहीं, बल्कि बैंक की प्रतिष्ठा का आधार बन चुकी हैं। बैंकिंग अब केवल निधि का लेन-देन नहीं, बल्कि ग्राहक-हित की रक्षा, न्यायसंगत वित्तपोषण, हरित वित्त, और मुद्रास्फीति-प्रबंधन में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। इसी चिंतन-मनन की आवश्यकता इस पत्रिका के शीर्षक में निहित है।

पिछले एक दशक में हमने वित्तीय समावेशन के मामले में काफी प्रगति की है। लेकिन वास्तविक समावेशन तभी सार्थक होगा जब बैंकिंग सुविधाएँ ग्राहक की भाषा, उसकी समझ और उसकी ज़रूरत के अनुसार हों; ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में सेवाएँ केवल उपलब्ध न हों, बल्कि प्रयुक्त भी हों; पात्र लाभार्थी को योजना का पूर्ण लाभ आसानी से मिले; वित्तीय साक्षरता एक बार की जागरूकता अभियान न रहकर निरंतर प्रक्रिया बने। इस दृष्टि से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में सरल ग्राहक-सामग्री, और सुलभ शिकायत-निवारण प्रणाली वित्तीय समावेशन का अभिन्न अंग हैं।

इसके अलावा तत्काल भुगतान और मोबाइल बैंकिंग ने समय, दूरी और कागज़ की बचत की है। परंतु इसके साथ धोखाधड़ी भी नए रूप में उभरी है — फ़िशिंग संदेश, नकली वेबसाइट और ऐप्स, झूठे कस्टमर केयर नंबर, 'कॉल सेंटर' आधारित ठगी, और छल से OTP/PIN प्राप्त करना इनमें प्रमुख हैं। इस संबंध में जागरूकता बहुत आवश्यक है।

नीतियाँ तब तक प्रभावी नहीं होतीं जब तक वे पढ़ने वाले को समझ न आएँ। तकनीकी अंग्रेज़ी शब्दावली के पीछे छिपी अवधारणाएँ जब सुबोध हिंदी में प्रस्तुत की जाती हैं, तो ज्ञान कुछ विशेषज्ञों तक सीमित रहने के बजाय पूरे संगठन और अंततः ग्राहकों तक पहुँचता है। 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का यही मूल ध्येय है।



अर्थव्यवस्था की प्रगति एकल संस्था का श्रेय नहीं। यह वित्तीय प्रणाली के सभी स्तंभों का साझा प्रयास है और सब मिलकर एक ऐसी प्रणाली बनाते हैं जिसमें अर्थव्यवस्था को गति मिले और नागरिकों को उच्च स्तर और सुरक्षित सुविधाएं मिलें।

मैं सभी लेखकों से आग्रह करता हूँ कि वे व्यावहारिक अनुभव, क्षेत्र-स्तरीय उदाहरण और समाधान-उन्मुख विश्लेषण पर अधिक बल दें। तकनीकी शब्दों के साथ उसका सरल हिंदी पर्याय अवश्य दें, ताकि सामग्री न केवल पढ़ी जाए, बल्कि काम आए।

पाठकों से अनुरोध है कि अपने अनुभव, प्रश्न और सुझाव पत्रिका के माध्यम से साझा करें। इस पत्रिका के माध्यम से ज्ञान साझा करने के लिए सभी लेखकों को हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएँ।

राजेश कुमार मोरिया
मुख्य महाप्रबंधक एवं संरक्षक





संपादकीय

प्रिय पाठको

चिंतन.....

यद्भावि तद्भवत्येव (होनी होय सो होय) ***अर्थात्***
जो होना है, वह होकर ही रहता है।

कुछ समय पहले जोखिम प्रबंध विभाग के वार्षिक सम्मेलन में अपने कार्यपालक निदेशक, जो राजभाषा के भी ईडी हैं, को सुनने का एक अवसर मिला। प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि मेरी समझ की राजभाषाई परतों को फोड़कर विचारों के कुछ अंकुर मुझमें भी फूटने लगे - भले ही अल्पकाल के लिए।

अपना संबोधन उन्होंने यह कह कर प्रारंभ किया कि पश्चिम एशिया संकट (ईरान युद्ध) प्रारंभ होने के बाद जोखिम प्रबंधन कई मानक बिखर गए हैं। युद्ध प्रारंभ होने के बाद के परिदृश्य में युद्ध पूर्व के आकलन और कार्य-पद्धतियां काम करती नहीं दिखाई दे रही हैं। जैसे तेल की कीमतें 70 से 75 $ के दायरे से सीधे 106 से 114 $ हो जाएं तो सामान्य जोखिम प्रबंधन 'मॉडल' ऐसी वृद्धि एवं इससे जुड़े स्फीतिकारी प्रभावों के लिए तैयार नहीं होता। इसमें भी दूसरे दौर (सेकंड राउंड) के मुद्रा-स्फीतीय प्रभाव ईंधन की कीमतों में वृद्धि के शुरुआती असर से भी कहीं अधिक जटिल होते हैं। यथा महंगाई बढ़ने पर अधिक मजदूरी की मांग....मजदूरी बढ़ने से वस्तुओं/सेवाओं की कीमत में वृद्धि जिसके चलते और महंगाई ..इस प्रकार चक्र का आगे बढ़ना मुद्रास्फीति को जटिलतर बनाता चला जाता है।

उल्लेखनीय है कि 2026 की शुरुआत को सुखद दौर (गोल्डीलॉक्स पीरियड) माना जा रहा था। ऐसे दुर्लभ सुखद दौर की बातें हो रही थी जिसकी मुख्य विशेषता होगी मुद्रा स्फीति में गिरावट और केंद्रीय बैंक द्वारा दरों में कटौती। रूस-यूक्रेन युद्ध के बावजूद हम वैश्विक व्यापार और आपूर्ति मार्गों व शृंखलाओं को लेकर किसी बड़े जोखिम को नहीं देख पा रहे थे और फलतः उसका कोई विशेष प्रबंधन जरूरी नहीं समझा गया। परंतु होर्मुज के प्रभावित होने से जहाजों के यातायात में तो भारी कमी आई ही; साथ ही, इससे जुड़े बीमा प्रीमियम, भंडारण तथा जहाजों के 'मॉडल" और निर्माण पर भी असर पड़ने लगा। ये सब देखकर जोखिम प्रबंधन हेतु नए वैकल्पिक मॉडलों की तलाश होने लगी। ऐसे समाचार सुनने में आए कि 1) उड़ाने रद्द होने से बांग्लादेश एयरपोर्ट पर कपड़ों का ढेर लग रहा है, 2) पेट्रोकेमिकल से बनने वाले ट्रैकसूट जैसे कपड़े महंगे हो सकते हैं, 3) ब्राजील की चीनी मीलें ज्यादा मुनाफे के लिए बायोफ्यूल की ओर मुड़ सकती हैं जिसके चलते गन्ने से बनने वाली चीनी महंगी हो सकती है; साथ ही दुनिया में 4) कहीं हाफ शर्ट (ताकि गर्मी ना लगे) के अधिक पहने जाने, कहीं कम नहाने और लिफ्टों के कम इस्तेमाल जैसी खबरें भी मिलीं। एलएनजी व पीएनजी की उपलब्धता पर पड़े दबाव से ऊर्जा के स्पॉट मार्केट में हलचल के साथ-साथ ऊर्जा के वैकल्पिक व नवीकरणीय स्रोतों के सहारे पारंपरिक ऊर्जा के संकट के प्रबंध कर लेने की व्यावहारिकता पर नए सिरे से चुनौती आ गई है। इतना ही नहीं ऊर्जा, खाद और व्यापार मार्ग में व्यवधान के कारण भारत जैसे उदीयमान बाजारों में वृद्धि दर की तेजी से जुड़े अनुमानों पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस होने लगी।

वस्तुतः पश्चिम एशिया संकट के कारण आर्थिक, बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र की कई धारणाएं बदल गई हैं जिससे वैश्विक स्थिरता की बात से हटकर स्थिति अब "बहु-संकट" (polycrisis) वाले परिदृश्य में बदल गई है। एक अस्थायी आपूर्ति आघात से आगे बढ़कर इसने लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा संकट का रूप ले लिया, जिसका असर वैश्विक मुद्रास्फीति, व्यापार और विकास के अनुमानों पर पड़ने लग रहा है। देखते हैं कुछ प्रमुख धारणाओं को जो अब बदल चुकी हैं या

ढह गई हैं और जोखिम प्रबंधन के कुछ **'मानकों'/ 'मॉडलों'** को जो नई परिस्थितियों में ठीक से काम नहीं कर रहे हैं (या बहुत ज़्यादा दबाव में हैं)। इनको देखकर हो सकता है कि जोखिम प्रबंधन एवं इसके **'मॉडल'** ही बेमानी लगने लगें।

1. मौद्रिक नीति को लेकर एक आम धारणा है - महँगाई में कमी तो दरों में कटौती। यह विश्वास कि 2026 में महंगाई कम होगी और सेंट्रल बैंक आक्रामक रूप से ब्याज दरें घटाएंगे (यानी "लंबे समय तक कम दरें" रहने का नज़रिया) गलत साबित हुआ। तेल पर "वॉर प्रीमियम" लग गया, और ब्रेंट क्रूड की कीमत $80–$100 होते हुए $113.43 – $117 प्रति बैरल पर आ गई। एनर्जी की कीमतों में इस उछाल से परिवहन व उत्पादन की लागत बढ़ रही है, जिससे अर्थशास्त्रियों को महंगाई के साथ-साथ धीमी विकास दर की आशंका सताने लगी है। केंद्रीय बैंकों को मजबूर होकर "लंबी अवधि तक ऊँची दरें"("higher for longer" rates) बनाए रखने वाले कदम उठाने पड़ रहे हैं। परिणामतः 'बॉन्ड जोखिम मॉडल'' द्वारा 'अवधि जोखिम (ड्यूरेशन रिस्क)' के मूल्यांकन में गलतियाँ हो रही हैं।

2. यह धारणा ढही कि कोविड महामारी के बाद वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ (ग्लोबल सप्लाई चेन्स) स्थिर हो गई हैं और वैश्विक व्यापार मार्ग सुरक्षित हैं। क्योंकि होर्मुज़ जलडमरूमध्य —जिससे दुनिया का 20–30% तेल/गैस गुज़रता है—पर मंडरा रहे खतरे की वजह से समुद्री व्यापार में गंभीर रुकावटें आ गईं और इसकी वजह से इंश्योरेंस प्रीमियम, शिपिंग लागत और कार्गो में देरी की समस्या बढ़ गई, जिससे "जस्ट इन-टाइम" मैन्युफैक्चरिंग 'मॉडल'' बाधित हुआ है और कच्चे माल की कमी हो गई है। आपूर्ति शृंखला जोखिम अंकन (सप्लाई चेन रिस्क मैपिंग) के 'मॉडल' प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) एक्सपोजर को देखते हैं जबकि असलियत में एक्सपोजर का एक बड़ा हिस्सा अप्रत्यक्ष (इनडायरेक्ट) और नेटवर्क आधारित होता है। विनिर्माण में ऊर्जा और रसायन की निर्भरताएँ छिपी हुई हैं। नतीजा यह कि जोखिम का संकेंद्रण (कॉन्सन्ट्रेशन) स्पष्ट दिखाई नहीं देता। 'पण्य जोखिम बचाव (कमोडिटी रिस्क हेजिंग) मॉडल' में आपूर्ति शृंखला के स्थिर होने का अनुमान लगाया जाता है जबकि भौतिक रुकावटों के कारण बचाव (हेज) का हिसाब गड़बड़ाता दिखा। पारंपरिक जोखिम 'मॉडल'' पीछे की ओर देखने वाले तथा बाज़ार के अतीत व रेखीय संबंध पर आधारित होते हैं लेकिन मौजूदा परिदृश्य में जोखिम भविष्योन्मुखी (भू-राजनीति), भौतिक (ऊर्जा मार्ग, युद्ध क्षेत्र) और अरेखीय हैं जिसमें चीजें एक के बाद एक घटित हो रही हैं जहाँ सम्मिलित प्रभाव एक और एक दो (2) न होकर ग्यारह (11) भी हो सकता है।

3. अर्थव्यवस्थाओं के विकास दर संबंधी अनुमान भी आशंकाओं में घिर गए। इसका एक बड़ा कारण ऊर्जा, ऊर्वरक और व्यापार में आई रुकावट से पैदा हुआ "कच्चे माल का संकट" है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र (मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर) को नुकसान पहुँच रहा है।

4. यह धारणा लड़खड़ाई कि खाड़ी देशों से आवक धन-प्रेषण (इनवर्ड रेमिटेंस) एक सुरक्षित और स्थिर स्रोत बना रहेगा। युद्ध के फैल जाने से लाखों प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया, हजारों लोग भारत लौट आए और रेमिटेंस के सहारे चलने वाले परिवारों तथा कारोबारों पर ग्रहण लग गया।

5. इस उम्मीद को चोट लगी कि उभरते बाज़ारों के शेयर, विकास की बेहतर संभावनाओं के कारण, स्थिर पूंजी प्रवाह को आकर्षित करेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष ने "रिस्क-ऑफ़" (जोखिम-विमुख) माहौल पैदा कर दिया और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने भारी मात्रा में फंड निकाल लिया। इस भारी बिकवाली के साथ-साथ तेल आयात का बिल बढ़ने से, डॉलर के मुकाबले कई देशों की मुद्राएं रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच गईं। निवेशकों के यकायक एक साथ बाहर निकल जाने से बोली-प्रस्तावित दर का दायरा (बिड आस्क स्प्रेड) बढ़ जाता है और क्रेडिट बाज़ार तेज़ी से थमने लग जाते हैं। पारंपरिक 'मॉडल' कहते हैं कि आस्ति वर्ग अलग-अलग हों तो जोखिम को एक जगह केंद्रित नहीं होने देते एवं डाइवर्सीफाइ करते हैं। तेल, मुद्रास्फीति और भू राजनैतिक भय के त्रिविध ताप के कारण ऐसे कई समीकरण सकते में हैं। प्रणालीगत जोखिम के प्रसार का अध्ययन करने वाले 'मॉडल' बैंकिंग से जुड़ने वाली कड़ियों (लिंकेज) पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जबकि नये भू-राजनीतिक परिदृश्य में बाज़ार में घबराहट के बीच एक साथ बिकवाली होने का

नतीजा यह है कि अलग-अलग बाज़ारों में जोखिम का प्रसार उससे कहीं तेज हुआ जिसकी उम्मीद कोई 'मॉडल' व्यक्त कर पाता।

अध्येताओं के एक वर्ग का कहना है कि संस्थाओं ने 2008 के वित्तीय संकट एवं कोविड जैसे अन्य परिदृश्यों को सिमुलेट करते हुए दबाव परीक्षण (स्ट्रेस टेस्टिंग) तो किया होगा पर शायद युद्ध + ऊर्जा + आपूर्ति शृंखला + महँगाई के संयुक्त प्रहार को ठीक से नहीं आँका गया विशेषत - स्ट्रेस टेस्ट के संभवत - किसी भी मॉडल में होर्मुज़ जलडमरूमध्य के बंद होने और तेल की आपूर्ति में 30% तक की रुकावट को नहीं शामिल किया गया होगा।

अनुचिंतन.....

तिकड़ी (ट्राइफैक्टा)

उपर्युक्त विश्लेषण से यह प्रतीत होगा कि जो होना है सो होगा। अधिक योजना बनाने अथवा प्रबंधन से भावी को या अनिश्चितताओं को रोक नहीं सकते। लेकिन परिस्थितियाँ आपात स्वरूप की हों तो कदम भी असामान्य उठाने ही पड़ते हैं। मध्य-पूर्व संकट ने सरकारों को अपना ध्यान विकासोन्मुख नीतियों से हटाकर आर्थिक जोखिमों से निपटने पर केंद्रित करने के लिए विवश कर दिया—जैसे कि ईंधन की राशनिंग करना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु ऊर्जा कंपनियों को सब्सिडी देना। हालिया घटनाक्रम ने जोखिम प्रबंधन को बेमानी नहीं बनाया है, बल्कि पारंपरिक बैंकिंग और वित्त जोखिम ढाँचों में मौजूद सीमाओं ("विफलता बिंदुओं") को उजागर किया है। कई मानक/मॉडल अपर्याप्त साबित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें सामान्य अस्थिरता के लिए डिज़ाइन किया गया था—न कि बहु-स्तरीय भू-राजनीतिक आघातों, ऊर्जा व्यवधानों और आपूर्ति-शृंखला में आई रुकावटों के लिए।

गत तीन दशकों को देखें तो विभिन्न कारण से अस्थिरताओं के दौर मिलेंगे। बल्कि जैसा कि हमारे पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था, विगत पाँच वर्षों में ही दो "ब्लैक स्वान" घटनाएं – कोविड और रूस-युक्रेन युद्ध – घटित हो चुकी हैं। यानी हम सहमत होंगे कि जोखिम एवं अप्रत्याशित घटनाचक्र भविष्योन्मुखी जोखिम प्रबंधन और तैयारी की आवश्यकता को रेखांकित ही करते हैं। जैसा कि कार्यपालक निदेशक महोदय ने कहा कि हम एक अनिश्चित दौर में हैं तथा हमारे हाथ में यही है कि प्रभावी जोखिम प्रबंधन हम कैसे करें।

जोखिम प्रबंधन में अनुमान की एक बड़ी भूमिका होती है। कहते हैं कि आपका अनुमान सही निकला तो आप बड़े अर्थशास्त्री। घोड़ों की रेस या बड़े खेलों में सट्टा या अनुमान लगाया जाता है। इसमें भी ट्राइफेक्टा (Trifecta) घुड़दौड़ की ऐसी बेटिंग है जिसमें आपको केवल पहले का नहीं बल्कि दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले घोड़ों का भी सटीक क्रम में सही अंदाज़ा लगाना होता है। बेटिंग से बाहर आम तौर पर इसका प्रयोग तीन वांछनीय पक्षों या चीज़ों के सही क्रम के लिए किया जाता है। इसमें अपेक्षित सटीकता के कारण प्राय: तीन सफलताओं के एक साथ घटित होने के दुर्लभ संयोग को व्यक्त करने के लिए उपमा/रूपक के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। उपर्युक्त सम्मेलन का एक प्रमुख विचार यह था कि मॉडलों या ढाँचों के होने न होने से कहीं बड़ी चुनौती है हमारे कार्यों और निर्णय-प्रक्रिया में जोखिम प्रबंधन का शामिल होना।

बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए हमें तीन पक्षों पर कार्य करना होगा – (I) पहला पक्ष, रिस्क की बेहतर पहचान और रिपोर्टिंग, II) ऐसी प्रणाली विकसित करना जिससे जोखिम घटनाओं (रिस्क इंसिडेंट्स) की लगभग वास्तविक समय में जानकारी हो जाए व जानकारी का प्रसार हो तथा (III) संरचनागत शमन (स्ट्रक्चर्ड मिटिगेशन)। इस प्रकार पद्धति एवं कार्यशैली की तिकड़ी (ट्राइफैक्टा) को अपनाकर हम अग्रसक्रिय और बेहतर जोखिम प्रबंधन की ओर बढ़ सकते हैं।

'चिंतन-अनुचिंतन' के लिए हमें पहले से कहीं बड़ी संख्या में आलेख प्राप्त हो रहे हैं। हमारे लिए यह प्रसन्नता और चुनौती दोनों है। हो सकता है सबको स्थान न मिल पाए। कुछ को संक्षिप्त करना पड़े। हमारा अनुरोध होगा कि आलेखों को विषय पर केंद्रित रखें और बहुत बड़ा न होने दें। बारंबार एक ही विषय (जैसे साइबर अपराध) न लें। आँकड़े आधिकारिक स्रोतों से एवं अद्यतन हों। भाषा को अनुवाद की छाया से दूर रखें। आइए हम सब मिलकर इस पत्रिका के स्तर को बनाए रखने और आगे ले जाने में योगदान दें।

इस अंक पर आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा एवं शुभकामनाओं सहित।

अरविंद कुमार चतुर्वेदी
महाप्रबंधक एवं प्रबंध संपादक

भारत के विकास और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका*



- **श्री संजय मल्होत्रा,** *गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक*

सुप्रभात।

मुझे आपके साथ अपने विचार साझा करने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात रखता हूं। आप जैसे प्रतिभाशाली लोगों के बीच यहां उपस्थित होना वास्तव में खुशी की बात है।

मुझे 2008-09 में यहां बिताए गए 11 महीने याद हैं: एंटी-ट्रस्ट इकोनॉमिक्स पर बॉब विलिग के पाठ्यक्रमों के साथ अर्थशास्त्र की मूल बातें (भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें), एंगस डीटन, एलन ब्लाइंडर (जिन्होंने सोचा था कि मौद्रिक नीति और संचार पर उनकी सीख आगे चलकर बहुत काम आएंगी!) और ग्रॉसमैन, छोटे और एकजुट एमपीपी बैच के जीवंत सौहार्द तक, पतझड़ और वसंत में खूबसूरत ग्रामीण इलाकों में परिवार की सैर, और प्रिंसटन-हार्वर्ड फुटबॉल प्रतिद्वंद्विता, सभी स्मृति में स्पष्ट रूप से अंकित हैं।

पिछले एक दशक में भारत की कितनी बड़ी विकास गाथा रही है, उससे आप सभी परिचित हैं। हम औसतन 6.1% प्रति वर्ष की दर से बढ़े हैं,[1] जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.2% की वृद्धि हुई है और चीन जैसे हमारे निकटतम समकक्षों में 5.6% और इंडोनेशिया में 4.2% की वृद्धि हुई है।[2] मैं विकास के मुख्य चालकों - उपभोग, निवेश, सेवाओं आदि पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं उन सक्षमकर्ताओं के बारे में बात करूंगा जो पृष्ठभूमि में काम करते हैं जो मुख्य कारकों के लिए एक सुविधाजनक वातावरण बनाते हैं।

मैं इस सुविधाजनक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदान करने में आरबीआई की भूमिका के बारे में बात करूंगा। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि कई केंद्रीय बैंकों के विपरीत, आरबीआई, एक पूर्ण-विकसित, पूर्ण-सेवा प्रदाता केंद्रीय बैंक है, जिसके पास मौद्रिक नीति, मुद्रा प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण से लेकर विविध जिम्मेदारियां हैं। बैंकों के बैंक होने के अलावा, यह केंद्र और राज्य सरकारों का बैंक एवं ऋण प्रबंधक है। इसके अलावा, आरबीआई की भी विकासात्मक भूमिका है। हालांकि, मैं रिज़र्व बैंक के मुख्य कार्यों पर संक्षेप में बात करूंगा, जो परिवारों, व्यवसायों और सरकारों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हैं।

I. मूल्य स्थिरता

पहला मूल्य स्थिरता है। यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसका पालन सभी केंद्रीय बैंक करते हैं – ऐसा न केवल इसलिए कि मुद्रास्फीति एक प्रतिगामी कर है, जो सबसे गरीब को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है, बल्कि इसलिए भी कि व्यवसायों और परिवारों के लिए आत्मविश्वास से योजना बनाने और निवेश करने के लिए मूल्य स्थिरता महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देशों के विपरीत, जिनके पास स्पष्ट दोहरा अधिदेश है और न्यूजीलैंड जैसे अन्य देश, जिनके पास स्पष्ट रूप से एकल अधिदेश है, हमारे पास विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक अधिदेश के रूप में मूल्य स्थिरता है।

हमने 2016 में औपचारिक रूप से इस अधिदेश को अपनाया। हमारे पास एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग (एफआईटी) फ्रेमवर्क है। यह लचीला है क्योंकि, जबकि हमारे पास एक पॉइंट टार्गेट (4%) है, जिसमें दोनों तरफ 2% का एक बैंड है। आंतरिक और साथ ही बाहरी, सीपीआई बास्केट में भोजन और ईंधन (आपूर्ति पक्ष कारक) की बड़ी भारिता को देखते हुए, लक्ष्य के चारों ओर अपेक्षाकृत व्यापक आघात सहनीयता बैंड हमें आपूर्ति के आघातों को नेविगेट करने देता है।

हम मौद्रिक नीति का संचालन कैसे करते हैं, विशेष रूप से इस तरह की उच्च अनिश्चितता पैदा करने वाली वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में? मुझे याद आ रहा है कि एलन ग्रीनस्पैन ने एक बार कहा था कि अनिश्चितता केवल मौद्रिक नीति परिदृश्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है; अपितु यह एक पारिभाषिक विशेषता है। दूसरे शब्दों में, केंद्रीय बैंकिंग में, आपके पास जो एकमात्र निश्चितता है - वह अनिश्चितता है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि कम अनिश्चितता और अस्थिरता के समय में भी, अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति संचरण जटिल और निरंतर

---

* 18 अप्रैल 2026 को प्रिंसटन विश्वविद्यालय, यूएसए में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा का संबोधन

[1] राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के आधार पर 2015-16 से 2024-25 की अवधि से संबंधित है

[2] आईएमएफ डेटा के आधार पर 2016-2025 की अवधि से संबंधित है

परिवर्तनशील रहते हैं। वर्षों से अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न समष्टि आर्थिक चर और निर्मित मॉडल के बीच संबंधों को समझने की कोशिश की है। हालांकि, हर मॉडल, चाहे वह कितना भी विस्तृत हो या वैचारिक और अनुभवजन्य रूप से कितनी भी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया हो, वह हमारे द्वारा दैनिक आधार पर अनुभव किए गए सभी पेचीदगियों के साथ दुनिया का एक बेहद सरलीकृत प्रतिनिधित्व है। उदाहरण के लिए, फिलिप्स वक्र का स्लोप या ब्याज की प्राकृतिक दर अनिश्चित है। यह अपने आप में नीति निर्माण में अनिश्चितता का परिचय देता है। डेटा को लेकर भी अनिश्चितता है। अनिश्चितता के साथ-साथ, जहां हम किसी परिणाम की संभावना की भविष्यवाणी करने में असमर्थ हैं, हमारे पास अब अप्रत्याशितता भी है, जहां परिणामों की भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती है। इससे मौद्रिक नीति बनाना और भी कठिन हो जाता है।

चूंकि, अनिश्चितता मौद्रिक नीति के लिए प्रमुख मद है, इसलिए हमारे नीति-निर्माण के व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं बदलते हैं। यह केवल उनका प्रयोग है, जो बदलता है।

पहला सिद्धांत **इष्टतमता की तुलना में सुदृढ़ता को प्राथमिकता देना है**। इसमें जोखिम प्रबंधन शामिल है। हम अनिश्चितताओं से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी संभावनाओं का आकलन करते हैं, उनके प्रभाव को मापते हैं और फिर एक ऐसी नीति तैयार करते हैं जो मूल्य स्थिरता और विकास के सर्वोत्तम नीतिगत परिणामों को बेहतर बनाती है।

इसके अतिरिक्त ध्यान में रखा जाने वाला एक अन्य सिद्धांत है **ब्रेनार्ड का क्षीणन का सिद्धांत**। यदि केंद्रीय बैंक अपने साधनों में परिवर्तन के प्रभाव के परिमाण के बारे में अनिश्चित है, तो उसे निश्चित परिणाम की तुलना में उस साधन को कम बदलना चाहेगा। दूसरे शब्दों में, यह क्रमिकता की नीति है। हालांकि, इस नियम के अपवाद हैं जैसा कि मुद्रास्फीति की दृढ़ता के मामले में होता है।

ब्रेनार्ड के सिद्धांत का एक परिणाम है। यदि ब्रेनार्ड सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय बैंक अनिश्चितता के दौरान प्रतिक्रिया नहीं करते हैं या धीरे-धीरे प्रतिक्रिया करते हैं, तो मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को प्रबंधित करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए, **मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को स्थिर करना** आवश्यक हो जाता है, जो एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसे हम भविष्य के लिए गाइडेंस प्रदान करने सहित विभिन्न साधनों के माध्यम से प्राप्त करते हैं।

हमारा चौथा मार्गदर्शी सिद्धांत पारदर्शिता है, जो पूर्वानुमेयता और विश्वसनीयता प्रदान करता है, और इस तरह प्रभावशीलता को बढ़ाता है। यह आर्थिक एजेंटों के मन से अनिश्चितता को भी दूर करता है।

अंत में, केंद्रीय बैंक की रणनीति और नीतिगत निर्णयों का स्पष्ट संचार, मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली आधार है। यह दृष्टिकोण की स्पष्टता लाता है और इस प्रकार पारदर्शिता को बेहतर बनाने और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को स्थिर करने में मदद करता है।

वर्तमान संकट की बात करें तो यह हमें विशेष रूप से प्रभावित करता है क्योंकि पश्चिम एशिया हमारे निर्यात का लगभग छठा हिस्सा, हमारे आयात का पांचवां हिस्सा, कच्चे तेल के आयात का आधा, हमारे उर्वरकों के आयात का दो-पांचवां हिस्सा और हमारे आवक विप्रेषण का लगभग दो-पांचवां हिस्सा रखता है। इस तरह की आपूर्ति के आघातों के लिए उचित मौद्रिक नीति प्रतिक्रिया पहले दौर के प्रभाव को इस हद तक देखना है कि यह दूसरे दौर की गतिशीलता को प्रभावित नहीं करता हो। दूसरे दौर के प्रभाव वास्तविक चिंता का विषय हैं। यदि आपूर्ति शृंखला में व्यवधान लंबे समय तक जारी रहता है तो वे अमल में लाए जा सकते हैं। फिर, आपूर्ति के आघातों के रूप में जो शुरू हुआ वह सामान्य मूल्य स्तर में अंतर्निहित हो सकता है। ऐसे में मौद्रिक नीति की प्राथमिक भूमिका कुंद मांग संपीड़न के बजाय मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं पर इसके प्रभाव के माध्यम से इस अवरोध को रोकना है।

इसके अलावा, इस तरह के अनिश्चित समय में, **चुस्त और फुर्तीला होना, व्यापक नीतिगत रुख बनाए रखना** और नीति के भविष्य के मार्ग की दृढ़ प्रतिबद्धताएं बनाने से बचना महत्वपूर्ण है। ऐसी परिस्थितियों में, हमारा व्यापक दृष्टिकोण और भी अधिक डेटा पर निर्भर होना और जोखिमों के संतुलन का लगातार पुनर्मूल्यांकन करना रहा है। इसलिए हम अब वेट एंड वॉच मोड में हैं। इसके अलावा, हम पिछले कुछ नीतिगत समीक्षाओं से तटस्थ रुख बनाए हुए हैं। यह मुद्रास्फीति-वृद्धि की गतिशीलता के विकसित होने पर प्रतिक्रिया करने के लिए लचीलेपन को संरक्षित करता है।

महामारी से लेकर यूक्रेन युद्ध तक लगातार आघातों से निपटने में एफआईटी के साथ हमारा एक दशक का अनुभव बताता है कि यह हमारे लिए काफी फायदेमंद रहा है।

जब से हमने एफआईटी को अपनाया है, हमारी औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति 4.7% (सितंबर 2016 से दिसंबर 2025) तक गिर गई है, जो पिछले वर्षों (अप्रैल 2012 से अगस्त 2016) में 7.4% से कम है।

इसके अलावा, हेडलाइन मुद्रास्फीति की अस्थिरता उसी अवधि में 2.4% से 1.7% तक कम हो गई।

मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएँ बेहतर रूप से सुदृढ़ और कम अस्थिर हैं।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में भी, एफआईटी ढांचा सफल रहा है। 2006-2015 के दौरान एई और ईएमडीई दोनों के बीच उच्चतम औसत मुद्रास्फीति से, भारत में मुद्रास्फीति पिछले दशक के दौरान ईएमडीई के औसत से नीचे आ गई है।

यह उल्लेख करना भी उचित है कि कोविड और यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के बाद, भारत में मुद्रास्फीति कई उन्नत

देशों की तुलना में तेजी से लक्षित हो गई।

मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने में राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय की भूमिका

यद्यपि हम मूल्य स्थिरता में सुधार के लिए मौद्रिक नीति और लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को श्रेय देते हैं, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस संबंध में राजकोषीय नीति की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। यह विशेष रूप से हमारे जैसे देश में है, जहां आपूर्ति पक्ष के कारक मुद्रास्फीति में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं।

सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कीमतों के दबाव को रोकने के लिए आपूर्ति पक्ष के उपायों के साथ मौद्रिक नीति कार्रवाइयों को जोड़ा है। पहला, सरकार ने कृषि में सुदृढ़ता स्थापित करने और बरसाती तथा फसल रोगों की अनिश्चितताओं से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को कम करने को प्राथमिकता दी है। यह सिंचाई के तहत अधिक भूमि, बेहतर बीज; फसल प्रबंधन और कटाई के बाद की प्रथाओं को शामिल करके प्राप्त किया गया है। दूसरा, सरकार ने कीमतों के दबाव के समय में उपयोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के लिए खुदरा वितरण नेटवर्क बनाने के अलावा, भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। तीसरा, इसने ईंधन की कीमतों की अस्थिरता को कम करने के लिए तेल पर उत्पाद शुल्क का उपयोग एक साधन के रूप में किया है।

मौजूदा संकट के दौरान तेल और गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। आयात के स्रोतों में विविधता लाई जा रही है। हालांकि तेल की कोई कमी नहीं है, हमारे द्वारा बनाए गए भंडार को देखते हुए, औद्योगिक प्रयोजनों के लिए गैस की कुछ राशनिंग की गई है। तेल विपणन कंपनियों और सरकार ने उपभोक्ताओं पर गैस पर कुछ मूल्य दबावों को डालते हुए तेल में मूल्य दबावों को अवशोषित कर लिया है।

इसके अलावा, हाल के वर्षों में कर संग्रह में बढ़ी हुई दक्षता और व्यय की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से राजकोषीय सुदृढ़ीकरण में लगातार प्रगति हुई है।

राजस्व पक्ष पर, जीएसटी को अपनाने और डिजिटलीकरण, सरलीकरण, युक्तिकरण और कर मूल्यांकन तथा संग्रह में मानव इंटरफ़ेस को कम करने सहित आयकर में व्यापक सुधारों ने कर वृद्धि में सुधार करने में मदद की है।[3] 2018-19 से 2025-26 तक जीएसटी के बाद आठ साल की अवधि में सकल जीएसटी वृद्धि (केंद्र और राज्य राजस्व) 1.23 है। कॉरपोरेट कर की दर कम होने और व्यक्तिगत आयकर में वृद्धि के बाद से कॉरपोरेट कर में वृद्धि आम तौर पर एक से अधिक रहा है और पिछले पांच वर्षों में व्यक्तिगत आयकर में वृद्धि औसतन 1.7 रहा है।

व्यय पक्ष पर भी, सरकारी खर्च को बेहतर लक्षित किया जाता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जिससे लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर (मार्च 2024 तक)[4] की बचत होने का अनुमान है; सार्वजनिक वितरण योजना जैसे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का डिजिटलीकरण; और राज्य सरकारों को निधियों का समय पर प्रवाह व्यय दक्षता बढ़ाने के कुछ उदाहरण हैं। महामारी के प्रति इसका दृष्टिकोण एक उदाहरण है। फ्रंट-लोडिंग प्रोत्साहन पैकेजों के बजाय, जैसा कि अधिकांश देशों ने किया था, भारत ने समाज के कमजोर वर्गों और छोटी फर्मों का समर्थन करने के लिए एक लोचनीय और चुस्त दृष्टिकोण अपनाया।

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 2021-22 में 13.6% से घटकर 2025-26 (आरई) में 10.8% हो गया। इसके विपरीत, पूंजीगत व्यय में भारी वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2019-20 में 1.7% से बढ़कर 2025-26 (आरई) में 3.1% हो गया है। राज्यों को सहायता में पूंजीगत अनुदान को शामिल करते हुए, यह बढ़कर 3.9% (आरई) हो गया है।

केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा और जीडीपी अनुपात 2020-21 में 9.2% से घटकर 2025-26 (आरई) में 4.4% हो गया है। भारत का सामान्य सरकारी ऋण जीडीपी अनुपात 81.1% (2024-25 में) उचित है, जर्मनी और रूस[5] के अलावा दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाएं (यूएसडी में नाममात्र जीडीपी के संदर्भ में) में भारत की तुलना में अधिक ऋण अनुपात है।

II. वित्तीय स्थिरता

अब मैं वित्तीय स्थिरता पर आता हूं। यह वह आधार है जिस पर अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है और स्थायी रूप से बढ़ती है।

वित्तीय स्थिरता से जुड़ा हमारा निहितार्थ हमारे व्यापक नियामक ढांचे में विधिवत परिलक्षित होता है। हम दीर्घकालिक विकास के लिए कुछ अल्पकालिक लाभ का त्याग करने के लिए तैयार हैं। जबकि कुछ लोग इसे रूढ़िवाद के रूप में मानते हैं, हम मानते हैं कि यह विवेकपूर्ण है। यह विभिन्न संकटों पर हमारी समुत्थानशीलता के रुख से स्पष्ट है। मैं इसे कुछ उदाहरणों के साथ उजागर करूंगा।

जब 1997-98 में एशियाई वित्तीय संकट इस क्षेत्र में फैल गया, तो इसने उन मुद्राओं और अर्थव्यवस्थाओं को नीचे ला दिया, जो केवल महीनों पहले निर्यात के नेतृत्व वाले विकास के मॉडल के रूप में आयोजित की गई थीं। भारत ने तुलनात्मक स्थिरता की स्थिति से देखा और कारण आकस्मिक नहीं थे।

आरबीआई ने पूंजी खाते पर नियंत्रण बनाए रखा था, विशेष रूप से निवासियों के लिए। अल्पकालिक विदेशी ऋण को विदेशी मुद्रा भंडार से काफी नीचे के स्तर पर बनाए रखा गया था, जो आसानी से कवर

[3] कर वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत परिवर्तन के सापेक्ष कर राजस्व में % परिवर्तन के अनुपात के रूप में मापा जाता है

[4] https:dbtbharat.gov.in/static-page-content/spagecont?id=18

[5] आईएमएफ राजकोषीय मॉनिटर, अप्रैल 2026

कर सकता था। इसने उस तरह के अल्पकालिक विदेशी मुद्रा उधार की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिससे हमारे क्षेत्रीय पड़ोसियों को अचानक इस भावना का सामना करना पड़ा। जब विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, तो आरबीआई ने कार्रवाई की - लेकिन इसने किसी ऐसी व्यवस्था को नहीं अपनाया जिसका बचाव करना मुश्किल हो। भारत का चालू खाता घाटा प्रबंधनीय था और विदेशी मुद्रा का जोखिम बना हुआ था। सबक यह है कि भारत के विकास के चरण में एक देश के लिए, पूंजी खाता उदारीकरण का अनुक्रमण कोई तकनीकी नहीं है – यह समष्टि आर्थिक संप्रभुता का पहला प्रश्न है।

यदि एशियाई संकट ने बाहरी अनुशासन के महत्व को प्रदर्शित किया, तो 2007-08 के सबप्राइम संकट ने आंतरिक अनुशासन बनाए रखने के महत्व को दर्शाया। वैश्विक वित्तीय प्रणाली 2000 के दशक के मध्य में अधिक विस्तृत और जटिल वित्तीय संरचना विकसित कर रही थी, आरबीआई कुछ ऐसा कर रहा था जो प्रचलित मानकों द्वारा अलोकप्रिय लग रहा था। जब 2002 में, ब्याज दरें गिर रही थीं और बैंकों के पास उलटफेर की उम्मीद करने का कोई कारण नहीं था, तो आरबीआई ने उनसे ठीक उसी स्थिति के खिलाफ निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व नामक एक काउंटर-साइक्लिकल बफर बनाने की मांग की। बाद में, वर्ष 2005-07 के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए जोखिम भार और प्रावधान संबंधी अपेक्षाएं बढ़ाई गई थीं। प्रतिभूतिकरण पर, प्रतिभूतियों के जीवन पर लाभ की मान्यता को फैलाना आवश्यक था। इसके अलावा, उस समय के लेखांकन मानकों ने अवास्तविक लाभ की मान्यता की अनुमति नहीं दी थी।

इनमें से कोई भी उस समय विशेष रूप से लोकप्रिय नहीं था। लेकिन जब वैश्विक वित्तीय प्रणाली तनाव में आ गई, तो इन उपायों को महत्व मिला। भारतीय बैंक अपेक्षाकृत मजबूत बैलेंस शीट के साथ संकट से बाहर आए।

हम वित्तीय स्थिरता को महत्व देना जारी रखते हैं। पिछले दशक में कई उपाय किए गए हैं। 2015 में शुरू की गई परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016; वैश्विक मानकों के अनुरूप विवेकपूर्ण मानदंडों का संरेखण और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अभिशासन सुधार उनमें से कुछ हैं। इनके कारण, हमारी वित्तीय प्रणाली आज बहुत स्वस्थ और सुदृढ़ है, जिससे आर्थिक विकास का समर्थन होता है।

III. विकासात्मक भूमिका

मूल्य और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना अधिकांश केंद्रीय बैंकों के मुख्य दायित्व हैं लेकिन आरबीआई की भूमिका इन सीमाओं से परे है। हमारी विकासात्मक भूमिका बड़ी है।

आरबीआई ने वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने जन धन कार्यक्रम के लिए सरकार के साथ सहयोग किया, जिसे 2014 में मिशन मोड पर लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत आधार नामक डिजिटल पहचान और मोबाइल पहुँच का लाभ उठाते हुए, भारत ने पिछले दशक में मानव इतिहास में सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन अभियान चलाया। 570 मिलियन से अधिक बैंक खाते उन लोगों के लिए खोले गए जिनके पास कभी एक भी नहीं था। आज लगभग हर किसी के पास बैंक खाता है। इसने सरकारों से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सक्षम बनाया, जिसने बिचौलियों को दरकिनार कर दिया। इसने लीकेज को खत्म कर दिया। इस क्रांति ने लोगों को चुपचाप सशक्त बनाया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने UPI के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बिना किसी समानता के एक सफलता की कहानी है। आज, दुनिया के वास्तविक समय के डिजिटल भुगतान की मात्रा में भारत की हिस्सेदारी लगभग आधी है। यूपीआई ने इस साल मार्च में 22 बिलियन से अधिक लेनदेन किए। आरबीआई के विकासात्मक जनादेश, एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, व्यापक मोबाइल स्वामित्व और कम लागत वाली डेटा पहुंच के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी उपस्थिति ने भारत को डिजिटल भुगतान में छलांग लगाने में मदद की। हम पहले ही यूपीआई को 8 देशों में स्वीकृति के साथ वैश्विक स्तर पर ले चुके हैं और अब इसे यूरोपीय सेंट्रल बैंक के टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम (टिप्स) सहित कई और देशों से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं।

हम वर्तमान में उधारदाताओं को डेटा तक तत्काल डिजिटल पहुंच प्रदान करने के लिए यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) का निर्माण कर रहे हैं, जिससे उन्हें छोटे किसानों और व्यवसाय मालिकों के लिए मिनटों के भीतर क्रेडिट योग्यता का आकलन करने की अनुमति मिलती है जिनके पास पहले दिखाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं थे या उन्हें बैंक में काफी समय और प्रयास खर्च करना पड़ता था।

हम अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) के साथ सीमाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें सीमा पार भुगतान को तेज और सस्ता करने की क्षमता है। हम विशिष्ट उपयोगों और उद्देश्यों के लिए भुगतान को निर्देशित करने के लिए प्रोग्रामेबिलिटी का भी परीक्षण कर रहे हैं।

हमारा विकासात्मक जनादेश समावेशी विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य में मदद करता है।

IV. निष्कर्ष

अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन संयोग से नहीं है। यह मजबूत नीतिगत ढांचे के कारण है जिसे सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। यह मजबूत और विश्वसनीय संस्थानों के कारण है जिन्हें परिश्रमपूर्वक बनाया गया है। यह पिछले कुछ वर्षों में लगातार किए गए विभिन्न सुधारों के कारण है। यह स्थिरता और समावेशन की नींव पर टिका हुआ है।

इन शब्दों के साथ, मैं आप सभी को आपके धैर्यवान दर्शकों के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे प्रश्नों का उत्तर देने में खुशी होगी, यदि कोई हो। ●

भारत में बैंकिंग धोखाधड़ी - एक अध्ययन

सारांश

भारत में बैंकिंग धोखाधड़ी हाल के वर्षों में एक प्रमुख चिंता का विषय बन गई है, जिससे महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हुआ है और बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता प्रभावित हुई है। डिजिटल बैंकिंग के विस्तार, वित्तीय उत्पादों की जटिलता, और धोखाधड़ी करने वालों की बढ़ती दक्षता के कारण भारत के बैंकिंग क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह अध्ययन बैंकिंग धोखाधड़ी के विभिन्न प्रकारों, उनके कारणों, इन धोखाधड़ी के बैंकिंग प्रणाली पर प्रभाव, और धोखाधड़ी से निपटने के लिए वित्तीय संस्थानों और नियामकों द्वारा उठाए गए उपायों का विश्लेषण करता है। यह अध्ययन यह भी बताता है कि कैसे प्रौद्योगिकी ने बैंकिंग धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाया है और इसे रोकने में इसका योगदान क्या है।

1. प्रस्तावना

बैंकिंग धोखाधड़ी का तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह द्वारा वित्तीय संस्थानों को धोखा देने के लिए की गई किसी भी बेईमानी/ऐसी गतिविधि से है, जिससे व्यक्तिगत या सामूहिक लाभ प्राप्त किया जाता है। भारत में बैंकिंग धोखाधड़ी के बढ़ने का कारण विभिन्न कारक हैं, जिनमें प्रौद्योगिकी का तेज़ी से विकास, नियामक तंत्र की अपर्याप्तता और वित्तीय लेन-देन की बढ़ती संख्या शामिल हैं। भारत में अब बड़ी संख्या में लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर रहे हैं, जिससे धोखाधड़ी करने वालों को सिस्टम की कमजोरियों का लाभ उठाने के नए तरीके मिल गए हैं। इस लेख का उद्देश्य भारत में बैंकिंग धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना, इसके कारणों की पहचान करना और मौजूदा उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है।




डॉ. अशोक कुमार साहू, मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष (महाप्रबंधक) और सुबोध कुमार बाजपेई, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (सहायक प्रबंधक), आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

बैंकिंग धोखाधड़ी पर समीक्षा

डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते प्रभाव के साथ, साइबर क्राइम एक प्रमुख चिंता बन गई है। सिंह (2020) के अनुसार, फिशिंग, विसिंग (वॉयस फिशिंग) और हैकिंग धोखाधड़ी करने के सामान्य तरीके हैं। साइबर धोखाधड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफार्मों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। यह धोखाधड़ी प्लेटफार्मों की सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठाकर की जाती है, जिससे ग्राहकों के खातों तक अनधिकृत पहुंच बनाई जाती है।

मनी लॉन्ड्रिंग धोखाधड़ीपूर्ण बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ी हुई है, जिसमें अवैध धन को वित्तीय प्रणाली के माध्यम से वैध बनाने के लिए धोखाधड़ीपूर्ण लेन-देन किए जाते हैं। भारतीय वित्त मंत्रालय (2022) के अनुसार, **प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002** एक प्रमुख नियामक उपाय है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए तैयार किया गया है। इस एक्ट के तहत बैंक और वित्तीय संस्थानों को संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता होती है, जिससे धोखाधड़ी के इन मामलों की पहचान की जा सके।

धोखाधड़ी का आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण है, जैसा कि आरबीआई (2023) द्वारा किए गए अध्ययनों में दिखाया गया है। विशेष रूप से बड़े कॉरपोरेट ऋणों में धोखाधड़ी से भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। इन धोखाधड़ियों के कारण बैंकों को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है, जो आर्थिक स्थिरता के लिए खतरे की घंटी है।

2. भारत में बैंकिंग धोखाधड़ी के प्रकार

बैंकिंग धोखाधड़ी को कई श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ सामान्य प्रकार निम्नलिखित हैं:

i. **साइबर धोखाधड़ी**: बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के तेजी से डिजिटलीकरण के साथ साइबर धोखाधड़ी की प्रकृति और कार्यप्रणाली में भी व्यापक बदलाव आया है। इंटरनेट बैंकिंग के आने से साइबर धोखाधड़ी एक बड़ी चिंता बन गई है। धोखाधड़ी करने वाले लोग फ़िशिंग, विशिंग (वॉयस फ़िशिंग) और हैकिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं ताकि ग्राहकों के खातों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त की जा सके। ऑनलाइन

बैंकिंग धोखाधड़ी में धोखाधड़ी से धन हस्तांतरण, पहचान की चोरी, और डेटा उल्लंघन शामिल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी तकनीकों ने जहाँ बैंकिंग सेवाओं को अधिक कुशल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया है, वहीं साइबर अपराधियों को धोखाधड़ी के नए और अधिक परिष्कृत तरीके भी उपलब्ध कराए हैं। वर्तमान समय में साइबर अपराधी AI का उपयोग करके फर्जी ई-मेल, SMS, फोन कॉल, नकली वेबसाइट, डीपफेक वीडियो तथा आवाज की नकल तैयार कर ग्राहकों और बैंक कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं। इन तकनीकों के माध्यम से धोखाधड़ी को अधिक विश्वसनीय, व्यक्तिगत और बड़े पैमाने पर अंजाम देना संभव हो गया है। इस प्रकार,आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंकिंग क्षेत्र में दोहरी भूमिका निभा रहा है—एक ओर साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी की पहचान का प्रभावी साधन है, तो दूसरी ओर साइबर अपराधियों के लिए एक नया हथियार भी बन रहा है।

ii. **चेक धोखाधड़ी**: इसमें चेक उपकरणों का हेरफेर किया जाता है। धोखाधड़ी करने वाले लोग जाली या बदले हुए चेक का उपयोग करके खातों से बिना स्वीकृति के धन निकालते हैं। चेक काइटिंग और लाभार्थी विवरण का परिवर्तन सामान्य रणनीतियाँ हैं।

iii. **क्रेडिट और डेबिट कार्ड धोखाधड़ी**: इसमें क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर बिना स्वीकृति के लेन-देन किया जाता है। चुराए गए या क्लोन किए गए कार्ड का उपयोग धोखाधड़ी से खरीदारी करने या धन निकालने के लिए किया जाता है।

iv. **ऋण धोखाधड़ी**: धोखाधड़ी करने वाले लोग नकली दस्तावेजों या धोखाधड़ी के तरीकों का उपयोग करके वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करते हैं। इसमें आमतौर पर आय का अतिशयोक्तिकरण या जाली दस्तावेजों के माध्यम से ऋण स्वीकृति प्राप्त करना शामिल है।

v. **मनी लॉन्ड्रिंग**: बैंकों का अक्सर उपयोग अवैध धन को साफ करने के लिए किया जाता है। अपराध संगठनों और भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा धन को वैध बनाने के लिए बैंकों का उपयोग किया जाता है, जो नकली लेन-देन के माध्यम से किया जाता है।

vi. **एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स) धोखाधड़ी**: इसमें नकली खातों का निर्माण या ऋणों से धन का गबन किया जाता है। धोखाधड़ी करने वाले उधारकर्ता ऋण निधियों का व्यक्तिगत उपयोग करने के बाद बैंकों से ऋण की वसूली नहीं कर पाते हैं।

3. भारत में बैंकिंग धोखाधड़ी के कारण

भारत में बैंकिंग धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं:

i. **प्रौद्योगिकी का विकास**: डिजिटल बैंकिंग की ओर बदलाव ने धोखाधड़ी करने वालों के लिए नए रास्ते खोले हैं। ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल भुगतान, जो सुविधाजनक हैं, सुरक्षा की कमजोरियों के कारण धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं, जिसमें हैकिंग, फ़िशिंग और मालवेयर हमले शामिल हैं।

ii. **कमजोर आंतरिक नियंत्रण**: कई मामलों में, बैंकों के भीतर कमजोर आंतरिक नियंत्रण, जैसे कि अपर्याप्त निगरानी प्रणाली, कर्मचारियों का सही तरीके से प्रशिक्षण न होना, और सुरक्षा उपायों की कमी ने धोखाधड़ी की घटनाओं को बढ़ावा दिया है।

iii. **नियामक कमियां**: भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार द्वारा कई नियामक उपाय किए गए हैं, लेकिन इन उपायों का अनुपालन अक्सर अपर्याप्त होता है। सिस्टम में मौजूद खामियां और निगरानी की असंगति धोखाधड़ी करने वालों के लिए अवसर उत्पन्न करती हैं।

iv. **ग्राहक जागरूकता की कमी**: कई बैंक ग्राहक, विशेष रूप से वे जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के जोखिमों के बारे में अज्ञात हैं। फ़िशिंग हमलों को पहचानने, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करने और सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग प्रथाओं का पालन करने के बारे में जागरूकता की कमी उन्हें धोखाधड़ी करने वालों के आसान लक्ष्य बना देती है।

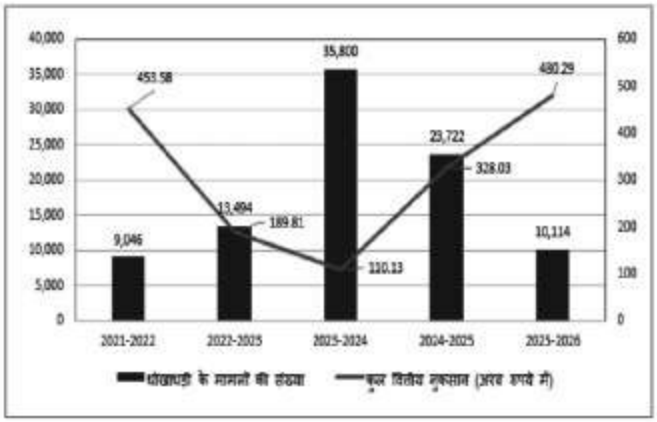
v. **मानव तत्व**: धोखाधड़ी करने वाली गतिविधियों में अक्सर बैंक के कर्मचारी या आंतरिक लोग शामिल होते हैं, जो अपनी स्थिति का गलत उपयोग करते हैं। ये कर्मचारी या तो लापरवाह होते हैं या धोखाधड़ी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, जो अक्सर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का कारण बनता है।

4. भारत में बैंक धोखाधड़ी का विश्लेषण

भारत में बैंक धोखाधड़ी के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। यह आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य वित्तीय नियामक संस्थाओं द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किए जाते हैं। नीचे दी गई तालिका वित्तीय वर्ष 2021 से 2026 तक के बैंक धोखाधड़ी के मामलों

की संख्या और संबंधित जानकारी का सारांश प्रस्तुत करती है:

पिछले 05 वर्षों में बैंक धोखाधड़ी की संख्या और बैंक धोखाधड़ी का मूल्य



स्रोत: आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2025-2026, 2024-2025, 2023-2024

वित्तीय वर्ष 2024-25 में धोखाधड़ी के मामलों की संख्या घटकर 23,722 हो गई, लेकिन वित्तीय हानि बढ़कर 328.03 अरब रुपये हो गई। वहीं, वर्ष 2025-26 में मामलों की संख्या में और कमी आई तथा यह 10,114 रह गई। इसके बावजूद, वित्तीय हानि बढ़कर 480.29 अरब रुपये हो गई, जो पिछले पाँच वर्षों में सर्वाधिक थी। आंकड़े यह दर्शाते हैं कि बैंक धोखाधड़ी के मामलों की संख्या और उनसे होने वाली वित्तीय हानि के बीच सीधा समानुपातिक संबंध नहीं है। विशेष रूप से, वर्ष 2025-26 में धोखाधड़ी के मामलों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद वित्तीय हानि सर्वाधिक रही। यह स्थिति इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि धोखाधड़ी के मामलों की संख्या के साथ-साथ प्रत्येक मामले में हुई वित्तीय हानि की मात्रा भी महत्त्वपूर्ण है। बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए केवल मामलों की संख्या कम करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों की पहचान, निगरानी और प्रभावी नियंत्रण पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

पाँच वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी से संबंधित वित्तीय जोखिम मुख्यतः अग्रिम एवं ऋण गतिविधियों में केंद्रित है। वर्ष 2025-26 में अग्रिम से संबंधित धोखाधड़ी की राशि 407.74 अरब रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई। इसके अतिरिक्त, 'अन्य' श्रेणी में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।

भारत में बैंक धोखाधड़ी का मूल्य धोखाधड़ी की श्रेणी के अनुसार (₹ अरब में)

परिचालन का क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
अग्रिम (Advances)	345.32	150.65	89.17	303.67	407.74
ऑफ-बैलेंस शीट	10.77	2.8	1.99	2.7	5.21
विदेशी मुद्रा लेन-देन	0.07	0.12	0.38	0.16	1.25
कार्ड/इंटरनेट/ डिजिटल भुगतान	1.55	2.77	14.52	5.17	0.29
जमा खाते (Deposits)	4.93	2.59	2.4	5.21	3.77
अंतर-शाखा खाते	0.02	0	0.1	0.26	0.72
नकद लेन-देन	0.93	1.59	0.78	0.39	0.35
चेक/डिमांड ड्राफ्ट आदि	1.58	0.25	0.42	0.74	0.14
क्लियरिंग खाते	0.01	0.03	0.02	0.02	0.11
अन्य	0.98	4.21	0.35	9.71	60.63

स्रोत: आरबीआई, भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति पर रिपोर्ट 2024-25, और आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

इससे स्पष्ट होता है कि बैंकिंग धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए ऋण स्वीकृति एवं निगरानी प्रणाली को मजबूत करने, आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में सुधार करने, संदिग्ध लेन-देन की समयबद्ध पहचान करने तथा डिजिटल एवं अन्य बैंकिंग गतिविधियों में प्रभावी जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

5. बैंकिंग धोखाधड़ी के परिणाम

बैंकिंग धोखाधड़ी के परिणाम कई पहलुओं में विस्तारित होते हैं और विभिन्न हितधारकों को प्रभावित करते हैं:

i. **वित्तीय नुकसान**: बैंक धोखाधड़ी का शिकार होकर भारी वित्तीय नुकसान उठाते हैं, जो सीधे तौर पर उनके लाभ में कमी का कारण बन सकता है। इसके परिणामस्वरूप, बैंकों की स्थिरता और क्षमता प्रभावित हो सकती है।

ii. **प्रतिष्ठा की हानि**: उच्च-प्रोफ़ाइल धोखाधड़ी जैसे पंजाब नैशनल बैंक (PNB) घोटाले से संबंधित घटनाएँ बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाती हैं। ग्राहकों का विश्वास कम हो जाता है, जिसके कारण व्यवसाय में कमी और ग्राहक धन की निकासी होती है।

iii. **सार्वजनिक विश्वास पर प्रभाव**: व्यापक बैंकिंग धोखाधड़ी सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करती है, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में। जैसे-जैसे ग्राहक सतर्क हो जाते हैं, वे डिजिटल बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म या पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने से कतराते हैं।

iv. **कानूनी परिणाम**: जिन बैंकों को धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है, उन्हें कानूनी कार्रवाई में महत्वपूर्ण संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा, यदि बैंकों के आंतरिक नियंत्रण कमजोर होते हैं या बैंकिंग कानूनों का उल्लंघन होता है, तो उन्हें नियामक जांच, जुर्माना या व्यापार लाइसेंस की हानि का सामना करना पड़ सकता है।

6. नियामक उपाय और कानूनी ढांचा

भारत में बैंकिंग धोखाधड़ी से निपटने के लिए कई उपाय किए गए हैं:

i. **भारतीय रिज़र्व बैंक** : आरबीआई ने कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जैसे कि KYC (अपने ग्राहक को जानें) नियम, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (AML) दिशानिर्देश, और क्रेडिट निगरानी प्रणाली। ये उपाय बैंकों को संदिग्ध लेन-देन की पहचान करने में मदद करते हैं और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करते हैं।

ii. **प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002**: यह कानून मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है और वित्तीय संस्थानों को वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) को संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य करता है।

iii. **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000**: यह अधिनियम साइबर अपराधों को नियंत्रित करता है, जिसमें ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी शामिल है, और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है।

iv. **बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना**: यह योजना ग्राहकों को बैंकिंग धोखाधड़ी और अन्य शिकायतों के बारे में शिकायत करने का अवसर देती है। इससे धोखाधड़ी से प्रभावित ग्राहकों के लिए अतिरिक्त निवारण उपाय उपलब्ध होते हैं।

7. प्रौद्योगिकी नवाचार और रोकथाम उपाय

भारत में बैंकों ने धोखाधड़ी से निपटने और लेन-देन को सुरक्षित बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लिया है:

i. **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग**: बैंक असामान्य व्यवहार के पैटर्न की पहचान करने के लिए AI और मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग कर रहे हैं। ये तकनीकें बड़ी मात्रा में लेन-देन का विश्लेषण करने और विसंगतियों को पहचानने में मदद करती हैं।

ii. **बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण**: मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के बढ़ते उपयोग के साथ, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (जैसे, फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान) एक मानक सुरक्षा उपाय के रूप में उभर रहा है।

iii. **ब्लॉकचेन तकनीक**: ब्लॉकचेन एक सुरक्षित विधि के रूप में उभर रही है, जिससे वित्तीय लेन-देन किए जाते हैं। इसकी विकेंद्रीकृत प्रकृति धोखाधड़ी करने वालों के लिए डेटा को बदलने या धन चुराने को मुश्किल बनाती है।

iv. **दो-चरणीय प्रमाणीकरण (2FA)**: बैंक ऑनलाइन लेन देन के लिए दो-चरणीय प्रमाणीकरण का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें उपयोगकर्ताओं से दो प्रकार की पहचान (जैसे, पासवर्ड और ओटीपी) मांगी जाती है।

v. **जन जागरूकता अभियान**: कई बैंक धोखाधड़ी से बचने के लिए ग्राहक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जो ग्राहकों को सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

8. प्रमुख बैंकिंग धोखाधड़ी घटनाएँ

भारत में बैंकिंग क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली कुछ प्रमुख धोखाधड़ी घटनाएँ इस प्रकार हैं:

I. **पंजाब नैशनल बैंक (PNB) स्कैम (2018)**: यह भारत में सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी में से एक थी, जिसमें ₹14,000 करोड़ की धोखाधड़ी हुई थी।

ii. **यस बैंक संकट (2020)**: वित्तीय कुप्रबंधन और धोखाधड़ी के आरोप, जिसमें पूर्व सीईओ को कई उल्लंघनों के लिए जांचा गया, जिसके कारण एक महत्वपूर्ण बैंकिंग संकट उत्पन्न हुआ।

iii. **सहारा इंडिया धोखाधड़ी**: यह एक पुराना मामला है, लेकिन इसका दीर्घकालिक प्रभाव वित्तीय प्रणाली पर पड़ता है। इस मामले में जाली निवेश योजनाओं के माध्यम से जनता से अवैध धन एकत्रित किया गया।

iv. **कोचीन स्थित केरल राज्य सहकारी बैंक धोखाधड़ी**: एक और महत्वपूर्ण मामला जिसने क्षेत्रीय सहकारी बैंकों के भीतर समस्याओं को उजागर किया।

9. निष्कर्ष

भारत में बैंकिंग धोखाधड़ी एक महत्वपूर्ण खतरा बनी हुई है, लेकिन इसे कम करने के लिए जागरूकता और प्रयास बढ़ रहे हैं। जबकि प्रौद्योगिकी धोखाधड़ी से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, रोकथाम के उपायों की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि नियामक ढांचे को मजबूत किया जाए, साइबर सुरक्षा में सुधार हो, और ग्राहक जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए। सरकार, नियामक प्राधिकरण और बैंकिंग संस्थानों को मिलकर एक मजबूत और सुरक्षित बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, ताकि जनता विश्वासपूर्वक वित्तीय प्रणाली का उपयोग कर सके। ●

संदर्भ

1. *भारतीय रिज़र्व बैंक (2024), वित्तीय स्थिरता पर वार्षिक रिपोर्ट, आरबीआई प्रकाशन*
2. *गुप्ता, एस. (2021), बैंकिंग धोखाधड़ी: कारण, प्रभाव और रोकथाम उपाय, वित्तीय सुरक्षा पत्रिका, 12(3), 45-60*
3. *सिंह, अ. (2020), भारतीय बैंकिंग में साइबर सुरक्षा: ऑनलाइन धोखाधड़ी का बढ़ता खतरा, भारतीय साइबर सुरक्षा पत्रिका, 18(2), 34-49*
4. *भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (2022), प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002*
5. *जोशी, आर. (2019), भारत में वित्तीय धोखाधड़ी और नियामक प्राधिकरण की भूमिका, बैंकिंग और वित्त पत्रिका, 15(4), 24-38*
6. *https://www.statista.com*
7. *भारतीय वित्त मंत्रालय (2022) के अनुसार, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002*



दृष्टिकोण - दृष्टिबाधितों के लिए बैंकनोटों की सुगम्यता

बैंकनोटों का 'स्पर्श और अनुभव' किसी व्यक्ति के लिए सामान्य बात हो सकती है लेकिन यह दृष्टिबाधित व्यक्तियों (visually impaired) के लिए बैंकनोटों की पहचान करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। भारतीय रिज़र्व बैंक एक पूर्ण-सेवाकालिक केंद्रीय बैंक है और उसके प्रमुख कार्यों में से एक है – करेंसी मैनेजमेंट यानी मुद्रा प्रबंधन। व्यापक रूप से माना जाता है कि बैंक नोट केंद्रीय बैंक का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसे ग्राहक/उपभोक्ता छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं।

मुद्रा प्रत्येक नागरिक के लिए स्वतंत्र वित्तीय लेनदेन को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें दृष्टिबाधित व्यक्ति भी शामिल हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए, बैंक नोटों के मूल्यवर्ग को आसानी से पहचानने की क्षमता न केवल सुविधा की दृष्टि से बल्कि उनके स्वालंबन, सुरक्षा और रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियों में समावेश के लिए भी आवश्यक है। इसे स्वीकार करते हुए, केंद्रीय बैंकों और सरकारों ने विभिन्न सुगम्यता विशेषताओं जैसे स्पर्श चिह्न, नोट के अलग-अलग आकार और मोबाइल एप्लिकेशन जैसे डिजिटल उपकरण शुरु किए हैं जो नोटों के मूल्यवर्ग की पहचान में मदद करते हैं। हालाँकि, इन प्रयासों के बावजूद, यह सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं कि करेंसी वास्तव में समाज के सभी वर्गों के लिए उपयोग करने में आसान और समावेशी हो।

आइए, इस संदर्भ में दृष्टिबाधितों के लिए बैंकनोटों की सुगम्यता के बारे में चिंतन, मनन और विमर्श करते हैं।



मारुत प्रकाश बेहेरा
महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर

भारत में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की जनसंख्या

दृष्टिबाधित आबादी में पूरी तरह से दृष्टिबाधित, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित और कलर ब्लाइंड (कुछ रंगों में भेद करने में दृष्टिबाधित) व्यक्ति शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, **भारत में 50,32,463 व्यक्ति दृष्टिबाधित हैं (तालिका -1)।** दुनिया भर में एक अरब से अधिक व्यक्तियों के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए कड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उनका सामना आम तौर पर हिंसा, उपेक्षा और गरीबी की उच्च दर से होता है, जिससे वे समाज में सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों में से एक बन जाते हैं। इन कारकों को देखते हुए, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सुगम्यता दिशानिर्देशों की आवश्यकता होती है।

तालिका – 1
जनसांख्यिकीय विवरण – जनगणना - 2011

जनसंख्या	जनगणना 2011
दृष्टिबाधित व्यक्तियों की कुल जनसंख्या	**50,32,463**
पुरुष	26,38,516 (52.43%)
महिला	23,93,947 (47.57%)
कुल ग्रामीण जनसंख्या	**35,02,590 (69.59%)**
ग्रामीण पुरुष	18,20,936 (36.18%)
ग्रामीण महिला	16,81,654 (33.41%)
कुल शहरी जनसंख्या	**15,29,873 (30.40%)**
शहरी पुरुष	8,17,580 (16.24%)
शहरी महिला	7,12,293 (14.15%)

स्रोत - राष्ट्रीय दृश्य दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट (2023-24)

दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सुगम्यता (एक्सेसिबिलिटी) दिशानिर्देश की आवश्यकता

सूचना और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक समान सुगम्यता सुनिश्चित करने, स्वतंत्रता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए दृष्टिबाधितों के लिए सुगम्यता दिशानिर्देश आवश्यक हैं। ये दिशा-निर्देश केन्द्र

सरकारों द्वारा दृष्टिबाधित व्यक्तियों के विभिन्न संघों/निकाय के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में दिव्यांग व्यक्तियों की गरिमा, समानता और गैर-भेदभाव को बनाए रखने के लिए पारित किया गया था। इसके प्रमुख प्रावधानों में समानता के अधिकार, सम्मान के साथ जीवन और सामुदायिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी जिम्मेदारी; दुर्व्यवहार, हिंसा और क्रूरता आदि से सुरक्षा शामिल थे। इस अधिनियम ने दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 का स्थान लिया। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जैसे 15 मार्च, 2024 को श्रवण और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सिनेमा थिएटरों में फीचर फिल्मों की सार्वजनिक प्रदर्शनी में सुगम्यता मानकों पर दिशानिर्देश, 2 सितंबर, 2024 को भारत भर के वित्तीय संस्थानों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए पहुंच मानक दिशानिर्देश आदि।

इसी तरह, वेब सामग्री तक पहुंच के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर W3C वेब सामग्री अभिगम्यता दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के आधार पर, भारत सरकार ने वेबसाइट और ऐप्स के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। तथापि, दृष्टिबाधितों के लिए बैंक नोटों को सुगम्य बनाने के लिए शामिल की जाने वाली विशेषताओं के लिए कोई विशेष दिशा-निर्देश नहीं हैं। केंद्रीय बैंक और नामित प्राधिकरण अपनी स्थापित प्रक्रियाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं।

परिचालन में नोटों में वृद्धि

नकदी की मांग लगातार बढ़ रही है और परिचालन में नोट (**Notes in Circulation**) में भी वृद्धि दर्ज की गई है जो **वर्ष 2005 में 3.61 लाख करोड़ रुपये** से 921% की भारी वृद्धि के साथ बढ़कर **वर्ष 2025 में 36.87 लाख करोड़** रुपये हो गई। निम्नांकित ग्राफ़ 2005 से 2015 और 2015 से 2025 तक हर 10 साल में वृद्धि को दर्शाते हैं।

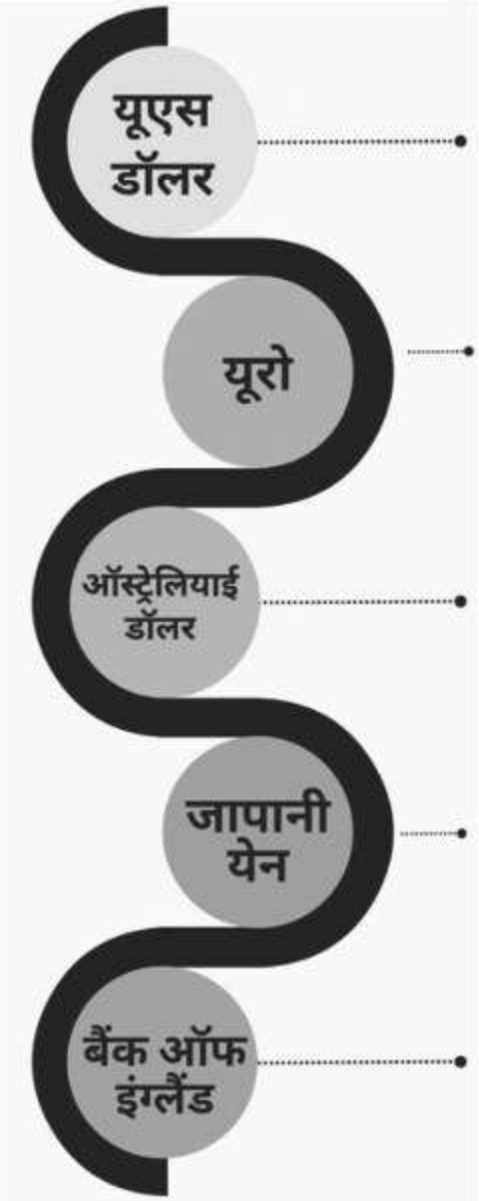
करेंसी नोटों में दृष्टिबाधितों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध सुगम्यता सुविधाएं

अंतराष्ट्रीय स्तर पर, सभी केंद्रीय बैंक करेंसी नोटों में विभिन्न विशेषताओं को शामिल करते हैं ताकि इसे दृष्टिबाधितों के लिए सुगम्य बनाया जा सके और उन्हें भुगतान कैसे करना है, यह चुनने की स्वतंत्रता हो और इस प्रकार समाज में सभी समूहों का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जा सके। ऐसी सुविधाओं की उपलब्धता यह भी सुनिश्चित करती है कि दृष्टिबाधित लोग विश्वास के साथ करेंसी नोटों का उपयोग कर पाएं।

बैंकनोट में शामिल प्रत्येक सुविधा में लागत आती है और जोड़ी जाने वाली सुविधा के आधार पर, इसमें अतिरिक्त प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं जो उत्पादन चक्र को बढ़ा सकती हैं जिससे उत्पादन चक्र अपेक्षाकृत कम कुशल हो जाता है। परिचालन में नोटों में तेजी से वृद्धि के साथ, किसी भी सुविधा को जोड़ने या हटाने पर जहां संशोधित सुविधाओं के साथ एक नए नोट द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है, वहां सरकारी खजाने पर भारी लागत आती है, इसलिए, नोटों में डिजाइन और दृष्टिबाधित विशेषता को शामिल करने से पहले सभी हितधारकों के साथ एक व्यापक प्रक्रिया के माध्यम से परामर्श किया जाता है।



प्रमुख करेंसी में उपलब्ध सुगम्यता सुविधाओं का तुलनात्मक विवरण -



दृष्टिबाधितों के लिए सुविधाएँ

सभी अमेरिकी डॉलर समान आकार के। दृष्टिबाधित अनुकूल नहीं। उभरी हुए स्पर्श विशेषता और उच्च कंट्रास्ट अंक



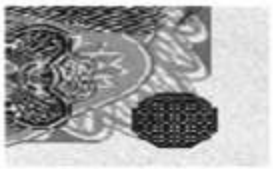
विभिन्न आकार,बड़े अंक चमकीला रंग उभरा प्रिंट उभरी हुई रेखाएं



स्पर्श सुविधा,अलग-अलग लंबाई बड़े, बोल्ड अंक और रंगों में विविधता



स्पर्श चिह्न (इंटैग्लियो प्रिंटिंग) एक खुरदरी बनावट के साथ पहचान प्रतीक, मुद्रित इंटैग्लियो



पॉलिमर £ 10 और £ 20 नोटों में उभरे हुए बिंदुओं की शृंखला द्वारा स्पर्श विशेषता । उभरे हुए डॉट्स के तीन समूह।



भारतीय बैंकनोटों में उपलब्ध एक्सेसिबिलिटी विशेषताएं

भारतीय बैंक नोटों की पहचान करने में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक बेहद संवेदनशील है और तदनुसार इन नोटों की पहचान करने में उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न विशेषताओं को शामिल किया है। महात्मा गांधी (नयी) शृंखला के नोटों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं -

i. **विभिन्न आकार** - सबसे कम मूल्यवर्ग छोटा है और उच्च मूल्यवर्ग बड़े आकार का है। (तालिका -2)

स्रोत - https://indiancurrency.rbi.org.in/

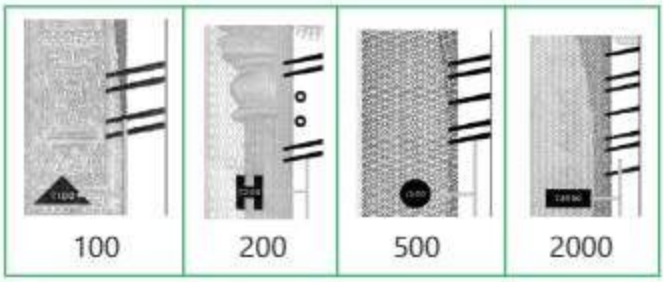
ii. **इंटैग्लियो या उभरी हुई छपाई** - ब्लीड लाइनें नोट के बाईं और दायीं ओर बैंकनोटों पर उभरे हुए प्रिंट में पाई जा सकती

तालिका -2 - भारतीय रुपया - विभिन्न आकार

मूल्यवर्ग	10	20	50	100	200	500	2000
मिमी में आयाम	63x 123	63 x129	66 x 135	66 x 142	66 x 146	66 x 150	66 x 166

हैं। 2000 रुपये के बैंक नोट में 7 कोणीय ब्लीड लाइनें हैं। 500 रुपये के नोट में 5 ब्लीड लाइनें हैं। 200 रुपये के बैंकनोट में 4 कोणीय ब्लीड रेखाएं होती हैं जिनमें रेखाओं के बीच में 2 सर्किल होते हैं।

iii. 100 रुपये के बैंकनोट में 4 कोणीय ब्लीड लाइनें हैं। पहचान चिह्न भी इंटैग्लियो प्रिंट में है और स्पर्श करने पर महसूस किया जा सकता है। यह निशान अशोक स्तंभ प्रतीक के शीर्ष पर, नो के दाईं ओर भी मौजूद है। 2000 रुपये के बैंकनोट में एक क्षैतिज रेक्टेन्गल है जिसका मूल्यवर्ग उभरे हुए प्रिंट में है। 500 रुपये के नोट में एक सर्किल है जिसका मूल्यवर्ग उभरे हुए प्रिंट में है। 200 रुपये के बैंक नोट पर अंग्रेज़ी 'एच' आकार में पहचान चिह्न उभारा गया है, जिस पर माइक्रोटेक्स्ट '₹ 200' है। 100 रुपये के बैंक नोट पर त्रिकोणीय पहचान चिह्न है जिस पर माइक्रोटेक्स्ट '₹100' है।



iv. महात्मा गांधी का चित्र (नोटों के बीच में, आगे की तरफ) और अशोक स्तंभ प्रतीक (नोट के दाईं ओर, आगे की तरफ) दोनों 100 रुपये और उससे अधिक मूल्यवर्ग में उभरे हुए प्रिंट


महात्मा गांधी का चित्र


अशोक स्तंभ प्रतीक

बैंकनोटों पर सुगम्यता (एक्सेसिबिलिटी) सुविधाओं की प्रभावशीलता और चुनौतियां

बैंक नोटों पर विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता के बावजूद दृष्टिबाधित व्यक्तियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पर्श विशेषताएं या इंटैग्लियो प्रिंटिंग समय बीतने के साथ धूमिल हो जाती है। यह कम मूल्यवर्ग के नोटों में अधिक प्रमुख है जो अधिक बार अनेक हाथों से होकर गुजरते हैं और जल्दी गंदे हो जाते हैं। इसके अलावा, भारत के संदर्भ में जहां जलवायु की स्थिति गर्म और आर्द्र होती है, बैंक नोटों के भंडारण तथा सब्जी और मछली बाजारों में उपयोग में अपनाई जाने वाली विभिन्न गैर-वांछनीय प्रथाओं के साथ, स्पर्श विशेषताएं धूमिल हो जाती हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश भी हैं जहां बैंक नोटों के सभी मूल्यवर्ग एक ही आकार के हैं, जिससे दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा हो रही हैं। भारत में, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त चुनौती बैंक नोटों की दो शृंखलाओं के साथ-साथ चलने के कारण है, जिनमें प्रत्येक शृंखला का आकार अलग-अलग है (तालिका -3)।

परिणामस्वरूप बैंकनोट का एक ही मूल्यवर्ग दो अलग-अलग आकारों में उपलब्ध हो जाता है, जिससे दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त चुनौती पैदा हो जाती है।

तालिका -3- बैंक नोटों की दो शृंखला आयाम (मिमी - लंबाई x चौड़ाई)

मूल्यवर्ग	एमजी सीरीज	एमजी (नई) सीरीज
10	63x 137	63x 123
20	63 x147	63 x129
50	73 x 147	66 x 135
100	73 x 157	66 x 142
200	लागू नहीं	66 x 146
500	73 x 167	66 x 150
1000	73 x 177	लागू नहीं
2000	लागू नहीं	66 x 166

डिवाइस-सहायता प्राप्त बैंकनोट पहचान

बैंक नोटों में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के अनुकूल विशेषताओं को शामिल करने के लिए केन्द्रीय बैंक के सभी ठोस और सहृदय प्रयासों के बावजूद, ये विशेषताएं समय के साथ धूमिल हो जाती हैं। हालांकि, ये बैंक नोट परिचालन में बने हुए हैं और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए उनकी पहचान करने में चुनौतियां उपस्थित करते हैं। इसके समाधान के लिए सभी केंद्रीय बैंकों ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों को बैंक नोटों की आसान पहचान में सहायता करने के लिए कई प्रौद्योगिकी सक्षम समाधान विकसित किए हैं।

रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया - बैंकनोट माप उपकरण



रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने एक क्रेडिट-कार्ड आकार का उपकरण विकसित किया है जो ऑस्ट्रेलिया के बैंकनोटों की विभिन्न लंबाई का उपयोग करता

है ताकि दृष्टिबाधित व्यक्तियों की मदद की जा सके। डिवाइस एक बटुए या पर्स में आसानी से फिट होने के लिए फोल्ड हो जाता है।

रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूज़ीलैंड (आरबीएन) – बैंकनोट गेज



अक्टूबर 2016 में, आरबीएन ने वितरण के लिए ब्लाइंड फाउंडेशन और ब्लाइंड सिटीजन ऑफ न्यूज़ीलैंड को 5,000 बैंकनोट गेज मुफ्त में उपलब्ध कराए।

बैंक ऑफ कनाडा - बैंक नोट रीडर



बैंक नोट रीडर मशीन पठनीय कोड के माध्यम से मूल्यवर्ग की पहचान करता है।

अमेरिकी डॉलर - ब्यूरो ऑफ एन्ग्रेविंग एंड प्रिंटिंग (बीईपी) - आईनोट



आईनोट® एक मुफ्त मोबाइल डिवाइस एप्लिकेशन है जिसे बीईपी द्वारा दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक सहायता के रूप में विकसित किया गया है ताकि शृंखला 1996 से वर्तमान तक फेडरल रिजर्व नोटों के मूल्यवर्ग की पहचान की जा सके। आईनोट अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नोटों को वास्तविक या नकली होने के रूप में प्रमाणित नहीं करता है।

भारतीय रुपया – भारतीय रिज़र्व बैंक – मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर (MANI)

आरबीआई ने एक मोबाइल एप्लिकेशन, मनी (मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर) विकसित किया है जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों को नोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने में मदद करता है। इस ऐप को एंड्रॉइड प्ले स्टोर और आईओएस ऐप स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, यह ऑफलाइन मोड में भी काम करता है। जब आप स्मार्टफोन के कैमरे को करेंसी नोट की ओर इंगित करते हैं, तो ऐप हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में मूल्यवर्ग की घोषणा करता है।



यह वाइब्रेशन के जरिए भी संप्रेषण करता है। हालांकि यह ऐप भारतीय बैंकनोटों को असली या नकली के रूप में प्रमाणित नहीं करता है।

निष्कर्ष - _मौजूदा सुविधाओं और नई तकनीकों के बावजूद, दृष्टिबाधित व्यक्तियों की पूर्ण वित्तीय स्वतंत्रता का लक्ष्य अभी दूर है। स्पर्श विशेषताओं की प्रभावकारिता सभी मूल्यवर्गों में असंगत डिजाइन द्वारा सीमित है, और इन निशानों के उपयोग के साथ खराब होने का खतरा होता है, जिससे भ्रम पैदा होता है और नकद लेन-देन चिंता का स्रोत बन जाता है। जबकि मोबाइल ऐप एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाते हैं, वे अक्सर संगत उपकरणों, अच्छी रोशनी या इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर होते हैं, और वे हमेशा त्वरित लेनदेन के दौरान आवश्यक एक निश्चित, पल भर में सत्यापन प्रदान नहीं कर सकते हैं। समग्र उपयोग के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जहां नीति, डिजाइन और नवाचार एक सार्वभौमिक रूप से सहज ज्ञान युक्त प्रणाली बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं जो सत्यापन के लिए विशेष उपकरण या किसी तीसरे पक्ष पर निर्भर नहीं करता है। केवल मजबूत, मानकीकृत और अधिक टिकाऊ स्पर्श और आकार-आधारित आईडेन्टिफायर को लागू करके ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि करेंसी वास्तव में सभी के लिए समावेशी है।

संदर्भ -

भारतीय रिज़र्व बैंक, फेडरल रिज़र्व, ब्यूरो ऑफ एन्ग्रेविंग एंड प्रिंटिंग, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूज़ीलैंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ कनाडा की आधिकारिक वेबसाइट से साभार।

https://niepvd.nic.in/
https://s3waas.gov.in/
https://mib.gov.in
https://financialservices.gov.in
https://www.pib.gov.in
https://www.un.org/
https://www.w3.org/TR/wcag-3.0/
https://www.rbi.org.in/scripts/MANI.aspx

केंद्रीय बैंकिंग और संचार की बदलती भूमिका - भारतीय रिज़र्व बैंक के विशेष संदर्भ में

भूमिका

केंद्रीय बैंकिंग संचार का स्वरूप पिछले कुछ दशकों में व्यापक रूप से परिवर्तित हुआ है। मूल्य स्थिरता, मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता जैसे पारंपरिक दायित्वों के साथ अब केंद्रीय बैंकों से पारदर्शिता, जवाबदेही, उपभोक्ता संरक्षण तथा व्यापक जनसंपर्क की भी अपेक्षा की जाती है। इन्हीं परिस्थितियों में डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने केंद्रीय बैंक के संचार को नीति-प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण साधन बना दिया है। यह आलेख केंद्रीय बैंकिंग में संचार की विकसित होती भूमिका का विश्लेषण करता है और भारतीय रिज़र्व बैंक के संदर्भ में आरबीआई कहता है, आरबीआई सुनता है, 360 डिग्री जन जागरूकता अभियान, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, तथ्यान्वेषण और एआई-सक्षम संचार जैसी पहलों की संभावनाओं को परिलक्षित करता है। इस आलेख का आधार यह है कि आधुनिक केंद्रीय बैंक के लिए संचार केवल सूचना-प्रसार का कार्य नहीं, बल्कि विश्वसनीयता, अपेक्षाओं के प्रबंधन और सार्वजनिक विश्वास की कार्यनीतिक अवसंरचना है।

1. केंद्रीय बैंकिंग में संचार का बढ़ता महत्व

केंद्रीय बैंक की पहचान मूलतः मुद्रा और मूल्य स्थिरता, मौद्रिक नीति, बैंकिंग पर्यवेक्षण और विनियमन तथा वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने वाली संस्था के रूप में रही है। किंतु आधुनिक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक का प्रभाव केवल उसके नीतिगत निर्णयों से नहीं, बल्कि उन निर्णयों की समझ, उनकी व्याख्या और विश्वसनीयता से भी निर्धारित होता है। मौद्रिक नीति का प्रभाव ब्याज दरों में परिवर्तन से कहीं अधिक व्यापक है। परिवारों, कारोबारों, बैंकों और निवेशकों के निर्णय भविष्य की मुद्रास्फीति, ब्याज दरों और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में उनकी अपेक्षाओं से प्रभावित होते हैं। इसीलिए केंद्रीय बैंक का संचार अब मौद्रिक नीति का बाहरी आवरण नहीं, बल्कि उसके संचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीआईएस के शोध में भी केंद्रीय बैंक संचार को वित्तीय बाजारों को प्रभावित करने, मौद्रिक नीति संबंधी पूर्वानुमान को बेहतर बनाने और नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बताया गया है। इस संदर्भ में आज केंद्रीय बैंक के सामने प्रश्न केवल "क्या निर्णय लिया गया?" का ही नहीं है, बल्कि "यह निर्णय क्यों लिया गया, उसका क्या अर्थ है और विभिन्न हितधारकों पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? यह समझाना भी है।



नीरज कुमार
निदेशक, संचार विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

2. सूचना-प्रसार से नीति-उपकरण तक

पिछले दो दशकों में केंद्रीय बैंकों के संचार में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है— वह है गोपनीयता और सीमित सूचना से पारदर्शिता और सक्रिय संवाद की ओर। इस संबंध में फेडरल रिज़र्व का स्पष्ट मत है कि जनता के साथ स्पष्ट और पारदर्शी संवाद मौद्रिक नीति को समझने और उसकी प्रभावशीलता बढ़ाने में सहायता करता है। इसी क्रम में ईसीबी ने भी अपनी मौद्रिक नीति संबंधी कार्यनीति के अंतर्गत संचार को व्यापक जनता तक पहुँचाने और "श्रवण (listening)" को नियमित संचार का हिस्सा बनाने पर बल दिया है। यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय बैंक की प्रत्येक सार्वजनिक सूचना जन सामान्य की अपेक्षाओं को प्रभावित कर सकता है। अत्यधिक अस्पष्टता बाजार में अनिश्चितता बढ़ा सकती है, जबकि अत्यधिक सामान्य भाषा केंद्रीय बैंक की नीतिगत लचीलेपन को सीमित कर सकती है। अतः आधुनिक केंद्रीय बैंकिंग में स्पष्टता और लचीलेपन के बीच संतुलन आवश्यक है।

3. भारतीय संदर्भ में आरबीआई और संचार की विकसित होती भूमिका

भारतीय रिज़र्व बैंक का कार्यक्षेत्र समय के साथ न केवल व्यापक हुआ है, बल्कि गहन और बहुआयामी भी बना है। मौद्रिक नीति और बैंकिंग विनियमन के साथ-साथ, वित्तीय स्थिरता, भुगतान प्रणालियों का आधुनिकीकरण, वित्तीय समावेशन, ग्राहक संरक्षण और वित्तीय साक्षरता जैसे क्षेत्रों में भी इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्यापक अध्यादेश ने आरबीआई के संचार दृष्टिकोण को भी एक रणनीतिक, जन-केंद्रित और प्रौद्योगिकी-संचालित ढांचे में बदल दिया है। वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, बैंक ने जनवरी 2025

में अपनी संचार नीति को "संस्करण 3.0" के रूप में अद्यतन किया है, जिसमें सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, वीडियो कंटेंट, और तथ्यान्वेषण जैसे आधुनिक संचार माध्यमों को विशेष रूप से शामिल किया गया है। इसके अलावा, रिपोर्ट में 360-डिग्री जन-जागरूकता अभियान के विस्तार, 'आरबीआई सुनता है' पहल के तहत नागरिकों से सीधे संवाद की गतिविधियों, और स्थानीय स्तर पर वित्तीय शिक्षण संबंधी कार्यक्रमों के विस्तार का भी उल्लेख है। यह संचार क्रांति केवल तकनीकी अद्यतन नहीं, बल्कि एक मौलिक संस्थागत परिवर्तन है — जहां संचार को अब केवल प्रेस संबंधों के रूप में नहीं, बल्कि एक कार्यनीतिक जन सहभागिता, विश्वास निर्माण और लोकतांत्रिक जवाबदेही के उपकरण के रूप में देखा जा रहा है।

4. "आरबीआई कहता है" - जटिल वित्तीय विषयों को सरल बनाना

केंद्रीय बैंक की भाषा स्वाभाविक रूप से तकनीकी होती है। "मौद्रिक नीति संचरण, विवेकपूर्ण मानदंड, चलनिधि प्रबंधन, प्रणालीगत जोखिम" जैसे शब्द विशेषज्ञों के लिए अर्थपूर्ण होते हैं, लेकिन सामान्य नागरिक के लिए हमेशा सहज नहीं होते। इसलिए प्रभावी संचार का सिद्धांत होना चाहिए- तकनीकी सटीकता और आम जन के लिए सहज समझ। आरबीआई द्वारा चलाए जा रहे 'आरबीआई कहता है' जैसे 360-डिग्री जन-जागरूकता अभियान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, इन अभियानों का उद्देश्य आरबीआई की पहलों के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाना, धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं और योजनाओं के प्रति लोगों को सचेत करना तथा वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। वर्ष 2024-25 के दौरान, आरबीआई ने 23 विषयों पर कुल 43 अभियान चलाए, जो न केवल जन जागरूकता के लिए आवश्यक थे, बल्कि वित्तीय साक्षरता एवं समावेशन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन अभियानों ने विभिन्न आयु वर्गों, शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों और विभिन्न भाषाओं में जानकारी पहुँचाने का प्रयास किया, जिससे वित्तीय जागरूकता का वास्तविक और व्यापक प्रभाव देखा गया। इन अभियानों का उद्देश्य केवल जानकारी साझा करना नहीं होता, बल्कि यहाँ अगला कदम सूचना से व्यवहार परिवर्तन की ओर बढ़ना होता है। उदाहरण के लिए, डिजिटल धोखाधड़ी के विरुद्ध अभियान केवल "ओटीपी साझा न करें" तक सीमित न रहकर यह भी बताता है कि धोखाधड़ी होने पर तुरंत क्या करें, किस माध्यम से शिकायत करें आदि।

5. "आरबीआई सुनता है" - सुनना भी संचार का हिस्सा

परंपरागत संचार मुख्यतः एक तरफा संचार था - संस्थाएँ बोलती थीं, और जनता सुनती थी। डिजिटल युग ने इस समीकरण को आमूलचूल बदल दिया है। आज, जनता की प्रतिक्रियाएँ, सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाएँ, समाचार टिप्पणियाँ, और डिजिटल वार्तालाप न केवल सूचना के स्रोत बन गए हैं, बल्कि उन्हें वास्तविक-समय विश्लेषण और नीति-निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण डेटा-स्रोत के रूप में भी देखा जा रहा है। रिज़र्व बैंक की "आरबीआई सुनता है" पहल इसी नए संचार वातावरण में एक उल्लेखनीय और अग्रणी कदम है। आरबीआई के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य सिर्फ सूचना एकत्र करना नहीं, बल्कि मीडिया और जनमत से उभरते संकेतों को एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में उपयोग करना है, जो आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण, नीति समायोजन या जन-शिक्षा के लिए आधार बन सकते हैं। इसके साथ ही, इस प्रणाली को फर्जी खबरों, गलत सूचनाओं और भ्रम को पहचानने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए भी विकसित किया जा रहा है। यह एक व्यापक, गतिशील और प्रतिक्रियाशील संस्थागत ढांचे— सुनना → विश्लेषण करना → समझना → उत्तर देना → सिखाना — का हिस्सा बन गया है जिसके तहत संचार विभाग केवल सूचना प्रसारक नहीं, बल्कि जनता के मनोभावों, चिंताओं और उभरते मुद्दों का एक संस्थागत आसूचना और जागरूकता केंद्र बन गया है। यह न केवल संचार का विकास है, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास का एक नया आयाम भी है।

6. सोशल मीडिया और गलत सूचना - चुनौती और अवसर

सोशल मीडिया ने केंद्रीय बैंक के लिए अभूतपूर्व जन-संपर्क की संभावनाएँ पैदा की हैं, लेकिन साथ ही गलत सूचना और दुष्प्रचार का जोखिम भी बढ़ाया है। बैंकिंग या डिजिटल भुगतान से संबंधित गलत सूचना कुछ ही घंटों में व्यापक स्तर पर व्यवहार को प्रभावित कर सकती है — जिससे वित्तीय स्थिरता, उपभोक्ता विश्वास और नीति प्रभावकारिता को गंभीर खतरा हो सकता है। अतः आधुनिक केंद्रीय बैंक संचार में ये तीन क्षमताएँ आवश्यक जाती हैं, सोशल श्रवण (वास्तविक समय में जनमत और गलत सूचना की पहचान), तथ्यान्वेषण (तथ्यों की त्वरित और वैज्ञानिक सत्यापन), और त्वरित प्रतिक्रिया (स्पष्ट, समयबद्ध और व्यापक रूप से पहुँचने वाला जवाब)। गलत सूचना का प्रभावी खंडन केवल "यह गलत है" कह देने से नहीं होगा। बेहतर कार्यनीति में तथ्य का सत्यापन, जोखिम मूल्यांकन, सरल भाषा में व्याख्या, और उचित माध्यम (जैसे वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, ट्वीट थ्रेड्स) से प्रचार शामिल होना चाहिए। इस संदर्भ में तथ्यान्वेषण को केवल रक्षात्मक कार्य के बजाय जन-विश्वास तंत्र के रूप में देखा जाना चाहिए, जो न केवल गलत सूचना का खंडन करे, बल्कि जनता के लिए विश्वसनीय स्रोत के रूप में बैंक की भूमिका को भी मजबूत करे।

7. संचार और विश्वास - केंद्रीय बैंक की अमूर्त पूंजी

केंद्रीय बैंक की सबसे अमूर्त संपत्ति उसकी विश्वसनीयता है- यह एक ऐसी नींव है, जो आर्थिक स्थिरता, नीति प्रभावशीलता और जनता के विश्वास का आधार होते हैं। जब जनता को विश्वास होता है कि केंद्रीय बैंक तथ्य-आधारित, स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीकों से कार्य करता है, तो उसके नीतिगत संकेत न केवल अधिक प्रभावशाली होते हैं, बल्कि बाजारों और उपभोक्ताओं के व्यवहार को भी गहन रूप से आकार देते हैं। बीआईएस और ईसीबी दोनों के अनुभव इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि स्पष्ट, समयबद्ध और निरंतर संचार, विश्वसनीयता और विश्वास को न केवल मजबूत कर सकता है, बल्कि आर्थिक अपेक्षाओं को भी स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विशेष रूप से मुद्रास्फीति की उम्मीदों के संदर्भ में, संचार की भूमिका में गहन वृद्धि हुई है। सितंबर 2026 में प्रकाशित ईसीबी अनुसंधान टिप्पणियों में भी इस बात पर बल दिया गया है कि सार्वजनिक संचार घरेलू मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को सीधे प्रभावित कर सकता है और इसलिए, संचार को नीति संचरण का एक अनिवार्य और समानांतर हिस्सा होना चाहिए, न कि नीति लागू होने के बाद की एक अतिरिक्त या वैकल्पिक प्रक्रिया। अतः, केंद्रीय बैंक के लिए विश्वास-निर्माण का कोई अलग जनसंपर्क उद्देश्य नहीं है; यह नीति प्रभावशीलता का एक अभिन्न और अनिवार्य घटक है, जो आर्थिक स्थिरता के लिए न केवल एक उपकरण है, बल्कि एक आधारभूत आवश्यकता है।

8. पॉडकास्ट, वीडियो और केंद्रीय बैंक का 'मानवीकरण'

आज का नागरिक केवल लंबी रिपोर्टों से जानकारी प्राप्त नहीं करता है बल्कि वह वीडियो, पॉडकास्ट, इन्फोग्राफिक और लघु रूप वाली डिजिटल सामग्री की तलाश में होता है, जो तेजी से सूचनाओं के मुख्य स्रोत बन रही हैं। आरबीआई जैसे संस्थान अब जटिल विषयों को संवादी और अनुभव-आधारित प्रारूपों में पेश कर रहे हैं, जैसे पॉडकास्ट, जो आम जनता के लिए वित्तीय नीतियों और अर्थव्यवस्था को समझने के नए द्वार खोलते हैं। इस तरह की पहलों ने न केवल जानकारी को सुलभ बनाया है, बल्कि संस्थाओं के कार्य, नीति-निर्माण और नियामक प्रक्रियाओं को भी सरल, स्पष्ट और जीवंत बनाया है। इसका उद्देश्य केंद्रीय बैंक को "लोकप्रिय" बनाना नहीं, बल्कि उसे लोगों के लिए सुलभ, समझने योग्य और विश्वसनीय बनाना है।

9. कृत्रिम बुद्धिमत्ता - अगली संचार क्रांति

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) केंद्रीय बैंक संचार में तीन स्तरों पर गहन और रूपांतरकारी परिवर्तन ला सकती है, जो न केवल कार्यक्षमता और दक्षता में वृद्धि करने में, बल्कि जनता के साथ अधिक सार्थक, समावेशी और विश्वसनीय संवाद स्थापित करने में भी अत्यंत सहायक हो सकती है।

पहला - Listening — एआई बड़े पैमाने पर समाचार, सोशल मीडिया, ऑनलाइन फोरम और जनता की वास्तविक समय में होने वाली बातचीत का विश्लेषण करके, केंद्रीय बैंक को जनमत के मनोभाव, उभरते मुद्दों, आर्थिक चिंताओं और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की गहन जानकारी प्रदान कर सकती है। यह वास्तविक समय में संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाता है।

दूसरा - Understanding — एआई न केवल डेटा एकत्र करती है, बल्कि उसका अर्थ निकालती है — उभरती चिंताओं, गलत सूचनाओं, भ्रमों और विभिन्न दर्शक समूहों (जैसे युवा, ग्रामीण, व्यवसायी) की विशिष्ट जानकारी और अपेक्षाओं को समझकर, संचार को अत्यंत लक्षित, संदर्भ-संगत, सारगर्भित और प्रभावी बनाती है। यह नीति संचार को लोगों की भाषा में उतारने में मदद करती है।

तीसरा - Delivery — एआई बहुभाषी सामग्री, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों, सरल व्याख्याएँ, इंटरैक्टिव टूल्स, व्यक्तिगत वित्तीय शिक्षा सामग्री और वीडियो का तेजी से निर्माण और वितरण कर सकती है। यह जनता को सही समय, सही माध्यम और सही भाषा में सही जानकारी पहुँचाने में सक्षम बनाती है।

लेकिन केंद्रीय बैंक स्तर पर किए जाने वाले संचार का मूलभूत सिद्धांत - AI-assisted, human-accountable होना चाहिए। एआई का उपयोग विश्लेषण, अनुमान और सुझाव देने के लिए किया जा सकता है, लेकिन अंतिम संस्थागत सूचना की सटीकता, गोपनीयता, तटस्थता, नैतिकता और जवाबदेही हमेशा मानव नियंत्रण में रहनी चाहिए। क्योंकि विश्वास, नीति और जनहित के लिए मानव निर्णय ही अंतिम आधार है।

10. बहुभाषी भारत और समावेशी संचार

भारत की भाषाई और सामाजिक विविधता आरबीआई के संचार के लिए एक विशिष्ट और गहन चुनौती प्रस्तुत करती है। एक ही वित्तीय संदेश भिन्न-भिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई समूहों द्वारा भिन्न-भिन्न तरीकों से व्याख्या और अनुभव किया जा सकता है। अतः भविष्य की संचार कार्यनीति केवल शब्दशः अनुवाद पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ के अनुरूप स्थानीयकरण पर भी आधारित होनी चाहिए। संचार का लक्ष्य होना चाहिए - एक नीति → अनेक भाषाएँ → अनेक प्रारूप → स्थानीय संदर्भ → समान अर्थ और समझ। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ

स्पष्ट, समावेशी और संदर्भ-संगत संचार ही वास्तविक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।

11. "डिज़ाइन द्वारा संचार" - भविष्य की दिशा

भविष्य में, संचार को नीति चक्र के अंतिम चरण में जोड़ने के बजाय, इसे नीति डिजाइन का अनिवार्य और आधारभूत अंग बनाना अत्यंत प्रभावशाली और आवश्यक होगा। यह न केवल संचार की भूमिका को बदलेगा, बल्कि नीतियों के प्रभाव, स्वीकार्यता और दीर्घकालिक सफलता को भी निर्धारित करेगा। किसी भी महत्वपूर्ण नीतिगत पहल के आरंभिक चरण में ही निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है—

प्रमुख दर्शक कौन हैं? — उनके विचार, अपेक्षाएँ क्या हैं?

कौन सी गलत सूचनाएँ हैं? — उन्हें कैसे पहचाना और संबोधित किया जाए?

किन शर्तों और प्रारूपों की आवश्यकता होगी? — नीति को स्पष्ट, सुलभ और व्यावहारिक बनाने के लिए क्या डिज़ाइन तत्व आवश्यक हैं?

गलत सूचना के साथ आख्यान क्या हो सकते हैं? — इसे कैसे खंडित किया जाए?

कौन से संचार माध्यम सबसे प्रभावशाली होंगे? — डिजिटल, सामुदायिक, या पारंपरिक माध्यमों में से कौन सबसे उपयुक्त है?

किस प्रकार का प्रभाव? — व्यवहार, जागरूकता, या नीति समर्थन में कौन सा परिवर्तन चाहिए?

इस दृष्टिकोण को "डिज़ाइन द्वारा संचार, डिफ़ॉल्ट रूप से संचार नहीं" कहा जा सकता है — जहाँ संचार एक अनुप्रयोग नहीं, बल्कि नीति के आरंभ से अंत तक एक अनुकूलनशील, उद्देश्य-निर्धारित और व्यवहार-आधारित तत्व है।

इस रूपांतरण में, संचार विभाग की भूमिका भी गहन रूप से बदलेगी — यह केवल प्रेस प्रकाशनियों या वक्तव्यों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कार्यनीतिक संचार डिज़ाइनर, सार्वजनिक सहभागिता तंत्र के रूप में उभरेगा। संचार अब एक सहायक कार्य नहीं, बल्कि नीति निर्माण का एक अभिन्न और निर्णायक घटक बन जाएगा।

12. निष्कर्ष

भविष्य में केंद्रीय बैंकिंग संचार की भूमिका असंबद्ध और अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। आर्थिक नीतियाँ कितनी भी सक्षम क्यों नहीं हैं, यदि हितधारक उन्हें समझ नहीं पाते हैं, गलत अर्थ ग्रहण करते हैं या उन पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उनकी परिभाषाएँ सीमित हो सकती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने संचार के क्षेत्र में पहले ही महत्वपूर्ण आधार तैयार किए हैं—'आरबीआई कहता है', 360-डिग्री जन जागरूकता अभियान, 'आरबीआई सुनता है', सोशल मीडिया सहबद्धता, पॉडकास्ट और तथ्यान्वेषण जैसे प्रयास इसके संकेत हैं। अगले चरण में एक एकीकृत 360-डिग्री सार्वजनिक संचार और जुड़ाव फ्रेमवर्क विकसित किया जा सकता है, जिसमें सुनना, डेटा विश्लेषण, बहुभाषी संचार, व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि, तथ्यान्वेषण, संकटकालीन संचार और एआई-सक्षम उपकरण शामिल हैं। अंततः केंद्रीय बैंक की सफलता केवल इस से नहीं मापी जानी चाहिए कि उसने कितनी नीतियां बनाई, बल्कि इस बात से भी कि जनता को वे नीतियाँ कितनी समझ आई हैं। इस अर्थ में आधुनिक केंद्रीय मनोविज्ञान का एक नया सूत्र उभरता है - "नीति से उद्योग को दिशा मिलती है; लेकिन प्रभावी संचार उस दिशा में विश्वास के साथ आगे बढ़ने की क्षमता देता है।" यह न केवल एक विचार है, बल्कि एक व्यावहारिक आह्वान है—केंद्रीय बैंकों को अपने संचार को विश्वास, स्पष्टता और समावेशन के आधार पर निर्मित करना होगा, ताकि आर्थिक नीतियों का असर जनता तक पहुँचे और उनके जीवन को वास्तविक रूप से बदल सके।

संदर्भ/References

1. *Bank for International Settlements (BIS), Talking about Monetary Policy - The Virtues (and Vice?) of Central Bank Communication, BIS Working Paper No. 274, 2009*
2. *Bank for International Settlements (BIS), Monetary Policy in the News - Communication Pass-through and Inflation Expectations, BIS Working Paper No. 1231, 2024*
3. *Bank for International Settlements (BIS), Monetary Policy Decision-making and Communication under High Uncertainty, BIS Papers No. 163, 2025*
4. *European Central Bank, Monetary Policy Communication, and the Strategy Review, 2025*
5. *European Central Bank, Messaging to a Public with its Own View on Central Bank Confidence, Research Bulletin No. 142, 2026*
6. *Federal Reserve Board, What is Forward Guidance and How is it Used in Monetary Policy?, 2025*
7. *Reserve Bank of India, Annual Report 2024-25, Chapter on Communication*
8. *Patra, M. D., Communicating Monetary Policy, BIS Review, 2024*

वित्तीय स्वर्ण नियम और भारतीय राज्य

यह लेख वित्तीय प्रबंधन के स्वर्ण नियम का पालन करने के लाभों को उजागर करता है, जिसमें राज्य राजस्व अधिशेष बनाए रखते हैं। राजस्व अधिशेष वाले राज्य, घाटे वाले राज्यों की तुलना में औसतन 1 प्रतिशत अंक अधिक जीएसडीपी वृद्धि दर प्राप्त करते हैं और उधारी का प्रभावी उपयोग संपत्ति निर्माण के लिए करते हैं। वित्तीय अनुशासन आवर्ती खर्चों के लिए ऋण पर निर्भरता को कम करता है, जिससे आर्थिक समुत्थानशीलता और वित्तीय स्थिरता में वृद्धि होती है। सतत विकास और ऋण संचय में कमी सुनिश्चित करने के लिए, राजस्व अधिशेष बनाए रखने हेतु लक्षित वित्तीय सुधारों को लागू करना और स्वर्ण नियम के पालन को बढ़ावा देना मुख्य नीति अनुशंसाओं में शामिल है।

परिचय

सरकारी व्यय की उचित संरचना प्रभावी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की आधारशिला है, जो यह तय करती है कि संसाधनों को राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच कैसे सबसे अच्छी तरह आवंटित किया जाए। राजस्व व्यय, जैसे वेतन, पेंशन और परिचालन लागत, तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, क्योंकि ये लाभार्थियों द्वारा एक विशिष्ट समय अवधि के भीतर उपभोग किए जाते हैं। इसके विपरीत, पूंजीगत व्यय—जैसे सड़कों और पुलों सहित बुनियादी ढांचे में निवेश—दीर्घकालिक होते हैं, जो कई पीढ़ियों तक लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए, उधारी को केवल ऐसे निवेशों के लिए सीमित करना चाहिए, क्योंकि उनके दीर्घकालिक लाभ लागत को पीढ़ियों के बीच साझा करने को उचित ठहराते हैं। यह दृष्टिकोण वित्तीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है, भविष्य पर वित्तीय बोझ स्थानांतरित करने के जोखिम को कम करता है, और पीढ़ीगत समानता को बढ़ावा देता है।





बिचित्रानंद सेठ, निदेशक और
कोवुरी आकाश यादव, प्रबंधक
आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

सार्वजनिक वित्त का "स्वर्ण नियम" इसी सिद्धांत को दर्शाता है, जिसके तहत सरकार को केवल पूंजीगत निवेश के लिए उधार लेना चाहिए, जबकि राजस्व व्यय को कर और अन्य राजस्व स्रोतों से वित्तपोषित करना चाहिए। इस नियम के तहत, सरकार को आर्थिक चक्र के दौरान औसतन एक संतुलित या अधिशेष चालू बजट बनाए रखना होता है—जो कि राजस्व और राजस्व व्यय का अंतर होता है—न कि इस शर्त को हर वर्ष पूरा करना (Institute for Fiscal Studies, 2022)। यह लचीलापन वित्तीय नीति को आर्थिक उतार-चढ़ाव के अनुसार ढालने की अनुमति देता है, जिससे खर्च को आर्थिक चक्रों के साथ संरेखित किया जा सके और कठोर प्रतिबंधों से बचा जा सके।

पीढ़ीगत समानता को बढ़ावा देने के अलावा, स्वर्ण नियम के व्यापक प्रभाव भी हैं। पहला, यह वित्तीय प्रतिबंध के समय पूंजी निवेश के खिलाफ अंतर्निहित पूर्वाग्रह को कम करता है। खर्च में कटौती का दबाव झेल रही सरकारें अक्सर पूंजीगत व्यय में कटौती को प्राथमिकता देती हैं, क्योंकि ऐसी कटौतियों का तत्काल प्रभाव मतदाताओं पर कम दिखाई देता है, जबकि राजस्व व्यय में कटौती अधिक स्पष्ट होती है। दूसरा, आर्थिक चक्र के दौरान स्वर्ण नियम का अनुपालन वित्तीय और मौद्रिक नीति के बीच समन्वय को बढ़ाता है। यह तब होता है जब मौद्रिक नीति नरम होती है और वित्तीय नीति को सख्त बनाने का जोखिम कम हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए बेहतर समन्वय संभव हो पाता है। तीसरा, स्वर्ण नियम व्यय की गुणवत्ता पर जोर देता है, उत्पादक पूंजी निवेश को बढ़ावा देता है और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए गैर-उत्पादक राजस्व व्यय को सीमित करता है। अंततः, उधारी को ऐसे परिसंपत्तियों से जोड़कर जो दीर्घकालिक रिटर्न उत्पन्न करती हैं, यह ऋण स्थिरता को सुरक्षित करता है और गैर-उत्पादक ऋण संचय को न्यूनतम करता है। राजस्व व्यय को चालू राजस्व से वित्तपोषित करने की आवश्यकता वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देती है, संरचनात्मक घाटे को रोकती है और एक मजबूत वित्तीय ढांचा सुनिश्चित करती है।

इसी संदर्भ में, यह लेख स्वर्ण नियम के सिद्धांतों का पालन करने के लिए राज्य सरकारों के दृष्टिकोण का विश्लेषण करता है और वित्तीय प्रबंधन के लिए प्रासंगिक नीतिगत निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

ऐतिहासिक अनुभव

हालांकि भारत में स्वर्ण नियम को औपचारिक रूप से लागू नहीं किया गया है, इसके सिद्धांत राज्यों को नियंत्रित करने वाले वित्तीय नियमों में अप्रत्यक्ष रूप से समाहित हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में लागू वित्तीय जिम्मेदारी अधिनियम (FRL) ने राजस्व घाटे को समाप्त करने और सकल वित्तीय घाटे (GFD) को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3 प्रतिशत पर सीमित करने का प्रावधान किया। यह ढांचा स्वर्ण नियम के साथ संरेखित है, क्योंकि यह संकेत देता है कि घाटा मुख्य रूप से पूंजी खाते की असंतुलन से उत्पन्न होना चाहिए, जहां पूंजीगत व्यय पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक हो, और अंतर को पाटने के लिए उधारी की आवश्यकता हो।

FRL ढांचे के तहत, 2006–07 से 2012–13 तक राज्यों ने अधिशेष या संतुलित राजस्व खाते बनाए रखे, सिवाय 2009–10 और 2010–11 के, जिन्हें वैश्विक वित्तीय संकट ने प्रभावित किया। इस अवधि के दौरान, आर्थिक वृद्धि में मंदी के कारण जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व में कमी आई, जबकि राजस्व व्यय में वृद्धि हुई, जिससे अस्थायी रूप से वित्तीय अनुशासन बाधित हुआ। हालांकि, 2012–13 के बाद, राज्यों ने लगातार राजस्व घाटा दर्ज किया। यह परिवर्तन बढ़ते राजस्व व्यय और स्थिर राजस्व प्राप्तियों के संयोजन के कारण हुआ, जो जीएसडीपी के 13–14 प्रतिशत की सीमा में बनी रहीं।

2020–21 में राजस्व घाटा अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया, जिसका कारण कोविड-19 महामारी का दोहरा प्रभाव था - राजस्व में तेज गिरावट और महामारी से संबंधित उपायों के कारण राजस्व व्यय में पर्याप्त वृद्धि। यह विकास संकटों के दौरान वित्तीय अनुशासन और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता के बीच सरकारों द्वारा सामना की जाने वाली संरचनात्मक चुनौतियों को उजागर करता है। हालांकि, कोविड के बाद के वर्षों में, राज्यों ने प्रशंसनीय वित्तीय सुदृढ़ीकरण का प्रदर्शन किया है, 2024–25 तक राजस्व घाटे को घटाकर जीएसडीपी के 0.2 प्रतिशत (बजट अनुमान) तक लाने में सफलता प्राप्त की है।

विश्लेषण के लिए डेटा

यह विश्लेषण 2005-06 से 2019-20 के बीच के प्रमुख राज्यों के डेटा पर आधारित है - आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। डेटा को 2019-20 तक सीमित रखा गया है, क्योंकि 2020-21 और 2021-22 असामान्य वर्ष थे, जो कोविड-19 से प्रभावित थे। ये डेटा वार्षिक प्रकाशन **"State Finances - A Study of Budgets"** के विभिन्न अंकों से लिए गए हैं।

स्वर्ण नियम और दीर्घकालिक जीएसडीपी वृद्धि

राजस्व खाते में अधिशेष बनाए रखने वाले राज्य दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करने में बेहतर स्थिति में होते हैं, क्योंकि वे अपनी उधारी को उत्पादक निवेश, विशेष रूप से भौतिक परिसंपत्तियों के निर्माण, में लगाते हैं। तालिका 1 के अनुसार, प्रमुख राज्यों की औसत पांच वर्षीय (चालू अवधि और अगले चार वर्षों का) जीएसडीपी वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत है, जिसमें अधिकतम वृद्धि दर 11.3 प्रतिशत दर्ज की गई। हालांकि, विस्तृत डेटा के विश्लेषण से एक स्पष्ट प्रवृत्ति सामने आती है - राजस्व अधिशेष वाले राज्यों की औसत जीएसडीपी वृद्धि दर राजस्व घाटे वाले राज्यों की तुलना में 1 प्रतिशत अंक अधिक होती है। इसके अतिरिक्त, दोनों समूहों के बीच अधिकतम वृद्धि दर में अंतर थोड़ा अधिक है, जो 1 प्रतिशत अंक से ऊपर है।

तालिका 1 - राज्यों की 5-वर्षीय (t+4 वर्ष) औसत GSDP वृद्धि

	अवलोकन	औसत	मानक विचलन	न्यूनतम	अधिकतम
सभी राज्य	224	6.6	1.8	2.5	11.3
जब राज्य राजस्व अधिशेष हों	127	7.0	1.7	2.8	11.3
जब राज्य राजस्व घाटे में हों	97	6.1	1.8	2.5	9.9

स्रोत - लेखकों के अनुमान।

स्वर्ण नियम और ऋण-जीएसडीपी अनुपात

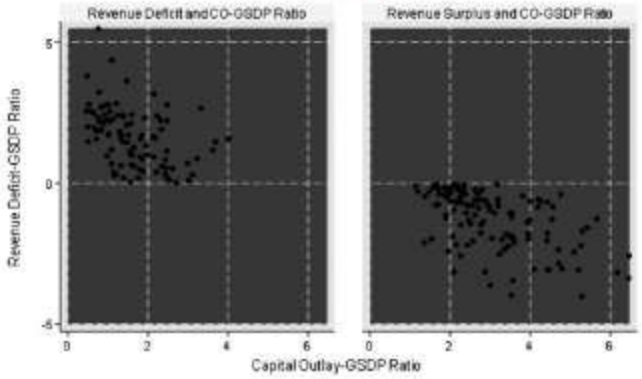
राजस्व अधिशेष वाले राज्य संचित ऋण के प्रबंधन में बेहतर स्थिति में होते हैं। ऐसे राज्य वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए उधारी का उपयोग आवर्ती खर्चों को वित्तपोषित करने से बचते हैं, जिससे उनकी ऋण पर निर्भरता कम हो जाती है। यह दृष्टिकोण उनकी मौजूदा वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को बढ़ाता है, नए ऋण के संचय को सीमित करता है और भविष्य में ब्याज लागत को कम करता है। नतीजतन, राजस्व अधिशेष वाले राज्य आर्थिक आघातों को संभालने और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में होते हैं।

स्वर्ण नियम और पूंजीगत व्यय

चार्ट 1 राजस्व घाटे और पूंजीगत व्यय-से-जीएसडीपी (CO-GSDP) अनुपात के बीच संबंध को दर्शाता है। उच्च राजस्व घाटे वाले राज्य,

सकल वित्तीय घाटे (GFD)-से-जीएसडीपी अनुपात पर FRL की सीमाओं का पालन करने और ऋण-से-जीएसडीपी अनुपात को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में, पूंजीगत व्यय में कटौती करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसलिए, राजस्व घाटे और CO-GSDP अनुपात के बीच नकारात्मक संबंध है। इसके विपरीत, राजस्व अधिशेष वाले राज्य पूंजीगत व्यय की ओर अधिक व्यय आवंटित करने की संभावना रखते हैं, जिससे उनके बीच एक सकारात्मक संबंध बनता है।

चार्ट 1 - पूंजीगत व्यय-जीएसडीपी अनुपात और राजस्व अधिशेष/घाटा



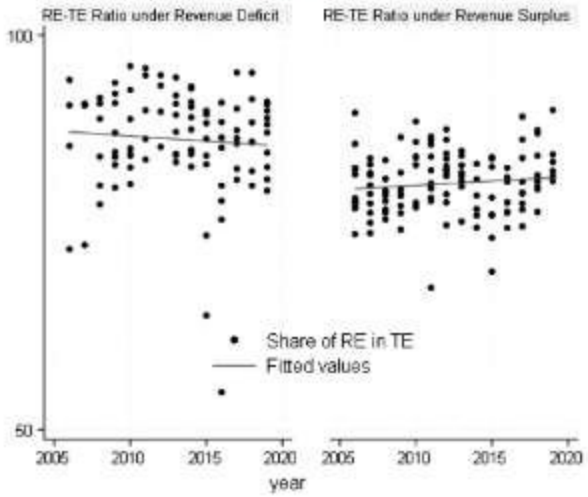
स्रोत - राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

स्वर्ण नियम और व्यय की गुणवत्ता

राजस्व और पूंजीगत व्यय का संतुलित मिश्रण सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, जो उच्च आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करते हुए वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में सहायक होता है। व्यय की गुणवत्ता का आकलन विभिन्न उपायों के माध्यम से किया जा सकता है, जिनमें से एक कुल व्यय में राजस्व व्यय के हिस्से का अनुपात है।

चार्ट 2 से पता चलता है कि राजस्व घाटे वाले राज्य अपने कुल व्यय का अधिक हिस्सा राजस्व व्यय पर आवंटित करते हैं, जबकि राजस्व अधिशेष वाले राज्य तुलनात्मक रूप से कम अनुपात प्रदर्शित करते हैं। यह प्रवृत्ति बेहतर वित्तीय प्रबंधन को दर्शाती है।

चार्ट 2 - कुल व्यय अनुपात के प्रति राजस्व व्यय और राजस्व अधिशेष/घाटा



स्रोत - राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

निष्कर्ष

राजस्व अधिशेष बनाए रखते हुए स्वर्ण नियम का पालन करने वाले राज्य उच्च जीएसडीपी वृद्धि प्राप्त करने और ऋण का सतत प्रबंधन करने में बेहतर स्थिति में होते हैं। राजस्व अधिशेष वाले राज्यों की औसत जीएसडीपी वृद्धि दर उनके घाटे वाले समकक्षों की तुलना में 1 प्रतिशत अंक अधिक होती है, और वे उधारी को प्रभावी रूप से परिसंपत्तियों के निर्माण में लगाते हैं। उनका वित्तीय अनुशासन आवर्ती खर्चों के लिए ऋण पर निर्भरता को कम करता है, जिससे आर्थिक आघातों के प्रति सुदृढ़ता बढ़ती है और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है।

उपरोक्त विश्लेषणात्मक अध्ययन से निम्नलिखित नीतिगत सिफारिश दिया जा सकते हैं। राज्यों को उत्पादक निवेश को प्राथमिकता देने के लिए लक्षित वित्तीय सुधारों को लागू कर राजस्व अधिशेष बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें ऋण संचय को कम करने, सतत विकास को बढ़ावा देने और आर्थिक सुदृढ़ता में सुधार के लिए स्वर्ण नियम के पालन को बढ़ावा देना चाहिए।

संदर्भ

RBI. State Finances - A Study of Budgets. Various issues.

The Institute for Fiscal Studies. 2007. The IFS Green Budget

https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/14929/1/14929.pdf

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI) 2025–30 - विकसित भारत के लिए वित्तीय समावेशन 2.0 का नया रोडमैप

भूमिका - क्या केवल बैंक खाता ही वित्तीय समावेशन है?

यदि आज किसी से पूछा जाए कि वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) का अर्थ क्या है, तो अधिकांश लोगों का उत्तर होगा—"हर व्यक्ति के पास बैंक खाता होना।" यह उत्तर एक दशक पहले तक काफी हद तक सही माना जा सकता था, क्योंकि उस समय भारत की सबसे बड़ी चुनौती करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना था। लेकिन आज वित्तीय समावेशन के मायने बदल गए है। खासकर तब जब प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY), आधार और मोबाइल के अभूतपूर्व समन्वय (JAM Trinity) ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहाँ सबसे तेज़ गति से करोड़ों नागरिक औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़े हैं।

लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या केवल बैंक खाता खोल देना वित्तीय समावेशन की अंतिम मंजिल है? क्या एक निष्क्रिय खाता, सीमित डिजिटल उपयोग, अपर्याप्त बीमा, कम पेंशन कवरेज और वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते जोखिम के बीच किसी व्यक्ति को वास्तव में वित्तीय रूप से समावेशित माना जा सकता है? इसी सोच का परिणाम है **राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI) 2025–30**, जो वित्तीय समावेशन को केवल पहुँच (Access) तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उपयोग (Usage), गुणवत्ता (Quality), ग्राहक सुरक्षा (Protection) और आर्थिक कल्याण (Wellbeing) को समान महत्व देती है।



सुधीर कुमार झा
मुख्य प्रबंधक (संकाय)
स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (एसबीआईआरडी), हैदराबाद

इसी कारण इसे **"वित्तीय समावेशन 2.0"** कहा जा सकता है। यह रणनीति बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से आगे बढ़कर प्रत्येक परिवार की वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय समुत्थानशीलता (Financial Resilience) और वित्तीय अनुशासन (Financial Discipline) को विकसित भारत 2047 की आधारशिला के रूप में स्थापित करती है।

भारत की वित्तीय समावेशन यात्रा - उपलब्धियों से नई आकांक्षाओं तक

पिछले एक दशक में भारत ने वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इन उपलब्धियों ने न केवल करोड़ों लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव भी तैयार की।

आकृति I.1: NSFI (2019-24) सामरिक स्तंभ



1. बैंक खाते का व्यापक विस्तार

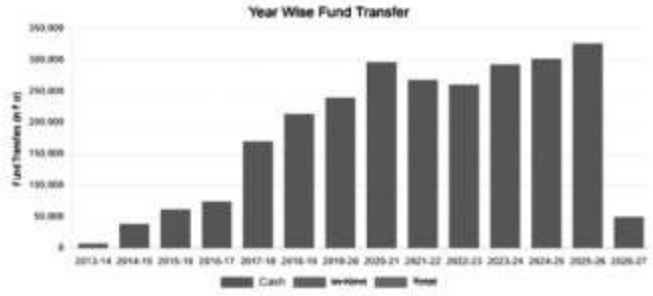
एक समय था जब देश की बड़ी आबादी औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से बाहर थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार भारत में वयस्कों के बीच बैंक खाता स्वामित्व लगभग **89 प्रतिशत** तक पहुँच चुका है, जबकि वर्ष 2011 में यह लगभग **53 प्रतिशत** था। यह परिवर्तन विश्व में वित्तीय समावेशन के सबसे सफल अभियानों में से एक माना जाता है।

यह उपलब्धि केवल बैंक खाते खोलने की संख्या नहीं दर्शाती, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक मुख्यधारा से करोड़ों नागरिकों के जुड़ने का प्रतीक भी है।

2. प्रधानमंत्री जनधन योजना - दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन अभियान - वर्ष 2014 में प्रारम्भ हुई प्रधानमंत्री जनधन योजना ने भारत के वित्तीय समावेशन अभियान को अभूतपूर्व गति प्रदान की। करोड़ों नए बैंक खातों के माध्यम से गरीब, ग्रामीण, महिला तथा वंचित वर्ग पहली बार औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बने। इन खातों ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), बीमा, पेंशन, डिजिटल भुगतान तथा लघु ऋण जैसी अनेक सेवाओं का प्रवेश द्वार खोला।

जनधन योजना ने यह सिद्ध किया कि उचित नीति, प्रौद्योगिकी और प्रशासनिक इच्छाशक्ति के समन्वय से वित्तीय समावेशन को जन-आंदोलन बनाया जा सकता है।

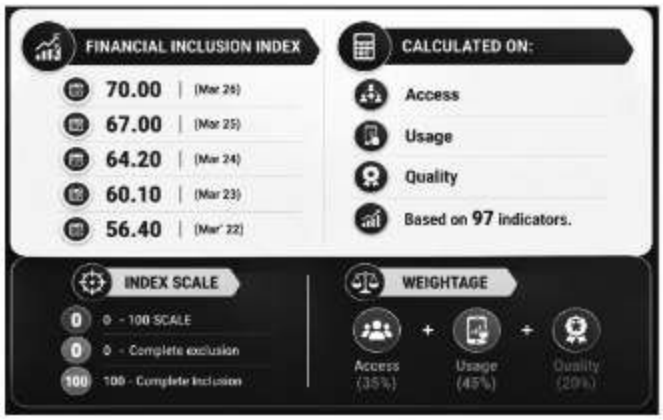
3. JAM Trinity - डिजिटल समावेशन की रीढ़ - जनधन खाते, आधार और मोबाइल का समन्वय—जिसे **JAM Trinity** कहा जाता है—भारत के वित्तीय समावेशन मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी त्रयी के माध्यम से सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) को प्रभावी बनाया और ₹38 लाख करोड़ से अधिक की सुविधा दी है, जिससे कल्याणकारी वितरण सुगम हुआ है ओर सही लाभार्थी को प्राप्त हुआ है। (स्रोत - https://dbtbharat.gov.in)



4. डिजिटल भुगतान - ग्लोबल फाइनेंसियल इंडेक्स के रिपोर्ट के मुताबिक जैम ट्रिनिटी और UPI (यूनिक पेमेंट इंटरफ़ेस) इकोसिस्टम ने डिजिटल पेमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारत अब वास्तविक-समय खुदरा डिजिटल भुगतान में विश्व में अग्रणी है। UPI के द्वारा ही अकेले 2025 में 15,000 करोड़ से अधिक लेन-देन संसाधित किए। भारतीय रिज़र्व बैंक – डिजिटल भुगतान सूचकांक (RBI-DPI) मार्च 2019 में 153.47 से बढ़कर मार्च 2025 में 493.22 हो गया, जो डिजिटल लेन-देन की संख्या, मूल्य और स्वीकार्यता में तेज़ वृद्धि का संकेत है। (स्रोत - NPCI डेटा, RBI, Global Findex database 2025)

5. अंतिम-छोर तक बैंकिंग सेवा की पहुँच - NSFI 2019-24 के तहत, 500+ परिवारों वाले चिन्हित गाँवों/बस्तियों में से 99.9% में 5 किमी के दायरे (या 15 मिनट यात्रा समय) में बैंकिंग पहुँच सुनिश्चित की जा चुकी है। (स्रोत - RBI / NSFI 2025-30 दस्तावेज़ समीक्षा।)

भारत की वित्तीय समावेशन यात्रा को सबसे बेहतर तरीके से आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index) के माध्यम से समझा जा सकता है। 2021 से 2026 के बीच वित्तीय समावेशन सूचकांक में लगभग 29.8% की वृद्धि हुई है, और यह वृद्धि तीनों उप-सूचकांकों — पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता — में दर्ज की गई है। इन सभी आँकड़ों को मिलाकर देखें तो स्पष्ट है कि भारत ने वित्तीय समावेशन की "पहुँच" संबंधी समस्या को काफी हद तक हल कर लिया है।



पिछले वर्षों के उल्लेखनीय उपलब्धियों के बावजूद अनेक चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे खाते हैं जिनका नियमित उपयोग नहीं हो रहा। बीमा और पेंशन योजनाओं की पहुँच अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँची है। डिजिटल भुगतान के विस्तार के साथ साइबर धोखाधड़ी, म्यूल अकाउंट, सोशल इंजीनियरिंग और पहचान चोरी जैसी नई चुनौतियाँ भी तेजी से बढ़ी हैं। दूसरी ओर, कई परिवार औपचारिक ऋण लेने के बावजूद वित्तीय योजना और ऋण प्रबंधन के अभाव में आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। यही कारण है कि अब वित्तीय समावेशन का उद्देश्य केवल बैंक खाते खोलना नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित, सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाना है।

NSFI 2019–24 से NSFI 2025–30 - क्या बदला?

यदि NSFI 2019–24 को वित्तीय समावेशन की **बुनियाद** कहा जाए, तो NSFI 2025–30 उसी भवन की **अगली मंजिल** है। पहली रणनीति का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं की पहुँच बढ़ाना था, जबकि नई रणनीति का उद्देश्य उन सेवाओं को लोगों के जीवन की गुणवत्ता से जोड़ना है।



यह तुलना स्पष्ट करती है कि नई रणनीति केवल पहले से चल रहे कार्यक्रमों का विस्तार नहीं है, बल्कि वित्तीय समावेशन की सोच में गुणात्मक परिवर्तन (Paradigm Shift) का प्रतिनिधित्व करती है।

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) 2.0 की शुरुआत

यदि पहला चरण **"हर हाथ में बैंक खाता"** था, तो दूसरा चरण **"हर परिवार में वित्तीय सुरक्षा, जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार और आर्थिक कल्याण"** है।

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI) 2025–30 इसी परिवर्तनकारी सोच का प्रतिनिधित्व करती है। यह केवल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार नहीं, बल्कि वित्तीय सेवाओं को लोगों के जीवन, आजीविका और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता से जोड़ने की व्यापक रणनीति प्रस्तुत करती है।

भारत की वित्तीय समावेशन यात्रा का पहला चरण मुख्यतः पहुँच (Access) सुनिश्चित करने पर केंद्रित था। इस चरण में बैंक शाखाओं, बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) नेटवर्क, प्रधानमंत्री जनधन योजना, डिजिटल भुगतान और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों नागरिकों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा गया। इन प्रयासों ने भारत को विश्व के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन अभियानों में अग्रणी स्थान दिलाया।

किन्तु जैसे-जैसे वित्तीय सेवाओं का विस्तार हुआ, यह स्पष्ट होने लगा कि केवल बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं है। अनेक खातों का सीमित उपयोग, बीमा एवं पेंशन उत्पादों की कम पहुँच, डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी, वित्तीय साक्षरता की कमी तथा आजीविका से वित्तीय सेवाओं का कमजोर जुड़ाव नई चुनौतियों के रूप में सामने आए। ऐसे में आवश्यकता थी कि वित्तीय समावेशन की अवधारणा को नए दृष्टिकोण से देखा जाए।

इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने **राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI) 2025–30** प्रस्तुत की, जो वित्तीय समावेशन को "बैंक खाते" से आगे बढ़ाकर "वित्तीय कल्याण (Financial Wellbeing)" के व्यापक लक्ष्य से जोड़ती है। यह रणनीति वित्तीय सेवाओं तक समान, जिम्मेदार, उपयुक्त और किफायती पहुँच सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके प्रभावी उपयोग, ग्राहक संरक्षण और दीर्घकालिक आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष बल देती है।

'पंच-ज्योति' - NSFI 2025–30 का रणनीतिक ढाँचा

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति 2025–30 का सबसे महत्वपूर्ण तत्व इसका **'पंच-ज्योति' (Panch-Jyoti)** ढाँचा है। यही पाँच रणनीतिक स्तंभ आगामी पाँच वर्षों के लिए भारत की वित्तीय समावेशन यात्रा की दिशा तय करेंगे । इन पाँच स्तंभों के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि आने वाले वर्षों में वित्तीय समावेशन का मूल्यांकन केवल बैंक खाते या शाखाओं की संख्या से नहीं, बल्कि नागरिकों के आर्थिक कल्याण, वित्तीय सुरक्षा और जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार के आधार पर किया जाएगा।

1. प्रथम ज्योति - समान, जिम्मेदार और किफायती वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच

- वित्तीय समावेशन का पहला उद्देश्य केवल बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुरूप सुरक्षित, उपयुक्त और किफायती वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर सके।
- रणनीति के अंतर्गत प्रत्येक **Revenue Centre*** तक कम से-कम एक बैंकिंग आउटलेट (शाखा, डिजिटल बैंकिंग यूनिट या बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट) उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही डिजिटल भुगतान प्रणाली का विस्तार कर **एक अरब उपयोगकर्ताओं** तक पहुँच बनाने की

परिकल्पना की गई है। डिजिटल ऋण वितरण हेतु **Unified Lending Interface (ULI)** तथा **Central Bank Digital Currency (CBDC)** जैसे नवाचारों का उपयोग भी इसी उद्देश्य का हिस्सा है।

- इसका सीधा अर्थ है कि भविष्य में बैंकिंग सेवाओं की सफलता का आकलन केवल "कितनी शाखाएँ हैं" से नहीं, बल्कि "कितने लोग सुरक्षित एवं प्रभावी रूप से सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं" से किया जाएगा।

(* ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के साइज़ के आधार पर, एक रेवेन्यू सेंटर को रूरल, सेमी-अर्बन, अर्बन या मेट्रोपॉलिटन में बांटा जाता है - रूरल -आबादी 10,000 से कम। सेमी-अर्बन - 10,000 और उससे ज़्यादा और 1 लाख से कम। अर्बन - 1 लाख और उससे ज़्यादा और 10 लाख से कम। मेट्रोपॉलिटन - 10 लाख और उससे ज़्यादा)

2. द्वितीय ज्योति - महिला-नेतृत्व वाला वित्तीय समावेशन

- विश्व अनुभव यह दर्शाता है कि जब महिलाएँ औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ती हैं, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार और समुदाय पर पड़ता है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए NSFI 2025–30 ने महिलाओं को वित्तीय समावेशन के केंद्र में रखा है।
- रणनीति के अंतर्गत **महिला बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट (BC)** की भागीदारी को बढ़ाकर कम-से-कम **30 प्रतिशत** करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं तथा कमजोर वर्गों के लिए जीवन, स्वास्थ्य एवं संपत्ति बीमा जैसे समेकित (Bundled) वित्तीय उत्पाद विकसित करने पर भी बल दिया गया है। आधार-सीडेड बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA) में डिफ़ॉल्ट ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध कराने की परिकल्पना भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- महिला-नेतृत्व वाला वित्तीय समावेशन केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं है; यह आर्थिक विकास और परिवारों की वित्तीय स्थिरता का भी महत्वपूर्ण आधार है।

3. तृतीय ज्योति - आजीविका, कौशल और वित्तीय सेवाओं का एकीकरण

- NSFI 2025–30 की सबसे अभिनव विशेषताओं में से एक है—**वित्तीय समावेशन को आजीविका और कौशल विकास से जोड़ना**।
- अब बैंकिंग सेवाओं का उद्देश्य केवल बचत खाता खोलना या ऋण उपलब्ध कराना नहीं रहेगा। लक्ष्य यह है कि कौशल विकास, उद्यमिता, स्वरोजगार, कृषि एवं सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सेवाओं के साथ एकीकृत किया जाए।
- रणनीति के अनुसार **Skill India Digital Hub** के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण संबंधी जानकारी का एकीकरण तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है। साथ ही कौशल प्राप्त युवाओं को बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर की ऋण योजनाओं (Potential Linked Plans) में उपयुक्त प्रावधान सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है।
- यह दृष्टिकोण वित्तीय समावेशन को आय-सृजन, रोजगार और आर्थिक उत्पादकता से जोड़ता है, जो विकसित भारत 2047 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

4. चतुर्थ ज्योति - वित्तीय शिक्षा से वित्तीय अनुशासन तक

- वित्तीय समावेशन का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा जब नागरिक सही वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम होंगे।
- इसीलिए NSFI 2025–30 पारंपरिक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों से आगे बढ़कर **व्यवहार आधारित वित्तीय शिक्षा** पर बल देती है। इसका उद्देश्य नागरिकों में नियमित बचत, जिम्मेदार ऋण उपयोग, समय पर पुनर्भुगतान, बीमा एवं पेंशन के प्रति जागरूकता तथा दीर्घकालिक वित्तीय योजना जैसी आदतों का विकास करना है।
- रणनीति में विशेष रूप से यह सुझाव दिया गया है कि परिवारों की मासिक ऋण अदायगी उनकी आय के एक संतुलित स्तर के भीतर रहे तथा वरिष्ठ नागरिकों, प्रवासी श्रमिकों एवं दिव्यांगजनों जैसे विशिष्ट समूहों के लिए लक्षित वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए जाएँ।
- वास्तव में वित्तीय अनुशासन ही वित्तीय समावेशन को स्थायी बनाता है।

5. पंचम ज्योति - ग्राहक संरक्षण और विश्वास निर्माण

- डिजिटल बैंकिंग के युग में ग्राहक संरक्षण वित्तीय समावेशन का अनिवार्य घटक बन गया है।

- साइबर अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी, फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, म्यूल अकाउंट और भ्रामक डिजिटल डिज़ाइन (Dark Patterns) जैसी चुनौतियों ने ग्राहक सुरक्षा के महत्व को कई गुना बढ़ा दिया है।
- NSFI 2025–30 शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक सरल, सुलभ और प्रभावी बनाने पर बल देती है। मिस्ड कॉल आधारित शिकायत सुविधा, डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म (DPIP) तथा उभरते तकनीकी जोखिमों से ग्राहकों की सुरक्षा जैसे उपाय इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं।
- ग्राहकों का विश्वास ही वित्तीय प्रणाली की सबसे बड़ी पूंजी है, और यही विश्वास वित्तीय समावेशन को दीर्घकालिक सफलता प्रदान करेगा।

वित्तीय समावेशन 2.0 में बैंकों की भूमिका - सेवा प्रदाता से 'Financial Wellbeing Partner' तक

- राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति की सफलता का सबसे बड़ा दायित्व बैंकिंग प्रणाली पर है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs), लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक तथा सहकारी बैंक इस परिवर्तन के प्रमुख क्रियान्वयनकर्ता होंगे।
- अब बैंकों की भूमिका केवल खाते खोलने, ऋण देने अथवा डिजिटल भुगतान उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगी। उन्हें ग्राहकों के **Financial Wellbeing Partner** के रूप में कार्य करना होगा। इसका अर्थ है कि बैंक ग्राहकों को उनकी जीवन-चक्र आधारित वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप बचत, ऋण, बीमा, पेंशन और निवेश संबंधी समग्र समाधान उपलब्ध कराएँ।

BC-CSP नेटवर्क - अंतिम छोर तक पहुँच का सबसे सशक्त माध्यम

- भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट (BC-CSP) नेटवर्क वित्तीय समावेशन की रीढ़ है। लाखों ग्रामीण नागरिकों के लिए BC ही बैंक का पहला और सबसे विश्वसनीय संपर्क बिंदु हैं।
- NSFI 2025–30 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में BC नेटवर्क की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होगी। भविष्य का BC केवल नकद जमा एवं निकासी का माध्यम नहीं रहेगा, बल्कि वह डिजिटल भुगतान, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, बीमा, पेंशन, वित्तीय शिक्षा और ग्राहक संरक्षण का स्थानीय सलाहकार भी बनेगा।
- इस संदर्भ में BCs के नियमित प्रशिक्षण, डिजिटल क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा जागरूकता और सेवा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा।

फिनटेक - समावेशन का नया सहयोगी

- भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने फिनटेक कंपनियों के लिए वित्तीय समावेशन में अभूतपूर्व अवसर प्रदान किए हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, वैकल्पिक क्रेडिट मूल्यांकन, डिजिटल ऑनबोर्डिंग, वीडियो KYC और ULI जैसे नवाचार छोटे ग्राहकों तक वित्तीय सेवाओं की पहुँच आसान बना रहे हैं।
- हालाँकि, यह भी आवश्यक है कि नवाचार के साथ ग्राहक सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और जिम्मेदार डिजिटल ऋण वितरण को समान महत्व दिया जाए। बैंक और फिनटेक के बीच सहयोगात्मक मॉडल ही भविष्य के वित्तीय समावेशन को गति देगा।

कार्यान्वयन की चुनौतियाँ - Financial Inclusion 2.0 की वास्तविक परीक्षा

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI) 2025–30 ने आगामी पाँच वर्षों के लिए एक स्पष्ट और दूरदर्शी रोडमैप प्रस्तुत किया है। किंतु किसी भी नीति की सफलता उसकी घोषणा से नहीं, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन से निर्धारित होती है। भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहे देश में इस रणनीति के समक्ष कई व्यावहारिक चुनौतियाँ भी हैं।

1. निष्क्रिय खातों से सक्रिय वित्तीय सहभागिता तक

प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत करोड़ों बैंक खाते खोले गए हैं, परंतु सभी खातों का नियमित उपयोग सुनिश्चित करना अभी भी चुनौती है। Financial Inclusion 2.0 का उद्देश्य केवल खातों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें बचत, बीमा, पेंशन, डिजिटल भुगतान और ऋण जैसी सेवाओं से सक्रिय रूप से जोड़ना है।

2. डिजिटल समावेशन के साथ साइबर सुरक्षा

भारत में डिजिटल भुगतान की तीव्र वृद्धि के साथ साइबर अपराधों का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। म्यूल अकाउंट, फिशिंग, विशिंग, QR कोड धोखाधड़ी, सोशल इंजीनियरिंग और डीपफेक जैसी नई चुनौतियाँ ग्राहकों के विश्वास को प्रभावित कर सकती हैं। अतः वित्तीय समावेशन की अगली यात्रा डिजिटल सुरक्षा के बिना अधूरी रहेगी।

3. वित्तीय साक्षरता से व्यवहार परिवर्तन तक

वित्तीय उत्पादों की जानकारी देना पर्याप्त नहीं है। आवश्यक यह है कि लोग नियमित बचत करें, अपनी आय के अनुरूप ऋण लें, बीमा एवं पेंशन को प्राथमिकता दें और डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित उपयोग करें। इसलिए व्यवहार-आधारित वित्तीय शिक्षा (Behavioural Financial Education) को बैंकिंग प्रणाली की मुख्यधारा में लाना होगा।

4. BC-CSP नेटवर्क की क्षमता वृद्धि

बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क वित्तीय समावेशन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। भविष्य में BC केवल लेन-देन सुविधा प्रदाता नहीं, बल्कि वित्तीय सलाहकार, डिजिटल प्रशिक्षक और ग्राहक संरक्षण के प्रथम प्रहरी के रूप में कार्य करेंगे। इसके लिए उनके प्रशिक्षण, डिजिटल कौशल, साइबर सुरक्षा जागरूकता और सेवा गुणवत्ता में सतत निवेश आवश्यक होगा।

5. समन्वित कार्यान्वयन की आवश्यकता

NSFI 2025–30 की सफलता केवल बैंकों की जिम्मेदारी नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, नाबार्ड, सिडबी, एनपीसीआई, बैंकों, फिनटेक कंपनियों, बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क, स्वयं सहायता समूहों और नागरिक समाज—सभी हितधारकों के समन्वित प्रयास ही इस रणनीति को व्यवहारिक सफलता दिला सकते हैं।

निष्कर्ष - विकसित भारत की वित्तीय आधारशिला

पिछले एक दशक में भारत ने वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियाँ हासिल की हैं। जनधन योजना, JAM Trinity, UPI, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल ने करोड़ों नागरिकों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़कर वैश्विक स्तर पर भारत की एक विशिष्ट पहचान बनाई है। अब समय इस उपलब्धि को अगले चरण में ले जाने का है।

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI) 2025–30 इसी परिवर्तन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह स्पष्ट संदेश देती है कि भविष्य का वित्तीय समावेशन केवल बैंक खाते खोलने का अभियान नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सुरक्षित, सक्षम, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने का राष्ट्रीय मिशन होगा।

यदि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने भारत को **"हर परिवार तक बैंकिंग"** पहुँचाई, तो NSFI 2025–30 का लक्ष्य **"हर परिवार तक वित्तीय कल्याण"** पहुँचाना है। यही **Financial Inclusion 2.0** की वास्तविक पहचान है।

जब बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट, फिनटेक कंपनियाँ, नियामक संस्थाएँ और सरकार इस साझा दृष्टि के साथ कार्य करेंगे, तब वित्तीय समावेशन केवल एक नीति नहीं रहेगा, बल्कि भारत की सामाजिक-आर्थिक प्रगति का सबसे प्रभावी माध्यम बन जाएगा।

विकसित भारत 2047 का सपना केवल उच्च आर्थिक संवृद्धि दर से नहीं, बल्कि ऐसे समाज से साकार होगा जहाँ प्रत्येक नागरिक सुरक्षित, समावेशी और सशक्त वित्तीय व्यवस्था का सक्रिय भागीदार हो। NSFI 2025–30 उसी भविष्य की ओर भारत की निर्णायक और दूरदर्शी छलांग है।

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI) 2025–30 प्रमुख संदेश



संदर्भ

1. *भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI) 2025–30*
2. *भारतीय रिज़र्व बैंक, Financial Inclusion Index*
3. *भारतीय रिज़र्व बैंक, Digital Payments Index*
4. *विश्व बैंक, Global Findex Database*
5. *वित्तीय सेवा विभाग, प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) Dashboard*
6. *NPCI, UPI एवं डिजिटल भुगतान सांख्यिकी*

बैंकिंग व्यवसाय और साइबर सुरक्षा की चुनौती

अर्थ मनुष्य के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि अर्थ के द्वारा ही उसकी समस्त क्रियाएं संचालित होती हैं। अर्थ की इसी महत्ता को देखते हुए राजा भर्तृहरि ने कहा था- " सर्वे गुणा - काञ्चनमाश्रयन्ति"।[1] अर्थ का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही पुराना अर्थ और अपराध का संबंध भी है। पुरातन काल में जब विनिमय का माध्यम अनाज या गायें हुआ करती थीं तो उस समय इन चीज़ों की चोरी होती थी। जब सोने-चाँदी और बहुमूल्य रत्नों का दौर आया तो अधिकतर लूटपाटें इन बहुमूल्य धातुओं और उनसे बने आभूषणों, बर्तनों, सिंहासनों आदि को हथियाने को लेकर होने लगीं। मुग़लकाल में बादशाहों ने जब सोने-चाँदी के सिक्के चलाए तो लोगों ने उनसे मिलते-जुलते नकली सिक्के चलाने शुरू कर दिए। जब काग़ज़ी मुद्रा का चलन शुरू हुआ तो धोखेबाजों ने जाली मुद्रा चलानी शुरू कर दी। कहने का आशय यह है कि धन-दौलत को अनुचित तरीके से हड़पने का सिलसिला उतना ही पुराना है जितनी कि मानव सभ्यता। हालांकि अब तक के सफर में जो खास बात थी, वह यह थी कि धन-दौलत हड़पने के लिए आक्रांता/लुटेरे को धन तक भौतिक पहुँच बनानी पड़ती थी, किन्तु जबसे डिजिटल लेनदेन का दौर शुरू हुआ, अपराधियों को मौके पर जाने की ज़रूरत भी न रही। वे दुनिया के किसी भी कोने से घटना को अंजाम देने में सक्षम हो गए। साइबर अपराधों की इसी गंभीरता को देखते हुए सिस्को के भूतपूर्व सीईओ जान चेंबर्स कहते हैं - "केवल दो प्रकार के संगठन हैं, एक वे जो हैक कर लिए गए हैं और दूसरे वे जो यह नहीं जानते कि उन्हें हैक कर लिया गया है"।[2] चूँकि बैंक विशुद्ध रूप से अर्थ से जुड़ा कारोबार करते हैं, अतएव, उनका और उनके ग्राहकों का साइबर अपराधियों के निशाने पर रहना स्वाभाविक है। बैंकिंग व्यवसाय में साइबर सुरक्षा की चुनौती पर चर्चा के पूर्व साइबर अपराध को समझ लेना प्रासंगिक होगा।



डॉ. संजय कुमार
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ

साइबर अपराध क्या है?

'साइबर' शब्द की उत्पत्ति 'साइबरनेटिक्स' से हुई है, जो मूलत: जीवित प्राणियों और मशीनों के बीच संचार और नियंत्रण प्रणालियों के अध्ययन की एक शाखा थी। समय के साथ-साथ 'साइबर' की संकल्पना में बदलाव आया और अब इसका आशय 'सूचना प्रौद्योगिकी' से है। वर्तमान में कोई भी चीज़ जो कम्प्यूटिंग और इंटरनेट से संबंधित है, साइबर की श्रेणी में रखी जा सकती है। वहीं, साइबर अपराध का आशय ऐसे गैर-कानूनी कृत्यों से है जो सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके किए जाते हैं।

शुरू-शुरू में साइबर अपराध शरारती तत्वों द्वारा शौकिया तौर पर किए जाते थे, पर आजकल ये उद्दण्ड राष्ट्रों द्वारा प्रायोजित भी होते हैं, और इन अपराधों का प्रमुख मकसद धन हड़पना, किसी प्रणाली को ध्वस्त कर देना, सिस्टम को हैक कर लेना, फिरौती मांगना, बदनाम करना, काबिलियत साबित करना, शोहरत पाना आदि होता है। बैंकिंग जगत में ये अपराध मुख्यत - धन हड़पने की लालसा से किए जाते हैं। साइबर सुरक्षा की चुनौती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले वर्ष 2025 में भारत में साइबर धोखाधड़ी के 28.15 लाख मामले रिपोर्ट किए गए जो पिछले वर्ष के मुकाबले 24% अधिक हैं। इन मामलों में पीड़ितों ने ₹22495 करोड़ गवाएं [3],[4]।

बैंकिंग व्यवसाय में साइबर सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

प्रौद्योगिकी ने जहाँ एक ओर "कभी भी, कहीं भी बैंकिंग" का सपना साकार किया है, तो वहीं जोखिम की संभावना भी हर समय और हर

[1] भर्तृहरि, नीति शतकम्
[2] https://dynamicbusiness.com, accessed on 20 Oct 2025
[3] The Print/Feb21, 2026
[4] https://www.business-standard.com/india-news/citizens-lost-over-22-845-crore-to-cyber-criminals-in-2024-govt-tells-ls-25072200883_1.html

जगह से पैदा की है। आज बैंकिंग में साइबर अपराध के कितने स्वरूप हो सकते हैं, यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रत्येक नई घटना एक नए स्वरूप को उजागर करती है और हर नई घटना एक नई चुनौती की ओर इशारा करती है। तथापि ज्ञात मामलों के आधार पर कुछ प्रमुख चुनौतियों का खाका अवश्य खींचा जा सकता है -

मैलवेयर

मैलवेयर 'malicious' और 'software' के मेल से बना एक मिश्र शब्द है। हैकर्स वित्तीय सेवाओं पर साइबर हमले के लिए दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर (मैलवेयर) का उपयोग करते हैं। यह हमलावर को नेटवर्क और उससे जुड़े किसी भी उपकरण तक पहुँच प्राप्त करने, डेटा चुराने और सिस्टम को नुकसान पहुँचाने में सक्षम बनाता है। मैलवेयर कई रूपों में आता है, जिनमें स्पाइवेयर, ट्रोजन, वायरस और वर्म्स प्रमुख हैं। मैलवेयर के जरिए अब तक का सबसे बड़ा हमला जनवरी 2009 में हार्टलैंड पेमेंट सिस्टम्स का कार्ड डेटा-ब्रीच था जिसमें हमलावरों ने हार्टलैंड की कारपोरेट वेबसाइट पर SQL injection vulnerability के माध्यम से पहुँच प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कंपनी के भुगतान प्रोसेसिंग नेटवर्क पर मैलवेयर स्थापित कर दिया जो लेनदेन होते ही कार्ड नंबर, नाम, एक्सपायरी तिथि और सुरक्षा कोड सहित संवेदनशील जानकारी कैप्चर करने लगा। वीज़ा और मास्टरकार्ड द्वारा संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने के बाद कंपनी को इस डेटा-ब्रीच की जानकारी हुई, किंतु तब तक लगभग 130 मिलियन कार्ड प्रभावित हो चुके थे। इसके चलते हार्टलैंड को लगभग $200 मिलियन का हर्जाना देना पड़ा। मई 2025 में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के सर्वर में सीधे घुसपैठ की बजाय एक खाताधारक के मोबाइल फोन को मैलवेयर के जरिए निशाना बनाया गया और उसे झाँसा देकर उसके मोबाइल में 'HimPaisa' नामक एक दुर्भावनापूर्ण एप्लीकेशन डाउनलोड करा दिया गया। जैसे ही ग्राहक ने उस ऐप को इंस्टाल किया, जालसाजों को ग्राहक के मोबाइल का रिमोट ऐक्सेस प्राप्त हो गया और उन्होंने उसके क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके बैंक के इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम में अनधिकृत रूप से प्रवेश किया और बैंकिंग सर्वर की सुरक्षा प्रणालियों को बायपास करते हुए ऑनलाइन बैंकिंग प्रणाली को हाइजैक कर लिया। फिर नेफ्ट और आरटीजीएस के जरिए 20 म्यूल खातों में ₹11.55 करोड़ की राशि अंतरित कर ली।

रैनसमवेयर

रैनसमवेयर 'रैनसम' और 'मैलवेयर' के मेल से बना एक मिश्र शब्द है। इसमें मैलवेयर के जरिए टारगेट कंप्यूटर/सिस्टम को या तो लॉक कर दिया जाता है अथवा उनकी फाइलों को इंक्रिप्ट कर दिया जाता है। फिर उन्हें अनलॉक/डिक्रिप्ट करने के एवज़ में एक मोटी धनराशि की मांग की जाती है। यह एक तरह से अपहरण और फिरौती मांगना जैसा है। ज्यादातर मामलों में फिरौती की मांग बिट क्वॉयन में की जाती है, क्योंकि यह एक इंक्रिप्टेड करेंसी है और इसके स्रोत और गंतव्य का पता लगा पाना मुश्किल होता है। रैनसमवेयर आज दुनिया के सामने एक बड़ा साइबर खतरा बनकर उभर रहा है। 12 मई 2017 को WannaCry नामक रैनसमवेयर ने देखते ही देखते दुनिया के दो लाख कंप्यूटरों को अपनी चपेट में ले लिया था जिसमें भारत के कुछ बैंक और गुजरात एवं तमिलनाडु के कुछ इंटरप्राइजेज़ भी शामिल थे।

डीडीओएस अटैक (Distributed Denial of service)

इस प्रकार के साइबर हमले में किसी कंप्यूटर या नेटवर्क पर कई स्रोतों/स्थलों, खासकर बाट्नेट्स (संक्रमित कंप्यूटरों का एक बड़ा नेटवर्क) से हमला किया जाता है। चूँकि इनकमिंग ट्रैफिक हज़ारों जगह से आ रहा होता है, अतएव, कंप्यूटर सिस्टम के लिए किसी खास आईपी एड्रेस को ब्लॉक करना मुश्किल होता है। इस क्रम में हमलावर ट्रोजन जैसे खतरनाक वायरसों को प्रवेश कराने में सक्षम हो जाते हैं। दूसरे, इतने अधिक ट्रैफिक के कारण बैंडविड्थ खत्म हो जाती है, लिहाजा संबंधित ऑनलाइन सेवा या तो धराशायी हो जाती है अथवा बेहद मंद पड़ जाती है। इस प्रकार के बड़े हमलों में 28 फरवरी 2022 को मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज और रूस के सबसे बड़े बैंक सर्बैंक (Sberbank) पर हुआ हमला था जिसमें उनकी वेबसाइटें ऑफ़लाइन हो गई थीं। दिसंबर 2025 में 'Aisuru-Kimwolf' बॉटनेट के द्वारा 31.4 TBPS का अब तक का सबसे तेज हमला किया गया जिसमें अमेरिका, चीन, हांगकांग, जर्मनी, ब्राज़ील और यूके स्थित टेलीकॉम, आईटी और क्लाउड एवं गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने वाले सेवा प्रदाताओं को निशाना बनाया गया।

फिशिंग

फिशिंग एक तरह की ई-मेल होती है, जो देखने में अधिकृत संस्था द्वारा भेजी गई लगती है और इसमें यूज़र को दिए गए लिंक, जो

आधिकारिक वेबसाइट का सा प्रतीत होता है, पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही यूज़र लिंक पर अपनी व्यक्तिगत पहचान का विवरण भरता है, उसकी सारी सूचनाओं की ऑनलाइन चोरी हो जाती है और इनका प्रयोग धोखाधड़ी के लिए किया जाता है। वर्ष 2013 से 2015 के बीच फ़ेसबुक और गूगल को फ़िशिंग हमले (व्हेलिंग) में लगभग 10 करोड़ डॉलर का चूना लगा था जिसमें लिथुआनिया के एक व्यक्ति, इवाल्डस रिमासौस्कस ने क्वांटा नामक एक ताइवानी कंपनी की छद्म आईडी से फेसबुक तथा गूगल को फ़र्ज़ी बिल भेजकर भुगतान प्राप्त कर लिया था। ऐसा ही एक अन्य फिशिंग हमला वर्ष 2016 में बेल्जियम में हुआ, जहाँ साइबर हमलावरों ने वहाँ के क्रेलन बैंक (Crelan Bank)के सीईओ के फर्जी ईमेल के जरिए वित्त विभाग को अनुदेश भेजकर $75.8 मिलियन विदेश में स्थानांतरित करा लिए थे। अगस्त 2025 में साइबर सुरक्षा कंपनी McAfee ने एसबीआई कार्ड, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे भारतीय वित्तीय संस्थानों के नाम पर फर्जी मोबाइल एप्लिकेशन होने का खुलासा किया और इस अभियान की जानकारी Google को दी, जिसके बाद संबंधित दुर्भावनापूर्ण एप्लिकेशन और सेवाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

स्मिशिंग

स्मिशिंग 'एसएमएस' और 'फिशिंग' से मिलकर बना शब्द है। इसमें ग्राहक के फोन पर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से कदम-दर-कदम भेजे गए संदेशों के जरिए पहले तो उसे विश्वास में लिया जाता है, फिर बड़ी चालाकी से उससे गोपनीय बैंकिंग जानकारी हासिल की जाती है अथवा किसी दिए गए लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही स्मिशर के पास ग्राहक के क्रेडिट कार्ड, बैंक विवरण और पासवर्ड आदि की जानकारी आ जाती है, वह चूना लगा देता है।

विशिंग

विशिंग 'वॉयस' और 'फिशिंग' से मिलकर बना शब्द है। इसमें टेलीफोन के जरिए ग्राहक के खाते में असामान्य घटना की सूचना दी जाती है और फिर बड़ी चालाकी से उससे गोपनीय जानकारी हासिल कर ली जाती है। बैंकिंग क्षेत्र में विशिंग का एक बड़ा मामला वर्ष 2019 का डीपफेक सीईओ विशिंग स्कैम था, जिसमें साइबर अपराधियों ने एआई-संचालित वॉयस क्लोनिंग के द्वारा यूके की ऊर्जा कंपनी के सीईओ की आवाज़ की नकल करके कंपनी के कर्मचारी से हंगरी के एक सप्लायर को 220,000 यूरो से अधिक की राशि वायर ट्रांसफर करा ली। वर्तमान में लार्ज लैंग्वेज मॉडल की मदद से तैयार एआई-संचालित डीपफेक ऑडियो एवं वीडियो एक बहुत बड़ी साइबर चुनौती है। अगस्त-सितंबर 2025 में ऐसी ही एक घटना दिल्ली में सेवानिवृत्त बैंकर के साथ हुई जिसमें विशिंग और डिजिटल अरेस्ट के जरिए अपराधियों ने उनसे लगभग ₹ 22.92 करोड़ ट्रांसफर करा लिए।

एटीएम स्किमिंग एवं प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस से साइबर ठगी

एटीएम आज न केवल कैश डिलीवरी का महत्वपूर्ण साधन हैं, बल्कि अंतरण, बिल पेमेंट, शॉपिंग जैसी तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड रूपी प्लास्टिक मनी से आज हम वे सारे काम कर पा रहे हैं जो कागजी मुद्रा से संभव थे। अतएव, मुद्रा के इस नए स्वरूप में धोखाधड़ी की संभावनाएं लाज़िमी हैं। धोखाधड़ी सामान्य किस्म की भी हो सकती है और हाईटेक भी। सामान्य किस्म की धोखाधड़ी के उदाहरण हैं- कार्ड चोरी कर लेना/कार्ड की अदला-बदली करना और फिर पिन पता करके पैसा निकाल लेना अथवा कार्ड नंबर, सीवीवी और पिन की जानकारी जुटाकर ऑनलाइन लेनदेन करना। स्किमिंग/कार्ड क्लोनिंग जैसे हाईटेक तरीकों से भी धोखाधड़ी को अंजाम दिया जाता है। इसमें आपराधिक तत्व एटीएम/पीओएस पर ऐसी स्किमिंग डिवाइस/ सॉफ्टवेयर संस्थापित कर देतें हैं जो कार्ड की चुम्बकीय पट्टी की सारी सूचना कॉपी कर लेता है। फिर इसे नए कार्ड की चुम्बकीय पट्टी में ट्रांसफर कर दिया जाता है और डुप्लीकेट कार्ड तैयार कर पैसा निकाल लिया जाता है या शॉपिंग कर ली जाती है।

यूपीआई से जुड़ी साइबर धोखाधड़ियाँ

यूपीआई के बढ़ते चलन के साथ साइबर धोखाधड़ियाँ भी बढ़ी हैं। हालांकि यह बहुत सुरक्षित है, तथापि साइबर अपराधी उपयोगकर्ताओं से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक हथकंडे अपनाते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख तरीके हैं -

- **रेक्वेस्ट मनी फ्रॉड** - इसमें धोखेबाज़ ओएलएक्स या क्विकर जैसी ई-कॉमर्स साइटों पर खरीदार बनकर धोखाधड़ी करते हैं। वे विक्रेता को एक "कलेक्शन रिक्वेस्ट" भेजते हैं और

भुगतान "प्राप्त" करने के लिए अपना यूपीआई पिन डालने को कहते हैं। पिन डालते ही विक्रेता के खाते से धोखेबाज़ के खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

- **रिमोट स्क्रीन मिररिंग** - इसमें साइबर ठग बैंकर या ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बनकर फ़ोन करते हैं और यूज़र को AnyDesk या TeamViewer जैसे रिमोट-एक्सेस ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। इन ऐप को डाउनलोड करते ही साइबर ठग का यूज़र के फ़ोन पर पूरा नियंत्रण हो जाता है और वह मनमाने तरीके से धोखाधड़ी को अंजाम देता है।
- **नकली कस्टमर सपोर्ट** - साइबर ठग बैंक या यूपीआई ऐप्स के लिए ऑनलाइन नकली हेल्पलाइन नंबर सेट कर देते हैं। जब कोई यूज़र मदद के लिए कॉल करता है, तो धोखेबाज़ उससे संवेदनशील जानकारी प्राप्त करते हैं और समस्या के "समाधान" हेतु कोई दुर्भावनापूर्ण ऐप डाउनलोड कराकर चपत लगाते हैं।
- **नकली क्यूआर कोड** - इसमें धोखेबाज़ यूज़र को पैसे प्राप्त करने के लिए एक क्यूआर कोड भेजते हैं और उसे स्कैन करके अपना पिन डालने के लिए कहते हैं। पिन डालते ही यूज़र के खाते से धोखेबाज़ को भुगतान हो जाता है।

तृतीय पक्ष की विफलता से जुड़े साइबर ख़तरे

बैंक आज नेटबैंकिंग से लेकर क्लाउड सेवाओं तक तीसरे पक्ष पर निर्भर हैं। इन बाहरी वेंडरों की प्रणाली में किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक का खामियाज़ा बैंक और उसके ग्राहकों को भुगतना पड़ता है। दिसंबर 2024 का केनरा बैंक सिम स्वैप स्कैम इसका ज्वलंत उदाहरण है जिसमें हमलावरों ने एक स्टील कंपनी के निदेशकों के भौतिक सिम कार्डों को ई-सिम में बदल लिया और मूल कार्डों को निष्क्रिय कर दिया तथा कॉल व ओटीपी को अपनी डिवाइस पर रूट कराकर लगभग 7.5 करोड़ रुपए पार कर दिए। क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर के गलत कॉन्फ़िगरेशन से भी डेटा ब्रीच की घटनाएं हुई हैं। वर्ष 2019 का कैपिटल वन डेटा ब्रीच इसका प्रमुख उदाहरण है, जो बैंक के अमेज़न वेब सर्विसेज (AWS) क्लाउड में गलत तरीके से कॉन्फ़िगर किए गए वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल का नतीजा था। इसके अलावा पुलिस व कानून प्रवर्तन एजेंसियों की विफलता तथा साइबर हमलों के मामले में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की कमी भी साइबर सुरक्षा की चुनौती को गंभीर बना रही है।

बैंकिंग को साइबर सुरक्षित रखने के उपाय

बैंकिंग व्यवसाय को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए बैंक, ग्राहक और तृतीय पक्ष, तीनों के स्तर पर सुरक्षा आवश्यक है।

बैंकों के स्तर पर - बैंकिंग में साइबर धोखाधड़ी के मूल कारणों में आंतरिक नियंत्रण की विफलता, प्रक्रियागत चूक, संस्था की सूचना सुरक्षा नीति से अनभिज्ञता, कार्य के प्रति बैंक-स्टाफ का उदासीन दृष्टिकोण और जागरूकता के निम्न स्तर का प्रमुख योगदान है। इसके अतिरिक्त कम जनशक्ति और बैंकिंग कामकाज का बढ़ता दबाव भी इसके लिए जिम्मेदार है। अतएव, जरूरी है कि कारोबार के हिसाब से स्टाफ संख्या बढ़ाई जाए और स्टाफ को साइबर सुरक्षा का समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। इसके अलावा ग्राहकों को भी विभिन्न ई-सुविधाओं के सुरक्षित प्रयोग की जानकारी दी जाए। बैंकों में एक ठोस साइबर सुरक्षा नीति होना ही काफी नहीं है, अपितु उसे निरंतर अपडेट भी करना है। समय-समय पर बैंक अपनी प्रणालियों की साइबर भेद्यता परखने के लिए इथिकल हैकर्स की सेवाएं भी ले सकते हैं। साइबर हमलों की समय से रिपोर्टिंग भी आवश्यक है। इससे जहाँ हमलावरों को तलाशने/पकड़ने में मदद मिलेगी, वहीं घटनाओं की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी तैयार होगी जो भावी घटनाओं को रोकने में सहायक सिद्ध होगी। ध्यान रहे बैंकिंग क्षेत्र कठोर नियामकीय अनिवार्यताओं और डेटा सुरक्षा कानूनों के अधीन है। साइबर सुरक्षा संबंधी असावधानी से बैंकों को जहाँ सीधे वित्तीय चोट पहुँच सकती है, वहीं कानूनी मामलों का सामना भी करना पड़ सकता है और साख को अलग से बट्टा लग सकता है। साइबर हमलावरों के एआई-संचालित परिष्कृत हमलों से निपटने के लिए बैंकों को जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, एआई-संचालित थ्रेट डिटेक्शन और मजबूत घटना प्रतिक्रिया योजना बनानी होगी।

ग्राहक के स्तर पर - ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग का चयन करने से पहले उसकी सावधानियों से परिचित हो जाना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचना चाहिए और पासवर्ड/पिन जैसे विवरण हमेशा गोपनीय रखने चाहिए। कोई भी बैंकिंग ऐप गूगल प्ले स्टोर या ऐप्पल ऐप स्टोर जैसे आधिकारिक ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें।

इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लिकेशन, एसएमएस या ईमेल के ज़रिए शेयर की गई APK फ़ाइलें इंस्टॉल न करें। साइबर धोखाधड़ी होने पर बैंक को तत्काल सूचित करें। साथ ही, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP), नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली (CFCFRMS) और राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी सूचना दें।

तृतीय पक्ष के स्तर पर - डिजिटल बैंकिंग को अमली जामा पहनाने में दूरसंचार कंपनियों और क्लाउड कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, अतएव उनके स्तर पर भी सुरक्षात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। दूरसंचार कंपनियाँ सिम जारी करने के पूर्व केवाईसी अनिवार्यताओं का कड़ाई से पालन करें। वे ब्लैकलिस्ट किए गए फ़ोन नंबरों, हैक की गई आईडी, कॉल पैटर्न और उपयोगकर्ता व्यवहार को वित्तीय संस्थानों के साथ रीयल टाइम आधार पर साझा करने हेतु एक प्लेटफॉर्म विकसित कर सकती हैं। नेटवर्क ट्रैफ़िक की रीयल टाइम में निगरानी के लिए एआई-संचालित प्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है।

क्लाउड कंपनियों को बैंकों की साइबर सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) और ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर जैसे प्रोटोकॉल का कड़ाई पालन करना चाहिए। संवेदनशील डेटा की सुरक्षा और डेटा-ब्रीच को रोकने के लिए मज़बूत एक्सेस कंट्रोल, नेटवर्क सेगमेंटेशन और मुकम्मल बैक-अप होना अति आवश्यक है। सिस्टम की भेद्यता की जाँच हेतु सुरक्षा ऑडिट एवं कृत्रिम हमलों का सहारा लिया जा सकता है और सिस्टम को नवीनतम सुरक्षा पैच से अपडेट किया जा सकता है। क्लाउड परिवेश के गलत कॉन्फ़िगरेशन, अनुपालन-उल्लंघनों और रीयल-टाइम ख़तरों की निगरानी के लिए एआई-संचालित टूल स्थापित किए जा सकते हैं।

निष्कर्ष -

बैंकिंग व्यवसाय के लिए साइबर सुरक्षा केवल आईटी से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि यह आर्थिक स्थिरता, व्यावसायिक निरंतरता और ग्राहक के भरोसे को मज़बूत करने के लिए भी आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी भविष्य है। आज न सिर्फ बैंकिंग अपितु जीवन के किसी भी क्षेत्र का काम सूचना प्रौद्योगिकी के बगैर चल पाना मुश्किल है। लेनदेन के बड़े वॉल्यूम को संभालना अथवा वर्षों के काम को पलभर में सटीकता के साथ निपटा देना; सूचना प्रौद्योगिकी के कारण संभव हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जहाँ ग्राहकों और बैंकरों का कीमती समय बच रहा है, वहीं बैंकों की परिचालन लागत में कमी आई है और लाभप्रदता बढ़ी है। अतएव, साइबर सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करने के लिए बैंकों को यदि बड़ा खर्च भी उठाना पड़े तो उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि इसे एक लाभकारी निवेश के तौर पर देखना चाहिए। ध्यान रहे, डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में साइबर हमला दुनिया के ऐसे छोर से भी किया जा सकता है, जहाँ हमारा कानून प्रभावी न हो और इससे निपटने के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी न मिले। साइबर सुरक्षा के लिए केवल तकनीकी समाधान ही काफी नहीं है, बल्कि जागरूकता, सहयोग और सुरक्षा संस्कृति का होना भी बहुत आवश्यक है। बैंकिंग में संभावित साइबर खतरों के बारे में बैंक-स्टाफ और ग्राहकों को जितना अधिक जागरूक किया जाएगा, वे उतने ही सावधान रहेंगे और उतनी ही कम घटनाएं होंगी। ●

जलवायु जोखिम और सतत वित्त - वित्तीय प्रणाली की भूमिका और चुनौतियाँ

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों का व्यापक आर्थिक गतिविधियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उपभोग, उत्पादन तथा निवेश में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। वित्तीय संस्थान, एक ओर कंपनियों को ऋण एवं निवेश के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और दूसरी ओर अपने परिचालन के कारण, इन जोखिमों के प्रति संवेदनशील होते हैं। जलवायु जोखिम वित्तीय संस्थानों को मुख्यतः पारंपरिक जोखिम श्रेणियों, जैसे, क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, चलनिधि जोखिम तथा परिचालन जोखिम, के माध्यम से प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, भौतिक जोखिम (Physical Risks) तथा संक्रमण जोखिम (Transition Risks) के अंतर्गत जटिल अंतःक्रिया वित्तीय प्रणाली में गैर-रेखीय (Non-linear) एवं अप्रत्याशित जोखिमों को जन्म देती है।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न प्रमुख जोखिमों के प्रकार

(i) भौतिक जोखिम (Physical Risks) - भौतिक जोखिम जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रभावों से उत्पन्न होते हैं, जिनमें धीरे-धीरे विकसित होने वाली घटनाएँ (समुद्र-स्तर में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, वर्षा-पैटर्न में परिवर्तन) तथा आकस्मिक मौसमी घटनाएँ (बाढ़, चक्रवात, सूखा एवं जंगलों में आग) शामिल हैं। ये जोखिम वास्तविक परिसंपत्तियों (Real Assets) तथा वित्तीय परिसंपत्तियों, दोनों को प्रभावित करते हैं। इनके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों को प्रत्यक्ष क्षति पहुँच सकती है, जिससे ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता प्रभावित होती है तथा गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों (Collateral) के मूल्य में कमी आ सकती है। व्यापक स्तर पर, ये जोखिम आर्थिक गतिविधियों, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति के संचालन तथा वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव डाल सकते हैं; अतः, इनका सतत आकलन और निगरानी आवश्यक है। इन जोखिमों से उत्पन्न ऋण-हानियों का सटीक आकलन करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित ऐतिहासिक डेटा सीमित तथा अपर्याप्त है।



अपराजिता
प्रबंधक,
भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ

(ii) संक्रमण जोखिम (Transition Risks) - संक्रमण जोखिम उन आर्थिक, तकनीकी, नीतिगत और सामाजिक परिवर्तनों से उत्पन्न होते हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के उपायों के फलस्वरूप तथा निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण के दौरान सामने आते हैं। ये जोखिम तब उभरते हैं जब देश, उद्योग और व्यवसाय अपने 'नेट-ज़ीरो' (Net Zero) लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उत्पादन प्रक्रियाओं, ऊर्जा स्रोतों और व्यावसायिक मॉडलों में बदलाव करते हैं। निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों को अपनाना, उपभोक्ता प्राथमिकताओं में परिवर्तन तथा निवेशकों द्वारा पर्यावरणीय रूप से अधिक टिकाऊ क्षेत्रों की ओर पूंजी का पुनः आवंटन, संक्रमण जोखिमों के प्रमुख स्रोत हैं।

जलवायु परिवर्तन और क्रेडिट जोखिम

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले जोखिमों में क्रेडिट जोखिम (Credit Risk) विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उधारकर्ताओं की ऋण चुकाने की क्षमता को प्रभावित करता है। भौतिक एवं संक्रमण जोखिमों के परिणामस्वरूप उधारकर्ताओं की परिचालन लागत में वृद्धि तथा परिसंपत्तियों के मूल्य एवं उपयोगिता में गिरावट आ सकती है। इससे उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर पड़ सकती है और ऋण दायित्वों के निर्वहन में चूक (Default) की संभावना बढ़ सकती है। जलवायु परिवर्तन का वास्तविक अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं और बदलती जलवायु परिस्थितियों के कारण परिसंपत्तियों की क्षति, कृषि उत्पादन में गिरावट, रोजगार के अवसरों में कमी तथा आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इन परिस्थितियों का प्रत्यक्ष असर उधारकर्ताओं की ऋण चुकाने की योग्यता पर पड़ता है, जिससे वित्तीय संस्थानों का क्रेडिट जोखिम बढ़ जाता है।

इसका एक महत्वपूर्ण आयाम हरित एवं सतत वित्तपोषण (Green and Sustainable Finance) से जुड़ा है। जलवायु-अनुकूल अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। तथापि, डीकार्बोनाइजेशन (Decarbonisation)

को गति देने वाली अनेक 'नेट-ज़ीरो' (Net Zero) प्रौद्योगिकियाँ अभी विकास, परीक्षण अथवा व्यावसायिक परिपक्वता के विभिन्न चरणों में हैं। परिणामस्वरूप, इन क्षेत्रों में निवेश एवं ऋण-वितरण अपेक्षाकृत अधिक अनिश्चितता और जोखिम से जुड़ा हो सकता है। इस प्रकार, वित्तीय संस्थानों के समक्ष एक महत्वपूर्ण नीति एवं जोखिम-प्रबंधन संबंधी चुनौती उभरती है। एक ओर, जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए हरित एवं सतत वित्तपोषण का विस्तार आवश्यक है; वहीं दूसरी ओर, उभरती प्रौद्योगिकियों तथा बाजार की अनिश्चितताओं के कारण ऐसे वित्तपोषण से जुड़े क्रेडिट जोखिमों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और प्रबंधन भी उतना ही आवश्यक है।

हरित एवं सतत वित्तपोषण (Green and Sustainable Finance) के समक्ष चुनौतियाँ

i. संरचनात्मक चुनौतियाँ - हरित एवं जलवायु-अनुकूल परियोजनाओं की प्रकृति ऐसी होती है कि इनमें प्रारंभिक चरण में अपेक्षाकृत अधिक पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure - Capex) की आवश्यकता होती है, जबकि उनसे प्राप्त होने वाले लाभ और नकदी प्रवाह दीर्घावधि में सृजित होते हैं। इसके अतिरिक्त, जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियाँ अभी व्यावसायिक परिपक्वता के विभिन्न चरणों में हैं, जिसके कारण इनके साथ अपेक्षाकृत अनिश्चितता और जोखिम की धारणा जुड़ी रहती है। ऋण एवं निवेश गतिविधियों में अंतर्निहित आस्ति-देयता असंतुलन (Asset-Liability Mismatch) भी, विशेषकर दीर्घकालिक परियोजना वित्तपोषण के संदर्भ में, एक चुनौती है।

ii. वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता - हरित संक्रमण के लिए भारी मात्रा में वित्तपोषण की आवश्यकता है, जबकि वैश्विक पूंजी प्रवाह मुख्यतः जोखिम-प्रतिफल (Risk-Reward) के आधार पर संचालित होते हैं। इस संदर्भ में निवेश प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारकों को व्यापक रूप से 'पुल फैक्टर्स' (Pull Factors) और 'पुश फैक्टर्स' (Push Factors) में वर्गीकृत किया जा सकता है। 'पुल फैक्टर्स' में घरेलू वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता, पारदर्शिता और प्रकटीकरण (Disclosure) मानकों की गुणवत्ता, सत्यापन एवं आश्वासन तंत्र (Verification and Assurance Mechanisms) की विश्वसनीयता, जलवायु जोखिमों के आकलन हेतु विकसित मॉडल, डेटा एवं क्षमता निर्माण की उपलब्धता, दीर्घकालिक संक्रमण रणनीतियाँ तथा बैंक-योग्य परियोजनाओं का पर्याप्त भंडार शामिल हैं। 'पुश फैक्टर्स' का संबंध वैश्विक स्तर पर जलवायु वित्त के लिए उपलब्ध पूंजी, बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं तथा अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की प्राथमिकताओं से है।

iii. जोखिम-प्रतिफल संतुलन और जोखिम न्यूनीकरण तंत्र की आवश्यकता - हरित एवं सतत वित्तपोषण में निहित तकनीकी, बाजार तथा नीतिगत अनिश्चितताएँ, निवेशकों और ऋणदाताओं के जोखिम-प्रतिफल आकलन को प्रभावित करती हैं। इसलिए, वित्तपोषण की लागत अधिक हो सकती है। इस स्थिति में निजी क्षेत्र के निवेशकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा जोखिम को कम करने हेतु अनुदान (Grants), गारंटी (Guarantees), रियायती पूंजी (Concessional Capital), परोपकारी पूंजी (Philanthropic Capital) तथा अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों की मांग बढ़ जाती है।

iv. बैंक-योग्य परियोजनाओं की सीमित उपलब्धता - यद्यपि वित्तीय संस्थान बैंक-योग्य (Bankable) परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में सक्षम होते हैं, परंतु आंशिक रूप से बैंक योग्य अथवा गैर-बैंक-योग्य परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना अपेक्षाकृत कठिन होता है। जलवायु वित्त के दो प्रमुख आयाम - शमन (Mitigation) और अनुकूलन (Adaptation), इस चुनौती को स्पष्ट करते हैं। शमन संबंधी परियोजनाओं में भविष्य के नकदी प्रवाह का बेहतर अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि इनका संबंध ऊर्जा दक्षता अथवा उत्सर्जन में कमी जैसे प्रत्यक्ष आर्थिक लाभों से होता है। वहीं, अनुकूलन एवं जलवायु-समुत्थानशीलता (Climate Resilience) संबंधी निवेशों के लाभ दीर्घकालिक, गैर-वित्तीय अथवा सामाजिक प्रकृति के होते हैं, जिनका वित्तीय मूल्यांकन करना कठिन होता है।

v. हरित एवं सतत परियोजनाओं में अंतर्निहित जोखिम - हरित एवं सतत परियोजनाएँ नई प्रौद्योगिकियों पर आधारित होती हैं, जो अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुई हैं। ऐसे में उनकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (Techno-Economic Viability), तथा दीर्घकालिक लाभप्रदता का आकलन जटिल हो जाता है। पारंपरिक परियोजनाओं की तुलना में सीमित ऐतिहासिक अनुभव, प्रौद्योगिकी संबंधी अनिश्चितता तथा बाजार स्वीकृति से जुड़े जोखिम इन परियोजनाओं के क्रेडिट प्रोफाइल को प्रभावित कर सकते हैं।

हरित एवं सतत वित्तपोषण के प्रमुख आधार

हरित एवं सतत वित्तपोषण के प्रभावी विकास के लिए एक सुदृढ़ नीतिगत, विनियामक एवं संस्थागत ढाँचे की आवश्यकता है। इस

संदर्भ में निम्नलिखित तत्व इसके आधार-स्तंभ के रूप में उभरते हैं -

i. राष्ट्रीय हरित वर्गीकरण प्रणाली (National Taxonomy) एवं विनियामक समन्वय - हरित एवं सतत आर्थिक गतिविधियों की स्पष्ट पहचान तथा विभिन्न विनियामक व्यवस्थाओं में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की टैक्सोनॉमी (Taxonomy) अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सरकार, नियामकों, नीति-निर्माताओं, वित्तीय संस्थानों, निवेशकों तथा उधारकर्ताओं सहित संपूर्ण वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को एक साझा संदर्भ ढाँचा प्रदान करती है।

ii. समन्वित एवं सुसंगत विनियामक दृष्टिकोण - जलवायु जोखिम किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे वित्तीय, औद्योगिक, ऊर्जा, कृषि तथा अवसंरचना क्षेत्रों सहित संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इसलिए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों के प्रभावी आकलन तथा जलवायु अनुकूल वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों एवं नियामकों के बीच एक समन्वित विनियामक दृष्टिकोण आवश्यक है।

iii. विश्वसनीयता, सत्यापन एवं आश्वासन तंत्र - हरित एवं सतत वित्तपोषण की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सत्यापन (Verification) एवं आश्वासन (Assurance) तंत्र का विकास अत्यंत आवश्यक है। प्रभावी सत्यापन एवं निगरानी व्यवस्था निवेशकों का विश्वास सुदृढ़ करती है, हरित वित्तीय साधनों की विश्वसनीयता बढ़ाती है तथा 'ग्रीनवॉशिंग' (Greenwashing) से संबंधित चिंताओं को कम करने में सहायता करती है।

iv. पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण (Disclosure) - जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए व्यापक, समयबद्ध और तुलनात्मक प्रकटीकरण व्यवस्था आवश्यक है। इससे वित्तीय संस्थानों को जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन में सहायता मिलती है तथा वित्तीय प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता को बल मिलता है। इस संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्रकटीकरण मानकों का समन्वय भी महत्वपूर्ण है।

v. डेटा अवसंरचना एवं क्षमता निर्माण - जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के आकलन, परिदृश्य विश्लेषण (Scenario Analysis), संक्रमण वित्त (Transition Finance) तथा अनुकूलन वित्त (Adaptation Finance) के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जलवायु जोखिम मूल्यांकन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक विश्वसनीय डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और विश्लेषणात्मक क्षमता का अभाव है। इसके लिए जलवायु वैज्ञानिकों, वित्तीय संस्थानों, डेटा प्रदाताओं तथा नीति निर्माताओं के बीच सहयोग एवं समन्वय को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

हरित एवं सतत वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने के उपाय

i. ब्लेंडेड फाइनेंस (Blended Finance) को बढ़ावा - ब्लेंडेड फाइनेंस, रियायती सार्वजनिक वित्त (Concessional Public Finance) और निजी क्षेत्र की पूंजी को संयोजित कर जलवायु परियोजनाओं के जोखिम को कम करने का एक प्रभावी माध्यम है। यह निजी निवेशकों के लिए परियोजनाओं को अधिक आकर्षक बनाते हुए हरित क्षेत्रों में ऋण एवं निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित कर सकता है। भारत जैसे भौगोलिक एवं जलवायु दृष्टि से विविधता वाले देश में विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताएँ भिन्न हैं। उदाहरणार्थ, हिमालयी क्षेत्रों की चुनौतियाँ तटीय क्षेत्रों से अलग हैं। इसलिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप व्यावहारिक एवं अनुकूलित वित्तीय समाधान विकसित करना आवश्यक होगा।

ii) जोखिम-प्रतिलाभ आधारित बाजारों का विकास - जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक निवेश का पैमाना इतना व्यापक है कि इसे केवल सार्वजनिक संसाधनों के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे वित्तीय बाजारों का विकास आवश्यक है जो जलवायु परियोजनाओं के जोखिम और संभावित प्रतिफल का यथार्थ मूल्यांकन कर सकें। विशेष रूप से अनकूलन (Adaptation) एवं प्रत्यास्थता (Resilience) परियोजनाओं में भी ऐसे अवसर मौजूद हैं जिन्हें वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाया जा सकता है।

iii. विकास वित्तीय संस्थानों (DFIs) की सशक्त भूमिका - DFIs हरित एवं सतत क्षेत्रों की ओर पूंजी प्रवाह को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए DFIs, बहुपक्षीय विकास बैंकों (Multilateral Development Banks - MDBs), राष्ट्रीय विकास बैंकों (National Development Banks - NDBs) तथा जलवायु निधियों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। वर्तमान वैश्विक आर्थिक एवं भू-राजनीतिक परिदृश्य में यह आवश्यक है कि बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार कर विकासशील देशों, विशेषकर 'ग्लोबल साउथ' की भागीदारी एवं वित्तीय पहुँच को सुदृढ़ किया जाए, ताकि जलवायु वित्त की उपलब्धता अधिक समावेशी और प्रभावी बन सके।

iv. प्रौद्योगिकी एवं नवाचार को प्रोत्साहन - जलवायु जोखिमों के आकलन, निगरानी तथा न्यूनीकरण में प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए ऐसा सहयोगी मंच विकसित किए जाने की आवश्यकता है, जो विनियमित संस्थाओं (Regulated Entities) और प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाताओं को एक साथ लाकर जलवायु जोखिम प्रबंधन से संबंधित नवोन्मेषी समाधान विकसित करने में सहायता करे।

v. बैंक-योग्य परियोजनाओं का साझा मंच (Common Pool of Bankable Projects) - हरित एवं सतत परियोजनाओं का एक साझा डेटाबेस अथवा परियोजना पूल विकसित करना पूरे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है। ऐसी व्यवस्था के माध्यम से परियोजनाओं के मूल्यांकन, जोखिम विश्लेषण तथा वित्तपोषण संबंधी अनुभवों का आदान-प्रदान संभव होगा।

केंद्रीय बैंकों की भूमिका एवं विनियामक दृष्टिकोण

यद्यपि इस विषय पर समय-समय पर यह बहस होती रही है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे केंद्रीय बैंकों के पारंपरिक कार्यक्षेत्र का हिस्सा हैं अथवा नहीं, तथापि यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जा चुका है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मूल्य स्थिरता (Price Stability) तथा वित्तीय स्थिरता (Financial Stability) दोनों पर पड़ सकता है। इस कारण जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वित्तीय जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए उपयुक्त विनियामक और पर्यवेक्षी उपायों का विकास आवश्यक है। इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु केवल क्षेत्र-विशिष्ट नियामकीय उपाय पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि विभिन्न नियामकों और नीति-निर्माताओं के बीच संस्थागत सहयोग भी आवश्यक है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक परंपरागत रूप से 'एसेट न्यूट्रैलिटी' (Asset Neutrality) के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत संसाधनों के क्षेत्रीय आवंटन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से बचा जाता है। इसके विपरीत, अनेक उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं एवं विकासशील देशों (Emerging Market and Developing Economies – EMDEs) के केंद्रीय बैंकों ने अपनी आर्थिक संरचना तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए चयनित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए निर्देशित ऋण नीतियों (Directed Lending Policies) को अपनाया है। भारत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending – PSL) संबंधी व्यवस्था इसी दृष्टिकोण का उदाहरण है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन में केंद्रीय बैंक अनेक अंतरराष्ट्रीय मंचों के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इनमें 'नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम' (Network for Greening the Financial System – NGFS) तथा 'बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन' (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) के अंतर्गत गठित 'टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट-रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क्स' (Task Force on Climate-related Financial Risks – TFCR) उल्लेखनीय हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रमुख पहलें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय प्रणाली को जलवायु-संबंधी चुनौतियों के प्रति प्रत्यास्थता बढ़ाने तथा हरित एवं सतत वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण पहलें की हैं। प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं -

i. नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम (NGFS) की सदस्यता - भारतीय रिज़र्व बैंक अप्रैल 2021 में NGFS का सदस्य बना। इस वैश्विक मंच की सदस्यता ने आरबीआई को जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन, सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के आदान-प्रदान तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप नियामकीय दृष्टिकोण विकसित करने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है।

ii. ग्रीन डिपॉज़िट फ्रेमवर्क का परिचय - हरित गतिविधियों एवं परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से आरबीआई ने अप्रैल 2023 में विनियमित संस्थाओं द्वारा ग्रीन डिपॉज़िट स्वीकार करने हेतु एक व्यापक रूपरेखा जारी की। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में हरित बचत को प्रोत्साहित करना तथा इन संसाधनों को पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ परियोजनाओं की ओर निर्देशित करना है।

iii. रिज़र्व बैंक–क्लाइमेट रिस्क इन्फॉर्मेशन सिस्टम (RB-CRIS) - अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने RB-CRIS नामक एक डेटा रिपॉज़िटरी स्थापित करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य जलवायु जोखिमों के आकलन हेतु मानकीकृत एवं विश्वसनीय डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस मंच में भौतिक जोखिमों (Physical Risks), संबंधित खतरा (Hazard), संवेदनशीलता (Vulnerability) तथा एक्सपोज़र डेटा के साथ-साथ संक्रमण जोखिमों (Transition Risks) के आकलन हेतु क्षेत्रवार संक्रमण मार्ग (Sectoral Transition Pathways)

और कार्बन उत्सर्जन तीव्रता (Carbon Emission Intensity) संबंधी डेटाबेस उपलब्ध कराया जाएगा।

iv. नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) के अंतर्गत प्रोत्साहन - आरबीआई ने विभिन्न लघु नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, जैसे, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सूक्ष्म जलविद्युत परियोजनाएँ तथा गैर-पारंपरिक ऊर्जा आधारित सार्वजनिक परियोजनाओं को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) के अंतर्गत शामिल किया है।

v. आरबीआई@100 परिदृष्टि दस्तावेज़ में जलवायु परिवर्तन पर विशेष बल - इस दस्तावेज़ में जलवायु परिवर्तन को भविष्य की प्रमुख नीतिगत चुनौतियों में से एक के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अंतर्गत जलवायु जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु सुदृढ़ नियामकीय एवं पर्यवेक्षी ढाँचे का विकास, भुगतान प्रणालियों की जलवायु जोखिमों के प्रति समुत्थानशीलता बढ़ाना तथा व्यापक राष्ट्रीय हरित टैक्सोनॉमी के विकास में सरकार के साथ सहयोग जैसे उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं।

vi. सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप (SFG) की स्थापना - आरबीआई ने विनियमन विभाग (Department of Regulation) के अंतर्गत SFG का गठन किया है। यह समूह सतत वित्त, जलवायु जोखिम प्रबंधन तथा संबंधित विनियामक पहलों के विकास एवं समन्वय में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

समग्र परिप्रेक्ष्य

वैश्विक जलवायु परिदृश्य में भारत की स्थिति विशिष्ट है। जर्मनवॉच (Germanwatch) के वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में, वर्ष 1995 से 2024 के दौरान घटित घटनाओं के आधार पर, भारत विश्व में नौवें स्थान पर है। तथापि, नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में, IRENA (2026) के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर आसीन है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति से विकसित होती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के कारण भारत के समक्ष आर्थिक विकास की निरंतरता बनाए रखने तथा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की दोहरी जिम्मेदारी है। एक ओर भारत जलवायु जोखिमों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, वहीं दूसरी ओर उसके पास वैश्विक हरित संक्रमण (Global Green Transition) में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की क्षमता भी है। यद्यपि देश ने हरित एवं सतत वित्तपोषण, जलवायु जोखिम प्रबंधन तथा संस्थागत क्षमता निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी अनेक चुनौतियाँ शेष हैं। विनियमित संस्थाओं में जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन हेतु विकसित हो रहे ढाँचों को और अधिक परिपक्व बनाने की आवश्यकता है। भविष्य में जलवायु परिवर्तन से संभावित आर्थिक एवं वित्तीय हानियों का बेहतर आकलन करने के लिए उन्नत मॉडल, विश्वसनीय डेटा और विश्लेषणात्मक क्षमताओं का विकास आवश्यक है।

जलवायु जोखिमों की जटिल एवं बहुआयामी प्रकृति को देखते हुए वित्तीय क्षेत्र, जलवायु विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक नीति के बीच सहयोग की आवश्यकता है। विभिन्न क्षेत्रों में पारदर्शिता, क्षमता निर्माण तथा डेटा-साझाकरण की सुदृढ़ व्यवस्था ही प्रभावी जलवायु जोखिम प्रबंधन की आधारशिला बन सकती है। यह भी स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय चुनौती नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय स्थिरता से जुड़ा एक प्रणालीगत जोखिम है। इसलिए, अनुकूलन (Adaptation) और शमन (Mitigation) दोनों मोर्चों पर संतुलित एवं समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिम अब भविष्य की आशंका नहीं रह गए हैं; वे वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए सभी हितधारकों—सरकार, नियामकों, वित्तीय संस्थानों, उद्योगों और नागरिकों को सामूहिक रूप से ऐसी रणनीतियाँ विकसित करनी होंगी जो आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित कर सकें। इस संदर्भ में क्षमता निर्माण, पारदर्शिता, नवाचार तथा अंतर-संस्थागत सहयोग भविष्य की सफलता के प्रमुख निर्धारक सिद्ध होंगे। जलवायु परिवर्तन की चुनौती वैश्विक है, और उसका समाधान भी साझा उत्तरदायित्व और दीर्घकालिक दृष्टिकोण में निहित है।

इसी भावना को भारतीय ज्ञान परंपरा के इस कालजयी संदेश में भी अभिव्यक्ति मिलती है -

"अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥"

अर्थात्, "यह मेरा है और वह तुम्हारा है"—ऐसा विचार संकीर्ण दृष्टिकोण का परिचायक है; उदार एवं दूरदर्शी व्यक्तियों के लिए संपूर्ण विश्व एक परिवार है।" जलवायु परिवर्तन की चुनौती के संदर्भ में यह संदेश आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। ●

एआई - एक नीतिगत विश्लेषण - भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए रणनीतिक रोडमैप

प्रस्तावना - तकनीकी इतिहास के चौराहे पर बैंकिंग

वर्ष 2024 और 2025 वैश्विक प्रौद्योगिकी और वित्तीय परिदृश्य में एक ऐसे कालखंड के रूप में दर्ज किए जाएंगे, जहाँ मानवता ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI) की असीमित संभावनाओं और आर्थिक यथार्थ (Economic Reality) के बीच के तनाव को पहली बार गंभीरता से महसूस किया। एक ओर, सिलिकॉन वैली के दिग्गज और वॉल स्ट्रीट के निवेशक AI को 'इंटरनेट के बाद सबसे बड़ी क्रांति' मान रहे हैं, जिसके लिए डेटा सेंटर्स, चिप्स और ऊर्जा ग्रिड पर $1 ट्रिलियन (लगभग ₹84 लाख करोड़) से अधिक का पूंजीगत व्यय (Capex) प्रस्तावित है। दूसरी ओर, एक गहरा संदेह उभर रहा है—क्या यह निवेश कभी उचित प्रतिफल (Return on Investment - ROI) दे पाएगा? क्या हम एक और 'Dotcom Bubble' की ओर बढ़ रहे हैं?

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, विशेष रूप से हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इस वैश्विक बहस से अछूते नहीं हैं। हालांकि, भारतीय संदर्भ विशिष्ट है। हमारे बैंक आज ऐतिहासिक मुनाफे पर बैठे हैं, उनकी बैलेंस शीट दशकों में सबसे स्वच्छ है, लेकिन वे एक जनसांख्यिकीय सुनामी (Demographic Tsunami) का सामना कर रहे हैं—जिसे 'The Great Retirement' कहा जा रहा है। हजारों अनुभवी बैंकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और उनकी जगह लेने के लिए तकनीक की आवश्यकता है।

यह लेख इस केंद्रीय प्रश्न का विश्लेषण करती है - **यदि AI वास्तव में एक विशाल आर्थिक बुलबुला है जो अंततः फट जाएगा या धीमा पड़ जाएगा, तो भारतीय बैंक इस 'Hype Cycle' का उपयोग अपने परिचालन को आधुनिक बनाने, लागत कम करने और भविष्य के लिए तैयार होने में कैसे कर सकते हैं?** इस लेख के द्वारा हम 'Inverted S-Curve' के सिद्धांत, 'Predictive' से 'Agentic AI' की ओर हो रहे बदलाव, और भारतीय रिज़र्व बैंक के नवीनतम 'FREE-AI' फ्रेमवर्क के आलोक में एक विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेंगे।



रजनी कान्त
मुख्य प्रबंधक
इंडियन बैंक, चेन्नई

भाग 1 - AI का $600 बिलियन का प्रश्न और 'बुलबुला' सिद्धांत (The Bubble Thesis)

1.1 निवेश और राजस्व के बीच की खाई - Sequoia का गणित

वैश्विक वित्तीय बाजारों में वर्तमान में जो सबसे ज्वलंत बहस चल रही है, उसका केंद्र बिंदु Sequoia Capital के डेविड कान (David Cahn) द्वारा प्रस्तुत 'The $600 Billion Question' है। यह प्रश्न केवल एक संख्या नहीं है; यह वर्तमान AI अर्थशास्त्र की आधारभूत कमजोरी को उजागर करता है।

गणित सीधा है - NVIDIA और अन्य हार्डवेयर प्रदाताओं के राजस्व अनुमानों के आधार पर, AI इंफ्रास्ट्रक्चर (GPUs, Data Centers) पर जो भारी निवेश किया जा रहा है, उसे उचित ठहराने के लिए AI सॉफ़्टवेयर और सेवाओं को प्रतिवर्ष लगभग $600 बिलियन का राजस्व उत्पन्न करना होगा। यह आंकड़ा केवल 'Break-even' के लिए है, न कि भारी मुनाफे के लिए। समस्या यह है कि वर्तमान में जनरेटिव AI (GenAI) से प्राप्त वास्तविक राजस्व इस आंकड़े के पास भी नहीं है। OpenAI और Microsoft जैसे दिग्गजों को छोड़कर, अधिकांश कंपनियाँ अभी भी "Pilot Purgatory" (पायलट परियोजनाओं के चक्रव्यूह) में फंसी हैं, जहाँ वे तकनीक का परीक्षण तो कर रही हैं लेकिन उससे कोई ठोस व्यावसायिक मूल्य प्राप्त नहीं कर पा रही हैं।

डेविड कान का तर्क है कि हम 'Amara's Law' का एक उत्कृष्ट उदाहरण देख रहे हैं - "हम अल्पावधि में किसी तकनीक के प्रभाव को बहुत अधिक आंकते हैं और दीर्घावधि में उसे कम आंकते हैं।"

वर्तमान का उन्माद (Hype) इस अतिशयोक्ति का परिणाम है। वॉल स्ट्रीट के विश्लेषक अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारी अपफ्रंट निवेश (Upfront Investment) कभी वास्तविक रिटर्न दिखाएगा, या यह केवल हार्डवेयर निर्माताओं के लिए धन का हस्तांतरण है।

1.2 Goldman Sachs का संदेहवाद - उत्पादकता का भ्रम

इस बहस में आग में घी डालने का काम गोल्डमैन साच्स (Goldman Sachs) की एक विस्तृत रिपोर्ट "Gen AI - Too much spend, too little benefit?" ने किया है। इस रिपोर्ट में दो प्रमुख विचारकों के बीच का विरोधाभास स्पष्ट है, जो भारतीय नीति निर्माताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

एमआईटी (MIT) के इंस्टीट्यूट प्रोफेसर डेरोन एसेमोग्लू (Daron Acemoglu) का तर्क है कि वर्तमान AI तकनीक (मुख्य रूप से Large Language Models या LLMs) की क्षमताएं सीमित हैं। उनका अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में AI केवल 5% कार्यों को ही पूरी तरह से स्वचालित (Automate) कर पाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि अमेरिकी उत्पादकता (US Productivity) में केवल 0.5% की वृद्धि होगी, जो कि 9% के आशावादी अनुमानों से काफी कम है । उनका मुख्य तर्क यह है कि "AI मॉडल उतने तेजी से बेहतर नहीं होंगे और न ही उतने सस्ते होंगे जितना लोग उम्मीद कर रहे हैं।"

दूसरी ओर, गोल्डमैन साच्स के ही जिम कोवेलो (Jim Covello) का कहना है कि AI को उन जटिल समस्याओं को हल करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है जो $1 ट्रिलियन के निवेश को सही ठहरा सकें। वे इसकी तुलना इंटरनेट से करते हैं। इंटरनेट ने शुरुआत में ही उच्च-लागत वाली प्रक्रियाओं को कम लागत वाले समाधानों से बदल दिया था (जैसे ई-मेल बनाम डाक)। लेकिन AI आज भी महंगा है। एक AI क्वेरी की लागत पारंपरिक कंप्यूटिंग से कई गुना अधिक है ।

1.3 बैंकों के लिए निहितार्थ - 'बुलबुले' का उपयोग कैसे करें?

यदि हम यह मान लें कि यह एक बुलबुला है, तो क्या बैंकों को रुक जाना चाहिए? उत्तर है - नहीं। इतिहास गवाह है कि बुलबुले अक्सर आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण को वित्तपोषित करते हैं।

- **रेलवे उन्माद (1840 का दशक)** - ब्रिटेन में रेलवे बबल के दौरान भारी निवेश हुआ। कई निवेशक दिवालिया हुए, लेकिन ब्रिटेन को एक विश्व स्तरीय रेलवे नेटवर्क मिला जिसने औद्योगिक क्रांति को गति दी।
- **डॉट-कॉम बूम (1990 का दशक)** - इंटरनेट कंपनियों में अंधाधुंध निवेश हुआ। कंपनियाँ डूबीं, लेकिन उन्होंने हजारों मील लंबा ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया। इसी "सस्ते" फाइबर ने बाद में Google, Facebook और Amazon के उदय को संभव बनाया।

भारतीय बैंकों के लिए रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए - **"Use the overcapacity tailored by the bubble."** जब दुनिया भर में AI चिप्स और मॉडल्स की अधिकता हो जाएगी और कीमतें गिरेंगी (Inference Cost compression), तब वही बैंक सबसे आगे होंगे जिन्होंने अपनी प्रक्रियाओं (Workflows) और डेटा आर्किटेक्चर को AI के लिए तैयार कर लिया है। यह बुलबुला फटने के बाद की दुनिया के लिए खुद को तैयार करने का समय है, न कि बुलबुले में पैसा लगाने का।

भाग 2 - 'Inverted S-Curve' और तकनीकी चक्रों का नया सिद्धांत

2.1 पारंपरिक S-Curve का पतन

बैंकिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, हम पारंपरिक रूप से 'S-Curve' मॉडल का उपयोग करते आए हैं । यह मॉडल बताता है कि किसी भी नई तकनीक का अंगीकरण (Adoption) तीन चरणों में होता है -

1. **धीमी शुरुआत (Slow Start)** - केवल innovators इसे अपनाते हैं।
2. **तीव्र वृद्धि (Rapid Growth)** - एक 'Inflection Point' आता है और तकनीक मुख्यधारा में आ जाती है।
3. **परिपक्वता (Maturity/Saturation)** - विकास धीमा हो जाता है।

Forrester Research और अन्य संस्थाएं इसी मॉडल के आधार पर बैंकों के लिए तकनीक निवेश की सलाह देती रही हैं। लेकिन Generative AI ने इस मॉडल को तोड़ दिया है। हम जिसे **'Inverted S-Curve'** (उल्टा S-वक्र) या **'Vertical Adoption Curve'** कह रहे हैं, वह एक नई और अस्थिर वास्तविकता है ।

2.2 Inverted S-Curve की गतिकी (Dynamics)

ChatGPT और अन्य GenAI टूल्स के साथ हमने जो देखा, वह इतिहास में अभूतपूर्व था। ChatGPT ने केवल दो महीनों में 100 मिलियन उपयोगकर्ता प्राप्त कर लिए—एक ऐसा पैमाना जिसे हासिल करने में मोबाइल फोन को 16 साल और इंटरनेट को 7 साल लगे थे। यह एक लंबवत (Vertical) उछाल थी।

Inverted S-Curve के लक्षण -

- **प्रवेश बाधाओं का अभाव (Zero Barriers to Entry)** - प्राकृतिक भाषा (Natural Language) इंटरफेस के कारण, बैंक के सबसे कनिष्ठ कर्मचारी से लेकर सीईओ तक, कोई भी बिना किसी प्रशिक्षण के इसका उपयोग कर सकता है।
- **प्रारंभिक संतृप्ति (Early Saturation)** - चूंकि एडॉप्शन इतनी तेजी से हुआ, 'Disillusionment' (मोहभंग) का दौर भी उतनी ही तेजी से आ गया। उपयोगकर्ता जल्दी ही महसूस करते हैं कि यह तकनीक "जादुई" नहीं है; यह मतिभ्रम (Hallucinations) पैदा करती है और गलतियां करती है।
- **मूल्य संपीड़न (Value Compression)** - पारंपरिक सॉफ्टवेयर में, मूल्य धीरे-धीरे अनलॉक होता था। AI में, मूल्य बहुत जल्दी सामने आता है (जैसे ईमेल ड्राफ्ट करना), लेकिन उसके बाद यह स्थिर हो जाता है जब तक कि इसे गहरे परिचालन कार्यों (Deep Operational Workflows) में एकीकृत नहीं किया जाता।

2.3 Forrester का 'Long Wave' सिद्धांत और Kondratiev चक्र

इस तकनीकी बदलाव को व्यापक आर्थिक संदर्भ में समझने के लिए, हमें Forrester के 'Long Wave' आर्थिक चक्रों को देखना होगा, जो Kondratiev Waves पर आधारित हैं। ये सिद्धांत सुझाव देते हैं कि अर्थव्यवस्था 45-60 साल के चक्रों में चलती है, जो प्रमुख तकनीकी नवाचारों द्वारा संचालित होती है।

1. **भाप इंजन और कपड़ा (1780-1840)**
2. **रेलवे और इस्पात (1840-1890)**
3. **विद्युत और रसायन (1890-1940)**
4. **पेट्रोकेमिकल्स और ऑटोमोबाइल (1940-1990)**
5. **सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट (1990-20??)**
6. **AI और बायोटेक (अगली लहर?)**

Forrester का मॉडल बताता है कि हम वर्तमान में 5वीं लहर के अंत और 6ठी लहर की शुरुआत के संक्रमण काल में हैं। यह संक्रमण अक्सर उथल-पुथल और 'बुलबुले' से भरा होता है क्योंकि पुरानी पूंजी (Legacy Capital) नई तकनीक में शिफ्ट होने की कोशिश करती है। बैंकों के लिए, इसका अर्थ है कि वे अपने पुराने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर (Core Banking Systems) को अनिश्चित काल तक नहीं खींच सकते। उन्हें अगली 50-वर्षीय लहर के लिए खुद को बदलना होगा, भले ही अल्पावधि में यह महंगा लगे।

भाग 3 - AI का त्रित्व (The AI Trinity) और विकासवादी बदलाव

तकनीकी विकास के इस दौर को नेविगेट करने के लिए, बैंकों को यह समझना होगा कि AI अब केवल एक "सॉफ्टवेयर" नहीं है। यह एक नया पारिस्थितिकी तंत्र है जो 'AI Trinity' पर आधारित है।

3.1 पारंपरिक बनाम आधुनिक AI त्रित्व

परंपरागत रूप से, AI को तीन घटकों का योग माना जाता था - डेटा + एल्गोरिदम + कंप्यूट (Data + Algorithms + Compute)। लेकिन 'Agentic AI' के युग में, और विशेष रूप से बैंकिंग के लिए, यह त्रित्व विकसित होकर एक नई संरचना बन गया है -

1. **एजेंट (The Agent)** - यह 'मस्तिष्क' है (LLM/LMM) जो तर्क करता है, योजना बनाता है और निर्णय लेता है।
2. **उपकरण (The Tools)** - ये बैंक के 'हाथ-पैर' हैं—APIs, कोर बैंकिंग सिस्टम, दस्तावेज रिपॉजिटरी— जिनका उपयोग एजेंट कार्य पूरा करने के लिए करता है।
3. **मानव (The Human)** - यह 'अंतरात्मा' और 'पर्यवेक्षक' है जो नैतिकता, अनुपालन और अंतिम निर्णय सुनिश्चित करता है (Human-in-the-Loop)।

3.2 विकास के चरण - Predictive से Agentic की ओर

भारतीय बैंकों को अपनी AI परिपक्वता (Maturity) को तीन चरणों में मापना चाहिए। अधिकांश बैंक अभी चरण 1 और 2 के बीच फंसे हुए हैं।

तालिका 1 - बैंकिंग AI का विकासवादी रोडमैप

चरण	प्रकार	कार्यक्षमता	बैंकिंग उदाहरण	सीमाएं
चरण 1 (अतीत)	**Predictive AI** (भविष्यवाणी)	डेटा पैटर्न की पहचान, वर्गीकरण, भविष्यवाणी।	क्रेडिट स्कोरिंग (CIBIL विश्लेषण), धोखाधड़ी का पता लगाना, क्रॉस-सेलिंग मॉडल।	यह केवल संभावनाएं बताता है, कोई नई सामग्री नहीं बना सकता। "यह ग्राहक डिफॉल्ट कर सकता है।"
चरण 2 (वर्तमान)	**Generative AI** (सृजन)	पाठ, कोड, या छवि निर्माण। संवादात्मक इंटरफेस।	ग्राहक सेवा चैटबॉट, ऋण प्रस्तावों का मसौदा तैयार करना, कोडिंग में सहायता।	यह "बात" कर सकता है लेकिन कोर सिस्टम में जाकर "काम" नहीं कर सकता। मतिभ्रम का जोखिम।
चरण 3 (भविष्य)	**Agentic AI** (क्रियान्वयन)	स्वायत्त रूप से लक्ष्य प्राप्त करना, टूल्स का उपयोग करना, बहु-चरणीय कार्य करना।	**Loan Origination Agent** - दस्तावेज़ पढ़ना -> सत्यापित करना -> विसंगति ढूंढना -> ग्राहक को ईमेल करना -> सिस्टम अपडेट करना ।	जटिल गवर्नेंस की आवश्यकता। अनपेक्षित व्यवहार का जोखिम।

3.3 Agentic AI - गेम चेंजर क्यों?

'Agentic AI' वह तकनीक है जो बैंकों की उत्पादकता में वास्तविक बदलाव लाएगी। जहाँ GenAI ने ज्ञान कार्यकर्ताओं (Knowledge Workers) को जानकारी खोजने में मदद की, वहीं Agentic AI उन्हें **काम पूरा करने (Execution)** में मदद करेगा। इसे Foundation Capital ने **"Service-as-Software"** कहा है।

उदाहरण के लिए, 'Wealth Management' में - आज, एक रिलेशनशिप मैनेजर (RM) समय की कमी के कारण केवल शीर्ष 100 ग्राहकों को व्यक्तिगत सलाह दे सकता है। एक 'Agentic Wealth Manager' हजारों ग्राहकों के पोर्टफोलियो की निगरानी कर सकता है, बाजार के बदलावों का विश्लेषण कर सकता है, और पुनर्संतुलन (Rebalancing) की सिफारिश कर सकता है—RM केवल अंतिम अनुमोदन के लिए शामिल होता है । यह बैंकों की आय (Fee Income) को कई गुना बढ़ा सकता है बिना कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए।

भाग 4 - भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक - एक रणनीतिक चौराहे पर

किसी भी तकनीकी रोडमैप को उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए जहाँ उसे लागू किया जाएगा। वर्ष 2026 के वर्तमान संदर्भ में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एक विरोधाभासी स्थिति में हैं - वित्तीय रूप से मजबूत, लेकिन परिचालन रूप से दबाव में।

4.1 वित्तीय मजबूती (Financial Strength)

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समेकित परिणामों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता और पूंजी स्थिति सुदृढ़ रही है -

- **ऐतिहासिक मुनाफा** - वित्त वर्ष 2025-26 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समेकित शुद्ध लाभ 11.1% की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹1.98 लाख करोड़ तथा परिचालन लाभ ₹3.21 लाख करोड़ रहा।
- **आस्ति गुणवत्ता** - 31 मार्च 2026 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए अनुपात 1.93% तथा निवल एनपीए अनुपात 0.39% रहा। प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 90% से अधिक रहा।
- **पूंजी आधार** - 31 मार्च 2026 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समेकित CRAR 16.6% रहा। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का CRAR 11.5% की नियामकीय आवश्यकता से पर्याप्त ऊपर रहा। वित्त वर्ष 2025-26 में ₹50,551 करोड़ की पूंजी जुटाई गई।

कारोबारी विस्तार एवं दक्षता - 31 मार्च 2026 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल कारोबार 12.8% की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹283.3 लाख करोड़ रहा; जमा ₹156.3 लाख करोड़ और सकल अग्रिम ₹127 लाख करोड़ रहे। वित्त वर्ष 2025-26 में लागत आय अनुपात 49.67% रहा।

तालिका 2 - प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारी संख्या का बदलता परिदृश्य (2020-21 से 2025-26)

बैंक का नाम	कर्मचारी संख्या (2020-21)	कर्मचारी संख्या (2024-25)	बदलाव - मूल 2020-21 से 2024-25 तुलना	प्रवृत्ति - मूल 2024-25 तक	कर्मचारी संख्या FY2025-26
भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	2,46,353	2,36,226	-10,127	गिरावट	2,45,131
बैंक ऑफ बडौदा	82,017	75,008	-7,009	भारी गिरावट	76,693
केनरा बैंक	88,213	81,811	-6,402	गिरावट	81,811
पंजाब नैशनल बैंक (PNB)	1,01,802	1,03,193	944	स्थिर/मामूली वृद्धि	1,03,184
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	78,203	73,945	-4,258	गिरावट	73,885
कुल	~8,56,000	~7,78,000	~-78,000	महत्वपूर्ण कमी	

4.2 उभरता संकट

वित्तीय आंकड़ों की चमक के पीछे एक गंभीर परिचालन चुनौती छिपी है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एक बड़े जनसांख्यिकीय बदलाव के मुहाने पर हैं। 1980 के दशक में भर्ती किए गए कर्मचारियों की एक बड़ी पीढ़ी 2025-2030 के बीच सेवानिवृत्त हो रही है।

यह डेटा स्पष्ट करता है कि व्यापार की मात्रा (UPI लेनदेन, ऋण संवितरण) बढ़ने के बावजूद, कार्यबल सिकुड़ रहा है। यह 'प्रति कर्मचारी उत्पादकता' (Business per Employee) बढ़ाने का दबाव डालता है। इसके अलावा, अनुभवी कर्मचारियों के जाने से 'संस्थागत स्मृति' (Institutional Memory) और विशेषज्ञता (जैसे क्रेडिट मूल्यांकन, विदेशी मुद्रा) का नुकसान हो रहा है। इसलिए चुनौती को केवल संख्या में कमी तक सीमित करने के बजाय सेवानिवृत्ति के साथ ज्ञान-हस्तांतरण, बदलती कौशल-आवश्यकताओं और बढ़ते कारोबार के अनुरूप क्षमता निर्माण के संदर्भ में देखना अधिक उचित है। AI को कर्मचारियों की विशेषज्ञता के पूरक और परिचालन दक्षता के साधन के रूप में अपनाया जाना चाहिए।

4.3 लागत और पेंशन का दबाव

वित्तीय दबाव भी बढ़ रहा है। बैंक यूनियनों द्वारा 'Old Pension Scheme' (OPS) की मांग और सरकार द्वारा 'Unified Pension Scheme' (UPS) की घोषणा ने दीर्घकालिक देनदारियों (Long-term Liabilities) को अनिश्चित बना दिया है। पेंशन और वेतन संशोधन के कारण परिचालन व्यय (Operating Expenses) में वृद्धि होना तय है।

गोल्डमैन साच्स का तर्क है कि तकनीक को उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए, AI का उपयोग केवल "लाभ" के लिए नहीं, बल्कि "अस्तित्व" के लिए आवश्यक है। बदलती कार्यबल संरचना और दीर्घकालिक लागत-दबाव के बीच, केवल तकनीक ही वह माध्यम है जो सेवा स्तर को बनाए रख सकती है। Agentic AI को सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जगह नहीं लेनी है, बल्कि उनके द्वारा छोड़े गए शून्य को भरना है।

भाग 5 - रोडमैप - परिचालन दक्षता और लागत प्रबंधन

यदि AI एक बुलबुला है, तो बैंकों को इसमें भारी निवेश (Sunk Cost) से बचना चाहिए, लेकिन इसके लाभों (Efficiency Gains) को छोड़ना नहीं चाहिए। यह एक नाजुक संतुलन है।

5.1 परिचालन दक्षता - Agentic AI का परिनियोजन

बैंकों को 'Front Office' (चैटबॉट) से आगे बढ़कर 'Middle' और 'Back Office' में Agentic AI तैनात करना चाहिए। ये वे क्षेत्र हैं जहाँ दक्षता सबसे अधिक बढ़ाई जा सकती है।

1. **क्रेडिट और ऋण प्रसंस्करण (Credit & Lending)** -

- समस्या - क्रेडिट विश्लेषक अपना 70% समय डेटा इकट्ठा करने और एक्सेल शीट भरने में बिताते हैं, विश्लेषण में नहीं।
- समाधान - **'Credit Risk Evaluator Agent'** । यह एजेंट ITR, बैंक स्टेटमेंट, GST डेटा और CIBIL रिपोर्ट को स्वायत्त रूप से निकालेगा, उनका विश्लेषण करेगा, और एक 'First Draft' क्रेडिट नोट तैयार करेगा।
- प्रभाव - टर्नअराउंड समय (TAT) 4-5 दिनों से घटकर कुछ घंटों में।

2. **समाधान और लेखा (Reconciliation) -**

- समस्या - हजारों लेनदेन का मैनुअल मिलान, विशेष रूप से वेंडर भुगतान और इंटर-बैंक लेनदेन में।
- समाधान - **'Reconciliation Agent'**। यह एजेंट चालान (Invoices) और लेजर प्रविष्टियों (Ledger Entries) का मिलान करेगा, विसंगतियों को ढूंढेगा, और केवल अपवादों (Exceptions) को मानव कर्मचारी के पास भेजेगा।
- प्रभाव - 99% सटीकता और महीने के अंत में क्लोजिंग समय में भारी कमी।

3. **व्यापार वित्त (Trade Finance) -**

- समस्या - लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) और बिल ऑफ लैडिंग (Bill of Lading) की जांच में भारी मैनुअल काम और कागज।
- समाधान - **'Trade Document Verifier'**। एजेंट UCP 600 नियमों के तहत दस्तावेजों की जांच करता है और अनुपालन सुनिश्चित करता है।

5.2 लागत प्रबंधन - Sovereign Cloud और SLMs

गोल्डमैन साक्स की चेतावनी है कि AI महंगा है। भारतीय बैंकों के लिए, जहाँ प्रति लेनदेन मार्जिन कम है, लागत नियंत्रण महत्वपूर्ण है।

- **Small Language Models (SLMs) का उदय** - बैंकों को हर काम के लिए GPT-4 जैसे विशाल और महंगे मॉडल की आवश्यकता नहीं है। विशिष्ट कार्यों (जैसे चेक पढ़ना या फॉर्म भरना) के लिए 7B या 13B पैरामीटर वाले छोटे मॉडल (जैसे Microsoft Phi-3, Google Gemma, या Llama-3 8B) पर्याप्त हैं। ये मॉडल सस्ते हैं, तेज हैं, और इन्हें बैंक के अपने डेटा सेंटर (On-premise) पर चलाया जा सकता है, जो डेटा गोपनीयता के लिए भी बेहतर है।
- **Sovereign Cloud (संप्रभु क्लाउड)** - विदेशी क्लाउड प्रदाताओं पर निर्भरता कम करने और डेटा स्थानीयकरण (Data Localization) के नियमों का पालन करने के लिए, बैंकों को भारतीय 'Sovereign Cloud' प्रदाताओं (जैसे ESDS, या Google/AWS के भारत-स्थित रीजन जो सरकारी मानकों का पालन करते हैं) को अपनाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा भारतीय कानून के तहत सुरक्षित है और भू-राजनीतिक जोखिमों से मुक्त है।

5.3 तकनीकी बुनियादी ढांचा - Legacy Modernization

Agentic AI तभी काम कर सकता है जब वह कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) से बात कर सके।

- **API-First Approach** - बैंकों को अपने पुराने CBS के ऊपर एक 'API Layer' बनानी होगी।
- **Data Lakehouse** - बिखरे हुए डेटा (Silos) को एक एकीकृत 'Data Lakehouse' में लाना होगा ताकि AI एजेंट संदर्भ (Context) को समझ सकें।

भाग 6 - गवर्नेंस, अनुपालन और FREE-AI फ्रेमवर्क

AI की शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। भारतीय नियामक परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है, और बैंकों को अनुपालन में सबसे आगे रहना होगा।

6.1 आरबीआई का FREE-AI फ्रेमवर्क

दिसंबर 2024 में घोषित और 2025 में चर्चा का विषय बना आरबीआई का **FREE-AI (Framework for Responsible and Ethical Enablement of AI)** भारतीय बैंकिंग के लिए एक दिशा-निर्देश है। यह ढांचा 7 मूल सिद्धांतों पर आधारित है -

1. **विश्वास** - AI सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए।
2. **जनहित**- तकनीक मनुष्यों को सशक्त बनाए, न कि उन्हें हाशिए पर धकेले।
3. **नवाचार** - जोखिम प्रबंधन के नाम पर नवाचार का गला न घोंटा जाए।
4. **निष्पक्षता** - एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह (Bias) को रोकना, विशेष रूप से क्रेडिट स्कोरिंग में।
5. **जवाबदेही**-अंतिम जिम्मेदारी बैंक की है (Board Level), न कि AI वेंडर की।
6. **बोधगम्यता** - 'Black Box' मॉडल स्वीकार्य नहीं; निर्णय की व्याख्या (Explainability/XAI) आवश्यक है।
7. **सुरक्षा** - साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा।

6.2 Human-in-the-Loop (HITL) आर्किटेक्चर

'Agentic AI' की स्वायत्तता को संतुलित करने के लिए, बैंकों को एक मजबूत **Human-in-the-Loop (HITL)** गवर्नेंस मॉडल अपनाना होगा। यह तीन स्तरों पर काम करना चाहिए -

जोखिम स्तर	गवर्नेंस मोड	विवरण	उदाहरण
उच्च जोखिम	Human-in-the-Loop (HITL)	AI केवल सिफारिश करता है; मानव को कार्रवाई को स्पष्ट रूप से अनुमोदित करना होगा।	ऋण स्वीकृति, ₹5 लाख से अधिक का संदिग्ध लेनदेन।
मध्यम जोखिम	Human-on-the-Loop (HOTL)	A I कार्रवाई करता है, लेकिन मानव वास्तविक समय में निगरानी करता है और हस्तक्षेप कर सकता है।	KYC सत्यापन, ग्राहक संचार, पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन।
निम्न जोखिम	Human-out-of-the-Loop (HOOTL)	पूर्ण स्वचालन आवधिक ऑडिट के साथ।	पासवर्ड रीसेट, सामान्य प्रश्न (FAQs), डेटा एंट्री।

6.3 डीपीडीपी अधिनियम 2023 और डेटा गोपनीयता

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 (Digital Personal Data Protection Act 2023) के लागू होने के बाद, बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि AI मॉडल केवल 'सहमति-प्राप्त' (Consented) डेटा का उपयोग करें।

- **Shadow AI** - कर्मचारी अनाधिकृत रूप से ChatGPT जैसे सार्वजनिक टूल में बैंक का डेटा डाल सकते हैं। इसे रोकने के लिए बैंकों को सुरक्षित, आंतरिक AI सैंडबॉक्स (Internal AI Sandbox) प्रदान करने होंगे।
- **Data Minimization** - Agentic AI को केवल उतना ही डेटा एक्सेस देना चाहिए जितना कार्य के लिए आवश्यक है।

भाग 7 - रणनीतिक दृश्य रोडमैप और निष्कर्ष

भारतीय बैंकों के लिए आगे का रास्ता स्पष्ट है - सावधानीपूर्वक आक्रामकता (Cautious Aggression)।

7.1 संकल्पनात्मक दृश्य रोडमैप (Conceptual Visual Roadmap)

वर्ष 2026 के अंतिम चरण को आधार मानते हुए, प्रस्तावित रोडमैप शेष 2026 से 2030 और उसके बाद तक का चरणबद्ध दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह लेखक का संकल्पनात्मक प्रस्ताव है, कोई नियामकीय समय-सारिणी नहीं। अगले चरण में प्रवेश डेटा-तत्परता, परीक्षण-परिणाम, जोखिम नियंत्रण और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति पर निर्भर होगा -

चरण	समय सीमा	केंद्र बिंदु	प्रमुख पहल
चरण 1 - नींव	शेष 2026 से जून 2027	क्षमता निर्माण	• Sovereign Cloud पर डेटा माइग्रेशन • आंतरिक सुरक्षित AI चैटबॉट (PolicyGPT) का लॉन्च • FREE-AI के तहत बोर्ड-स्तरीय AI समिति का गठन
चरण 2 - पायलट	जुलाई से दिसंबर 2027	Agentic AI प्रयोग (Experimentation)	• **Middle Office** - KYC और Reconciliation एजेंटों की तैनाती (HOTL मोड में) • **HR** - भर्ती और ऑनबोर्डिंग में AI का उपयोग • SLMs का परीक्षण लागत कम करने के लिए
चरण 3 - स्केलिंग	2028-2029	एकीकरण	• **Lending** - एंड-टू-एंड डिजिटल लेंडिंग में AI एजेंटों का पूर्ण एकीकरण (HITL मोड में) • **Customer** - स्वायत्त ग्राहक सेवा एजेंट (Autonomous Service Agents) • रियल-टाइम AI ऑडिटिंग सिस्टम
चरण 4 - परिपक्वता	2030 और उसके बाद	स्वायत्त बैंकिंग	• Cross-functional Agent Swarms (एजेंटों का समूह जो मिलकर काम करते हैं) • हाइपर-पर्सनलाइजेशन (Hyper-personalization) 1 -1 स्तर पर • पूर्णतः AI-संचालित जोखिम प्रबंधन

प्रस्तावित समीक्षा-बिंदु - चरण 1 में डेटा गुणवत्ता, सुरक्षित AI वातावरण और governance की तैयारी; चरण 2 में सीमित पायलट तथा सटीकता, TAT, लागत और नियंत्रणों का मूल्यांकन; चरण 3 में सफल उपयोगों का नियंत्रित विस्तार; चरण 4 में स्वतंत्र सत्यापन और निरंतर निगरानी। उच्च-प्रभाव वाले निर्णयों पर मानव अनुमोदन और अंतिम जवाबदेही बैंक की रहेगी।

7.2 निष्कर्ष - बुलबुले को सीढ़ी बनाना

अंत में, "क्या AI एक ट्रिलियन डॉलर का बुलबुला है?" इसका उत्तर शायद 'हां' और 'ना' दोनों है। वित्तीय मूल्यांकन (Valuations) के दृष्टिकोण से, NVIDIA और अन्य तकनीकी शेयरों में सुधार (Correction) आसन्न हो सकता है। यह 'Dotcom Crash' जैसा हो सकता है। लेकिन **तकनीकी उपयोगिता (Utility)** के दृष्टिकोण से, AI वह 'फाइबर ऑप्टिक्स' है जिस पर भविष्य की बैंकिंग चलेगी।

भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए, यह बहस केवल अकादमिक नहीं है। बदलती कार्यबल संरचना, कौशल एवं ज्ञान-हस्तांतरण की आवश्यकता, लागत प्रबंधन और निजी प्रतिस्पर्धा परिचालन क्षमता सुदृढ़ करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। AI को मानव विशेषज्ञता के पूरक और उत्तरदायी दक्षता-वृद्धि के साधन के रूप में अपनाया जाना चाहिए।

बुलबुला फटने का डर बैंकों को पंगु नहीं बनाना चाहिए। इसके विपरीत, यह एक अवसर है। जब वैश्विक बाजार में 'Disillusionment' आएगा और AI की लागत गिरेगी, तब भारतीय बैंक—यदि वे आज सही बुनियादी ढांचा (Data & Governance) तैयार करते हैं—तो वे इस तकनीक का उपयोग दुनिया में सबसे कम लागत पर बैंकिंग सेवाएं देने के लिए कर सकेंगे।

जैसा कि आरबीआई गवर्नर ने अक्सर जोर दिया है, नवाचार महत्वपूर्ण है, लेकिन "वित्तीय स्थिरता की कीमत पर नहीं।" FREE-AI फ्रेमवर्क और Human-in-the-Loop गवर्नेंस के साथ, भारतीय बैंक न केवल इस बुलबुले से बच सकते हैं, बल्कि इसे एक **सीढ़ी (Ladder)** के रूप में उपयोग कर सकते हैं—एक ऐसी सीढ़ी जो उन्हें दक्षता, समावेशन और विश्वास के एक नए युग में ले जाएगी।

"भविष्य उन बैंकों का नहीं होगा जिनके पास सबसे अच्छी तकनीक है, बल्कि उनका होगा जो उस तकनीक को सबसे भरोसेमंद और मानवीय तरीके से लागू करेंगे।" ●

साइबर सुरक्षा क्षेत्र की नई चुनौतियाँ और उनके समाधान

21वीं सदी को यदि "डिजिटल युग" कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। इंटरनेट, मोबाइल, डिजिटल भुगतान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी तकनीकों ने जीवन को तेज, सुगम और आपस में गहराई से जुड़ा हुआ बना दिया है। लेकिन जहाँ यह सुविधाएँ हमारी दुनिया को बदल रही हैं, वहीं इनके साथ साइबर अपराध और साइबर असुरक्षा की नई लहर भी सामने आई है। आज साइबर सुरक्षा केवल कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक विश्वास और व्यक्तिगत गोपनीयता का भी प्रश्न बन चुका है। विश्व के साथ-साथ भारत भी इस चुनौती का सामना कर रहा है।

वर्ष 2025 में साइबर सुरक्षा एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। प्रौद्योगिकी की रफ्तार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग और वैश्विक कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नए अवसर खोले हैं लेकिन यही प्रगति खतरों के नए रास्ते भी खोल रही है। साइबर अपराधी, शत्रु राष्ट्र और संगठित हैकर समूह इन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और डिजिटल जगत को अस्थिर एवं असुरक्षित बना रहे हैं। भारी निवेश और नई सुरक्षा तकनीकों के बावजूद, साइबर सुरक्षा की व्यवस्था लगातार चुनौतियों से जूझ रही है— कभी रैनसमवेयर और डीडीओएस (DDoS) हमलों से, तो कभी विभिन्न सेवा क्षेत्र की डेटा चोरी, क्वांटम तकनीक की धमक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हमलों से। अब तो अंतरिक्ष तक में उपग्रहों की सुरक्षा भी एक गंभीर विषय बन चुकी है। इस निबंध में हम मौजूदा समय में साइबर सुरक्षा क्षेत्र की चुनौतियों एवं उनके समाधान के बारें में जानेंगे जो कि निम्नवत है -



अश्वनी कुमार
सहायक प्रबंधक, प्रवर्तन विभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एआई एजेंट्स - वरदान या अभिशाप

आज साइबर सुरक्षा की सबसे बड़ी क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से हो रही है। एक हालिया अध्ययन बताता है कि **87% संगठनों ने पिछले वर्ष एआई आधारित हमलों का सामना किया**। साधारण मैलवेयर या फ़िशिंग से अलग, ये हमले सीखने, बदलने और अनुकूलित होने की क्षमता रखते हैं। एआई एजेंट्स (AI Agents) इस परिवर्तन के केंद्र में हैं। ये ऐसे स्वचालित सॉफ़्टवेयर हैं जो सोच-समझ कर जटिल कार्य कर सकते हैं— किसी व्यक्ति विशेष हेतु बैठक तय करना, डाटा प्रबंधन करना एवं किसी नेटवर्क की खामियों को ढूँढकर उसका फायदा उठाना। जहाँ ये इंसानों की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, वहीं अपराधियों के हाथों में ये खतरनाक हथियार भी बन सकते हैं। लेकिन एआई केवल खतरा नहीं है, **यही तकनीक बचाव का सबसे बड़ा साधन भी बन सकती है।** एजेंटिक एआई (Agentic AI) खतरे पहचानने, प्रतिक्रिया देने और सिस्टम की निगरानी करने का कार्य स्वचालित कर सकती है। इससे मानव विश्लेषकों का बोझ घटेगा और प्रतिक्रिया समय तेज होगा। भविष्य की साइबर सुरक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि हम एआई का इस्तेमाल जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ कर पाते हैं या नहीं।

2. क्वांटम साइबर सुरक्षा - 'क्यू-डे' की आहट

अगर एआई वर्तमान की चुनौती है, तो **क्वांटम कंप्यूटिंग आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा खतरा है।** यह जानकर आपको हैरानी होगी कि क्वांटम कंप्यूटर ऐसी गणनाएँ कर सकते हैं जिसके लिए परंपरागत कंप्यूटरों को लाखों या अरबों वर्ष लग सकते हैं। यही क्षमता उन्हें साइबर सुरक्षा के लिए खतरनाक बनाती है। आज जिस **RSA-2048 एन्क्रिप्शन** पर दुनिया का अधिकांश डेटा सुरक्षित है, उसे साधारण कंप्यूटर कभी नहीं तोड़ सकते। लेकिन एक सक्षम क्वांटम कंप्यूटर उसे कुछ ही मिनटों में भेद सकता है, विशेषज्ञ इस दिन को **"क्यू-डे"**

कहते हैं। इस **(क्यू-डे)** दिन दुनिया के लगभग सभी मौजूदा एन्क्रिप्शन सिस्टम निष्प्रभावी हो जाएँगे।

इसका मतलब है कि बैंकिंग से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक हर क्षेत्र खतरे में पड़ सकता है और भले ही बड़े क्वांटम कंप्यूटर अभी पूरी तरह तैयार न हों, पर विरोधी देश एवं हैकर समूह आज से ही एन्क्रिप्टेड डाटा चुराकर रख रहे हैं ताकि भविष्य में क्वांटम तकनीक से उसे डिक्रिप्ट किया जा सके। इसीलिए दुनियाभर में **पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (PQC)** पर काम हो रहा है। लेकिन इसे वैश्विक स्तर पर लागू करना आसान नहीं है, इसमें तकनीकी सुधार, नीतिगत सहयोग और भारी निवेश की जरूरत होगी।

3. अन्तरिक्ष और उपग्रहों की सुरक्षा - नई सीमा रेखा

आज अंतरिक्ष केवल वैज्ञानिकों या सरकारों तक सीमित नहीं रहा। निजी कंपनियाँ भी उपग्रह प्रक्षेपण कर रही हैं और हजारों उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ये संचार, नेविगेशन, मौसम पूर्वानुमान और सैन्य निगरानी के लिए जरूरी हैं। लेकिन अब उपग्रह भी साइबर हमलों के निशाने पर हैं। यदि किसी ने उपग्रह को हैक कर लिया, तो वैश्विक संचार बाधित हो सकता है, सैन्य गतिविधियाँ प्रभावित हो सकती हैं और वित्तीय लेन-देन में भी अव्यवस्था फैल सकती है। इस खतरे का राजनीतिक और सामरिक महत्व भी है। भविष्य में अंतरिक्ष में साइबर हमले किसी युद्ध का निर्णायक पहलू साबित हो सकते हैं। इसलिए उपग्रह सुरक्षा केवल तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक प्राथमिकता भी है। इसके लिए वैश्विक सहयोग, साझा नीतियाँ और उन्नत साइबर सुरक्षा तंत्र जरूरी हैं।

4. रैनसमवेयर - लगातार बढ़ता खतरा

अगर नई तकनीकें भविष्य की चिंता हैं, तो **रैनसमवेयर वर्तमान का सबसे बड़ा सिरदर्द है।** अब ये हमले साधारण नहीं रहे, एआई की मदद से फ़िशिंग ईमेल और डीपफेक संदेशों का इस्तेमाल करके अपराधी किसी को भी जाल में फँसा सकते हैं। खासकर छोटे व्यवसाय, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं क्योंकि इनके पास सीमित संसाधन और विशेषज्ञता होती है। समाधान के लिए संगठनों को **नियमित बैकअप, नेटवर्क सेगमेंटेशन, कर्मचारी प्रशिक्षण और आपातकालीन योजना** अपनानी होगी। सरकारों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन आपराधिक समूहों पर नकेल कसने की आवश्यकता है।

5. डीडीओएस हमले - पुराना हथियार, नया रूप

डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल-ऑफ-सर्विस (DDoS) हमले, जो कभी सरल लगते थे, अब फिर से बड़े पैमाने पर लौट आए हैं। अब **"DDoS-for-hire"** सेवाओं ने इसको और आसान बना दिया है। मामूली रकम देकर कोई भी व्यक्ति बड़े स्तर का हमला कर सकता है। कई बार ये हमले राजनीतिक घटनाओं, चुनावों या सामाजिक आंदोलनों से जुड़े होते हैं। आधुनिक DDoS हमले केवल सर्वर पर नहीं, बल्कि राउटर और स्विच जैसे **एज डिवाइस** को निशाना बनाते हैं, जिससे इन्हें रोकना और कठिन हो जाता है। इससे बचाव के लिए क्लाउड-आधारित सुरक्षा, लचीला नेटवर्क ढांचा और बेहतर अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है।

समाधान और रणनीतियाँ

साइबर सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। इसमें तकनीकी, नीतिगत, संस्थागत और सामाजिक स्तर पर उपायों का समन्वय होना चाहिए। केवल तकनीकी उपाय पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि सामाजिक जागरूकता, कानूनी सख्ती और संस्थागत क्षमता-वृद्धि भी उतनी ही अनिवार्य है।

i. **तकनीकी समाधान** - तकनीकी स्तर पर सबसे पहले हमें **पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी** अपनानी होगी, ताकि भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग द्वारा वर्तमान एन्क्रिप्शन सिस्टम को तोड़े जाने के खतरे से बचा जा सके। इसके साथ ही एजेंटिक AI सुरक्षा को विकसित करना आवश्यक है, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हमलों से निपटने के लिए स्वयं के लिए AI तकनीकों का ही उपयोग करना। इसके अतिरिक्त, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) और Zero Trust Architecture जैसी अवधारणाओं को व्यापक स्तर पर अपनाना होगा, ताकि किसी भी नेटवर्क या डेटा तक पहुँच के लिए कई स्तरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही, संस्थानों को नियमित रूप से क्लाउड सुरक्षा और बैकअप प्रणाली पर ध्यान देना चाहिए ताकि आकस्मिक डेटा हानि या साइबर हमले की स्थिति में जल्दी से पुनःस्थापना संभव हो सके।

ii. **संस्थागत उपाय** - संस्थागत स्तर पर, अस्पतालों, बैंकों और सरकारी विभागों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा ऑडिट नियमित रूप से होना चाहिए। इससे कमजोरियों की

पहचान कर समय रहते उन्हें दूर किया जा सकता है। भारत की प्रमुख संस्था CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए तथा इसे स्थानीय स्तर तक अधिक सुलभ बनाया जाए। इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों में साइबर सुरक्षा विषय को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ डिजिटल खतरों से निपटने के लिए तैयार हो सकें।

iii. **नीतिगत और कानूनी समाधान** - नीतिगत स्तर पर, भारत सरकार द्वारा पारित Digital Personal Data Protection Act, 2023 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा ताकि व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित रहे। इसके अतिरिक्त, AI और क्वांटम सुरक्षा से जुड़े नए खतरे देखते हुए विशेष कानून और नियामक ढाँचे तैयार करने की आवश्यकता है। साइबर अपराध सीमाओं में बँधा नहीं होता, इसलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग अनिवार्य है। भारत को वैश्विक मंचों पर साइबर अपराध से निपटने के लिए साझा रणनीति और सूचना-साझाकरण व्यवस्था का हिस्सा बनना होगा।

iv. **सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर समाधान** - साइबर सुरक्षा केवल सरकार और संस्थानों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें समाज और व्यक्ति की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आम नागरिकों को साइबर हाइजीन अपनानी होगी—जैसे समय-समय पर पासवर्ड बदलना, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करना, और सार्वजनिक नेटवर्क का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना। छोटे और मध्यम व्यवसायों को भी साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण तथा सस्ती और भरोसेमंद सुरक्षा सेवाओं की उपलब्धता प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा, मीडिया और सोशल नेटवर्क पर फैलने वाली फेक न्यूज़ और डीपफेक तकनीक की पहचान के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने होंगे।

निष्कर्ष - एक अनिश्चित युग में सुरक्षा की तलाश

स्पष्ट है कि साइबर सुरक्षा की चुनौतियाँ लगातार विकसित हो रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हमले, स्वास्थ्य डेटा की चोरी, रैनसमवेयर, क्वांटम कंप्यूटिंग का खतरा, DDoS हमले और IoT कमजोरियाँ—ये सभी आने वाले वर्षों में और भी जटिल होने वाली हैं। भारत जैसे तेजी से डिजिटल होते देश के लिए साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विषय नहीं है, बल्कि यह आर्थिक प्रगति, लोकतांत्रिक स्थिरता और नागरिक विश्वास का मूलभूत आधार है। यदि हम तकनीकी नवाचार, संस्थागत सुधार, कानूनी ढाँचे और सामाजिक जागरूकता को साथ लेकर चलें, तो साइबर अपराधों से निपटना संभव है। अन्यथा डिजिटल क्रांति का लाभ अधूरा रह जाएगा। सही मायनों में, 21वीं सदी का विकास तभी स्थायी होगा जब डिजिटल सुरक्षा और विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान समय की साइबर चुनौतियाँ एक सच्चाई उजागर करती हैं—डिजिटल दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि सुरक्षा तंत्र उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। एजेंटिक एआई से सुरक्षा तंत्र और भविष्यदर्शी बन सकता है एवं पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी से डाटा सुरक्षित किया जा सकता है। अंतरिक्ष सुरक्षा में वैश्विक सहयोग नई मिसाल बना सकता है और संगठनों के स्तर पर प्रशिक्षण, जागरूकता और ढाँचागत सुधार से तत्काल खतरों से भी निपटा जा सकता है। आख़िरकार, साइबर सुरक्षा केवल कंप्यूटर या नेटवर्क की रक्षा नहीं है। यह स्वास्थ्य, वित्त, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानव प्रगति के भविष्य की रक्षा है। इसीलिए मौजूदा समय का सबसे बड़ा संदेश यही है—**'साइबर सुरक्षा अब हाशिये का मुद्दा नहीं बल्कि डिजिटल युग में वैश्विक स्थिरता और विश्वास का आधार है।'**

रेग्युलेटर की नज़र से

बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ व समुत्थानशील बनाने के लिए एवं ग्राहक सेवा के क्षेत्र में निरंतर सुधार के लिए, आरबीआई निरंतर प्रयत्नशील रहता है। इस दिशा में विगत छमाही में जारी मास्टर निदेशों, अधिसूचनाओं व परिपत्रों के माध्यम से आरबीआई द्वारा बैंकिंग संबंधी प्रक्रियाओं को और भी सरल व ग्राहक सुलभ बनाने का प्रयास जारी है।

विदेशी निवेश – आरबीआई को संदर्भ प्रस्तुत करना

01 अप्रैल 2026 को जारी ए.पी. (डी.आई.आर. शृंखला) परिपत्र सं. 02 के अनुसार भारत के निवासी व्यक्तियों द्वारा प्राधिकृत व्यापारी (AD) बैंकों के माध्यम से प्राप्त विदेशी निवेश (Overseas Investment) से संबंधित संदर्भ केंद्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग के स्थान पर आरबीआई के सात क्षेत्रीय कार्यालयों में निपटाए जाएँगे। AD बैंक अब इन्हें आरबीआई के प्रवाह (PRAVAAH) पोर्टल के माध्यम से भेजेंगे जिनका निपटान UIN उपसर्ग के अनुसार - AH–अहमदाबाद; BG–बेंगलुरु; BL/BY/PJ–मुंबई; BN/CA/GA/GH–कोलकाता; CG/JM/JR/KA/ ND/PT/WR–नई दिल्ली; HY–हैदराबाद; KO/MA–चेन्नई कार्यालयों द्वारा किया जाएगा।

मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों को विनियमित करने वाले अनुदेशों का ज्ञापन – भारत में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी मुद्रा काउंटरों का स्थान

02 अप्रैल 2026 को जारी ए.पी. (डी.आई.आर. शृंखला) परिपत्र सं. 04 के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रस्थान हॉल में इमिग्रेशन या सीमा शुल्क डेस्क के आगे ड्यूटी-फ्री क्षेत्र अथवा सुरक्षा होल्ड क्षेत्र (Security Hold Area) में स्थापित विदेशी मुद्रा काउंटरों पर भारतीय रुपये के नोटों को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी। मुद्रा विनिमय गतिविधियों संबंधी मुख्य दिशा-निर्देश में तदनुसार संशोधन किया जा रहा है।



अनामिका शर्मा
उप महाप्रबंधक,
कॉर्पोरेट कार्यनीति व बजट विभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

आवक सीमा-पार भुगतानों को तेज और सुगम बनाने के लिए दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक के भुगतान विज़न 2025 का उद्देश्य जी20 रोडमैप के अनुरूप सीमा-पार भुगतानों में दक्षता लाना है ताकि उन्हें सस्ता, तेज़, अधिक पारदर्शी और अधिक सुलभ बनाया जा सके। इन भुगतानों की गति में प्रमुख चुनौती लाभार्थी बैंक द्वारा भुगतान प्राप्ति से लेकर लाभार्थी खाते में जमा होने तक का समय है। अतः आरबीआई द्वारा 09 अप्रैल 2026 को जारी दिशा निर्देश (आरबीआई/202627/08 केका.डीपीएसएस.आईडी.सं.एस 20/06-08-017/2026-27) के माध्यम से बैंकों को सलाह दी गई है कि – (i) बैंक अपने ग्राहकों को सीमा-पार से होने वाले आवक लेनदेन प्राप्ति की सूचना आवक संदेश प्राप्त होते ही तुरंत देंगे। बैंकों के सामान्य कार्यकाल कार्य समाप्त होने के बाद प्राप्त संदेशों की सूचना ग्राहक को अगले कार्यदिवस की शुरुआत पर तुरंत दी जाएगी। (ii) यह देखा गया है कि कई बैंक नोस्ट्रो खातों में प्राप्तियों की पुष्टि और मिलान के लिए नोस्ट्रो खाते के दैनिक विवरण पर निर्भर करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जमा में देरी होती है। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए, बैंकों को सलाह दी गई है कि वे नोस्ट्रो खाते में जमा का मिलान और पुष्टिकरण लगभग वास्तविक समय में या नियमित अंतराल पर करें। समायोजन अंतराल सामान्यतः एक घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। (iii) बैंक विदेशी मुद्रा बाजार के कार्यकाल समय के दौरान प्राप्त आवक भुगतानों को उसी कार्यदिवस में लाभार्थी के खाते में जमा करने का प्रयास करेंगे, और बाजार समय के बाद प्राप्त आवक भुगतानों को अगले कार्यदिवस में जमा करेंगे, बशर्ते कि वर्तमान विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और अन्य नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाए। (iv) बैंक अपने जोखिम मूल्यांकन के आधार पर और मौजूदा फेमा दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन, भारतीय निवासियों के खाते में आवक भुगतान जमा करने के लिए एक सीधी प्रक्रिया (STP) स्थापित कर सकते हैं। (v) उचित समय-सीमा के भीतर बैंक अपने ग्राहकों को दस्तावेज़ या

जानकारी प्रस्तुत करने और लेनदेन की निगरानी सहित विदेशी मुद्रा लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल इंटरफ़ेस प्रदान करने का प्रयास करेंगे।

डिजिटल भुगतान – ई-अधिदेश ढांचा, 2026

डिजिटल पेमेंट्स – ई-अधिदेश ढांचा, 2026 दिनांक 21 अप्रैल 2026 को भुगतान एवं निपटान प्रणाली (PSS) अधिनियम, 2007 की धारा 10(2) तथा धारा 18 के तहत तत्काल प्रभाव से जारी किया गया (संदर्भ RBI/DPSS/2026-27/396 तथा RBI/CO.DPSS.POLC.No. S56/02.14.003/2026-27)।

यह सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं एवं सहभागियों पर लागू होता है जो कार्ड / PPI / UPI के माध्यम से घरेलू या सीमा-पार आवर्ती (recurring) लेनदेन संसाधित करते हैं। इसके कुछ मुख्य प्रावधानों में सम्मिलित है – ई-अधिदेश का एक बार पंजीकरण अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारक (AFA) द्वारा किया जाना; तय वैधता अवधि और अनिवारी AFA के माध्यम से संशोधन/वापसी की संभावना; लेनदेन-पूर्व सूचना — व्यापारी का नाम, राशि, समय, संदर्भ संख्या और कारण सहित, जो कि डेबिट से कम से कम 24 घंटे पहले दी जाएगी; लेनदेन-उपरांत सूचना में शिकायत निवारण संबंधी विवरण को शामिल किया जाना। सभी आवर्ती लेनदेन AFA के बिना ₹15,000/- प्रति लेनदेन तक अनुमोदित किए जा सकते हैं। इस राशि से अधिक के लेनदेन एएफए के अधीन होंगे। बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड में सदस्यता और क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के लिए एएफए के बिना ₹1,00,000/- प्रति लेनदेन तक भुगतान किया जा सकता है। आवर्ती लेनदेन के लिए ई-अधिदेश सुविधा का उपयोग करने के लिए ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इन निदेशों के जारी होने के साथ, 2019–2024 के आठ परिपत्र निरसित किए गए।

आरबीआई [एजेंसी बैंकों (ABs) द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन – एजेंसी कमीशन का भुगतान तथा एजेंसी बैंकों की निगरानी] निदेश, 2026

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में अपनी भूमिका के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, सरकारी बैंकिंग कारोबार के निर्बाध संचालन के लिए एजेंसी बैंकों को दिनांक 30 अप्रैल 2026 को निदेश जारी किए गए (RBI/DGBA/2026-27/400; CO.DGBA.GBD.No.S44/31.02.007/2026-27)।

ये निदेश एजेंसी बैंकों द्वारा संभाले जाने वाले सरकारी बैंकिंग कारोबार से जुड़े समस्त निदेशों को एक जगह संकलित करते हैं जो कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी), अनुसूचित भुगतान बैंक (पीबी), और अनुसूचित लघु वित्त बैंक (एसएफबी) पर लागू हैं (कुल 33 बैंक, अनुबंध-1 में सूचीबद्ध), जिन्हें आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 के तहत आरबीआई द्वारा, आपसी समझौते से, केंद्र सरकार (कें.स.) / राज्य सरकारों (रा.स.) का सरकारी बैंकिंग कारोबार करने के लिए नियुक्त किया गया है।

इस निदेश में कमीशन के पात्र लेनदेन (राजस्व प्राप्तियाँ, पेंशन सहित भुगतान, चालान द्वारा मुद्रांक शुल्क) तथा अपात्र लेनदेन (बैंक का अपना कर, TDS, मंत्रालयों/विभागों हेतु LC एवं बैंक गारंटी, राज्य सरकारों की उधार प्रक्रिया, स्वायत्त निकाय, प्री-फंडेड योजनाएँ, GMS 2015) स्पष्ट किए गए हैं। साथ ही, 01 अप्रैल 2025 से लागू कमीशन की दरें – भौतिक रसीद प्रति ₹40, ई-रसीद प्रति ₹12, पेंशन लेनदेन प्रति ₹80, तथा अन्य भुगतानों पर ₹100 के लेनदेन मूल्य पर 7 पैसे, का भी उल्लेख है।

एजेंसी बैंकों को बताया गया है कि उनके द्वारा कमीशन की मांग त्रैमासिक आधार पर उचित अनुबंध व प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुए 60 दिनों के भीतर की जानी है। GST के उपचार तथा अपात्र/अनुचित दावे पर बैंक दर + 2% दंडात्मक ब्याज के प्रावधान का भी उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त एबी में सरकारी कारोबार की निगरानी के लिए आरबीआई द्वारा निरीक्षण, onsite/offsite रिटर्न एवं आवधिक बैठकों से संबन्धित निदेशों को भी जारी रखा गया है। इस मास्टर निदेश में पूर्व में जारी परिपत्रों को समेकित करते हुए इसके द्वारा ३६ परिपत्रों को निरस्त किया जाता है।

भारत में प्राधिकृत व्यापारी (श्रेणी I) बैंकों के माध्यम से बैंकों से इतर संस्थाओं द्वारा जावक विप्रेषण सेवाएं प्रदान करने के लिए परिचालनगत ढांचा

गैर-बैंक संस्थाएं कुछ शर्तों के अधीन भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के माध्यम से जावक विप्रेषण सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए गठबंधन व्यवस्था के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करती रही हैं। 13 मई 2026 को जारी ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 10 के माध्यम से, इस तरह के गठबंधन के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया

को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और साथ ही प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया कि वे ऑनलाइन मोड (वेबसाइट/ऑनलाइन प्लेटफॉर्म/सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन/ मोबाइल एप्लिकेशन/कोई अन्य इंटरफेस) में तृतीय पक्ष की इकाई का उपयोग करके गैर-व्यापार चालू खाता लेनदेन के लिए धन के सीमा पार विप्रेषण की सुविधा प्रदान करते समय, इस संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन करें। एडी, फेमा के अंतर्गत लेनदेन के अनुपालन को सुनिश्चित करने और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी और संशोधित परिपत्र के अनुसार, अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया को सुनिश्चित के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार रहेंगे।

केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (CIMS) पर विवरण/रिटर्न जमा करना

एडी श्रेणी – I बैंकों को किसी महीने के दौरान उनके द्वारा खोले और बंद किए गए सभी बीओ/एलओ/पीओ की एक समेकित सूची, अगले महीने की पाँच तारीख तक तथा मासिक आधार पर, आवेदकों की संख्या और नॉन-रेज़ीडेंट (ओर्डिनरी) रूपी (NRO) खाते से प्रेषित कुल राशि का एक विवरण, निर्धारित प्रारूप में, , महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय कक्ष, संसद मार्ग, नई दिल्ली को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। 05 जून 2026 को जारी ए.पी.(डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 12 के अनुसार 30 जून 2026 से उपर्युक्त विवरणों को 'केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली' (CIMS) पोर्टल (URL - https://sankalan.rbi.org.in) के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है।

02 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार विनियमित संस्थाओं द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में प्रदान किए गए राहत उपायों से संबंधित डेटा CIMS पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना आवश्यक है। तदनुसार, संशोधित विनियामकीय ढाँचे के अनुरूप मौजूदा रिपोर्टिंग व्यवस्था को संरेखित करने के लिए, विनियमित संस्थाएँ अपेक्षित जानकारी को संशोधित रिपोर्टिंग प्रारूप में CIMS पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगी। रिटर्न को प्रत्येक छमाही की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर अर्थात् 30 सितंबर को समाप्त होने वाली छमाही के लिए 30 अक्तूबर तक तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाली छमाही के लिए 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाए।

ससमय रिपोर्टिंग और केंद्रीयकृत तौर पर डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक सराहनीय कदम है।

एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के लिए विभिन्न सुविधाएं

5 जून 2026 के अपने वक्तव्य में गवर्नर महोदय ने रेखांकित किया कि वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौतियों का केवल सामना व उनका समाधान ही न करें, बल्कि उन्हें अपनी आघात-सहनीयता को और सुदृढ़ करने के अवसर के रूप में स्वीकारें। इसी दिशा में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए उनहोंने कुछ उपायों की घोषणा की जिनमें एडी बैंकों को नए 3-5 वर्ष के एफ़सीएनआर (बी) जमाराशि जुटाने के लिए पूरी हेजिंग लागत उठाने की सुविधा 30 सितंबर 2026 तक दिया जाना भी सम्मिलित था। इस संदर्भ में 8 जून 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों के लिए, न्यूनतम तीन वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए जुटाई गई नई विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफसीएनआर) (बी) जमाराशियों के लिए **अमेरिकी डॉलर-रुपया विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा** शुरू करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही, 08 जून 2026 और 19 जून 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) द्वितीय और तृतीय संशोधन निदेशक, के अनुसार विभिन्न बैंकों द्वारा 08 जून 2026 से 30 सितंबर 2026 तक जुटाई गई इन नवीन एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के लिए **सीआरआर और एसएलआर बनाए रखने से छूट** दी जाएगी। साथ ही, यह छूट 19 जून 2026 और 30 सितंबर 2026 के बीच जुटाई गई तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि की नवीन अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) सावधि जमाराशियों के लिए भी दी जाएगी।

07 अगस्त 2026 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026 के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 08 जून 2026 और 30 सितंबर 2026 के बीच बैंकों द्वारा जुटाई गई न्यूनतम तीन वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष (जिनके अंतर्गत परिपक्वता पर नवीकृत जमाराशियां भी शामिल हैं) की नवीन एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर दिए गए अग्रिम, और तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि की एनआरई सावधि जमाराशियों (जिनके अंतर्गत परिपक्वता पर नवीकृत जमाराशियां भी शामिल हैं) पर दिए गए अग्रिमों को **समायोजित**

निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) की गणना से छूट दी जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक [एजेंसी बैंकों (ABs) द्वारा सरकारी पेंशन का संवितरण] प्रथम संशोधन निदेश, 2026

24 जून 2026 को जारी किए गए इस संशोधन निदेश के माध्यम से एजेंसी बैंक की त्रुटियों के कारण हुए अतिरिक्त/गलत पेंशन भुगतान की वसूली के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया को शामिल किया गया है। संशोधन निदेश के अनुसार, जैसे ही पेंशन वितरण करने वाले बैंक के संज्ञान में आता है कि पेंशनभोगी को अतिरिक्त/गलत अदायगी कि गयी है, तुरंत एक लिखित नोटिस के माध्यम से पेंशनभोगी को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। नोटिस में अतिरिक्त/गलत अदायगी का विवरण, त्रुटि की प्रकृति, प्रस्तावित वसूली विधि और बैंक को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। साथ ही एजेंसी बैंकों को बताया गया है कि बैंक को पेंशनभोगियों को की गई अतिरिक्त/गलत पेंशन भुगतान की वसूली के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करनी चाहिए, उचित परिचालन प्रक्रिया/निदेश जारी करने चाहिए, एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए और उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक संशोधन दिशा-निर्देश, 2026 (क्रेडिट जोखिम प्रबंधन; तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान; आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान; उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण के संबंध में)

रिज़र्व बैंक ने 8 जून 2023 के विकासात्मक और नियामक नीतियों पर विवरण के अंतर्गत यह घोषणा की थी कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित एक्सपोज़रों के संदर्भ में समाधान योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रचलित सावधानीजनक मानदंडों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएँगे, जिनमें विभिन्न विनियमित इकाइयों पर लागू नियामक अनुदेशों का समन्वयन भी शामिल है। दिनांक 29 अप्रैल, 2026 को 'भारतीय रिज़र्व बैंक संशोधन दिशा-निर्देश, 2026' के अंतर्गत क्रेडिट जोखिम प्रबंधन, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान, आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान तथा उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण से संबंधित पृथक-पृथक संशोधन निर्देश जारी किए गए।

संशोधन निर्देशों के अनुसार, बैंक द्वारा किए जाने वाले क्रेडिट आकलन (credit assessment) में, ऐसी घटनाओं से प्रभावित हो सकने वाले ऋणग्राहकों पर आपदाओं के संभावित प्रभाव को यथोचित रूप से विचार में लिया जाएगा।

'तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान' संबंधी संशोधन निर्देश किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ऋणग्राहकों के एक्सपोज़रों के समाधान पर, तथा यथासादृश्य (mutatis mutandis) दंगों / उपद्रवों जैसी ऐसी बाह्य घटनाओं से प्रभावित ऋणग्राहकों के एक्सपोज़रों के समाधान पर लागू होंगे जिनसे आर्थिक गतिविधि को हानि पहुँचती है, जब संबंधित सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराए गए ढाँचे के अनुरूप केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसी आपदा की घोषणा की जाती है। ये अनुदेश उन ऋणग्राहक खातों पर लागू नहीं होंगे जिनमें प्रभावी तिथि तक राहत उपाय पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं; ऐसे खाते विद्यमान सावधानीजनक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत ही निर्देशित होते रहेंगे। यदि समाधान योजना क्रियान्वित की जाती है, तो 'मानक' (Standard) श्रेणी में वर्गीकृत ऋणग्राहक खातों को क्रियान्वयन के पश्चात् भी उसी श्रेणी में यथावत् बनाए रखा जा सकेगा।

'उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण' संबंधी संशोधन निर्देश के अनुसार, बैंक आपदा से प्रभावित अपनी शाखाओं को अस्थायी परिसरों से संचालित कर सकेगा, बशर्ते कि इस बाबत रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित किया जाए। बैंक को एटीएम सेवाओं के बहाली हेतु तत्काल कार्रवाई करनी होगी ताकि ये सेवाएँ यथाशीघ्र बहाल हो सकें। इस अवधि के दौरान, प्रभावित क्षेत्रों की तत्काल नकद आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंक को वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी होगी। आपदा घोषित किए गए क्षेत्रों के ग्राहकों के संदर्भ में बैंक अपने विवेक से, एक वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि तक, विभिन्न शुल्कों एवं प्रभारों में छूट / कमी जैसी राहत उपलब्ध करा सकेगा।

ये सभी संशोधन दिनांक 1 जुलाई 2026 से प्रभावी किए गए।

घूमता आईना (राष्ट्रीय खंड)

भारत में पॉलीमर नोट लाने की तैयारी

हाल ही में पॉलीमर नोटों को लेकर ठोस कदम उठाए गए हैं। संसद में सरकार ने बताया कि ₹10 और ₹20 मूल्यवर्ग के पॉलीमर नोटों का प्रायोगिक परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) ने वैश्विक निविदा जारी की है, जिसमें 68,000 रीम पॉलीमर सब्सट्रेट शीट्स की मांग की गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि चीन और पाकिस्तान से कोई कच्चा माल नहीं लिया जाएगा और भारत-विशिष्ट सब्सट्रेट किसी तीसरे देश को नहीं दिया जाएगा।

पॉलीमर नोट कपास आधारित नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं और इन्हें नकली बनाना कठिन होता है। इनमें पारदर्शी विंडो, विशेष एंटी-काउंटरफिटिंग तकनीकें और आधुनिक सुरक्षा फीचर्स शामिल होंगे। इन नोटों का जीवनकाल सामान्य नोटों से तीन से चार गुना अधिक होने की उम्मीद है, जिससे बार-बार छपाई की आवश्यकता कम होगी और दीर्घकालीन लागत में बचत होगी। संसद में दिए गए बयान के अनुसार, सफल परीक्षणों के बाद वित्त वर्ष 2027–28 से इनका प्रचलन शुरू किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे देशों में पॉलीमर नोट पहले से प्रचलन में हैं। इन देशों में नकली नोटों की घटनाओं में कमी आई है और छपाई की लागत भी घटी है। यह कदम भारतीय मुद्रा प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है, जिससे मुद्रा अधिक टिकाऊ बनेगी।

युवाओं के लिए बैंकिंग (Banking for Youth) अभियान

सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को "Banking for Youth" नामक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि यह पहल युवाओं को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने और उनके वित्तीय जीवन के विभिन्न चरणों में सहयोग देने के लिए शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। इस अभियान के तहत कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कौशल संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथ ही एक साझा डिजिटल पोर्टल और मोबाइल ऐप भी विकसित किया जाएगा, जहाँ शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता से जुड़ी बैंकिंग सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में वित्तीय साक्षरता विकसित करना, उन्हें डिजिटल बैंकिंग से परिचित कराना और सुरक्षित लेन-देन की आदतों को विकसित करना है। संसद में दिए गए बयान के अनुसार, यह पहल युवाओं को न केवल बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का प्रयास है, बल्कि उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में भी एक ठोस कदम है।

इस अभियान से युवाओं की वित्तीय आदतों में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। औपचारिक बैंकिंग से जुड़ने पर वे बचत, निवेश और ऋण जैसी सेवाओं का बेहतर उपयोग कर पाएँगे। डिजिटल बैंकिंग के प्रति जागरूकता बढ़ने से नकद लेन-देन पर निर्भरता कम होगी और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। दीर्घकालिक दृष्टि से यह पहल बैंकिंग क्षेत्र के लिए भी लाभकारी होगी, क्योंकि इससे बैंकों को एक नया ग्राहक आधार मिलेगा और युवाओं के साथ स्थायी संबंध स्थापित होंगे।

बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक, 2026 – डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक, 2026 (Bankers' Books Evidence Bill, 2026) पारित किया गया है। यह विधेयक 1891 के Bankers' Books Evidence Act को निरस्त कर उसकी जगह लेगा। पुराने कानून में केवल कागज़ी अभिलेख को ही साक्ष्य के रूप में मान्यता दी जाती थी, जबकि नए विधेयक में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। संसद में सरकार ने स्पष्ट किया कि यह बदलाव



डॉ. निधि शर्मा
प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल

न्यायिक प्रक्रिया को आधुनिक बनाने और डिजिटल बैंकिंग को कानूनी रूप से मज़बूत करने के लिए आवश्यक है।

इस विधेयक के तहत अदालतें केवल "विशेष कारण" होने पर ही बैंक अधिकारियों को रिकॉर्ड प्रस्तुत करने या गवाही देने के लिए बाध्य कर सकेंगी। विशेष कारणों में रिकॉर्ड की सत्यता पर संदेह, नियमितता में बाधा, या अदालत के आदेश का पालन न करना शामिल है। इसके अलावा, सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस कानून को अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे एनबीएफसी और वित्तीय सेवा प्रदाताओं पर भी लागू कर सके।

इस विधेयक का सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि अब डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड्स को कानूनी मान्यता मिलने से न्यायिक प्रक्रिया तेज और अधिक सटीक होगी। इससे नकली या छेड़छाड़ किए गए डेटा पर रोक लगेगी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बढ़ेगी। वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी, क्योंकि एनबीएफसी और अन्य संस्थाएँ भी इसके दायरे में आएँगी। दीर्घकालीन दृष्टि से यह कानून भारत को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाएगा और डिजिटल बैंकिंग को कानूनी रूप से मज़बूत करेगा।

ग्लोबल हैकाथॉन HaRBInger 2026 – सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग की ओर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने वैश्विक हैकाथॉन HaRBInger 2026 के चौथे संस्करण के परिणाम अप्रैल 2026 में घोषित किए। इस वर्ष की थीम "Secure Banking - Powered by Identity, Integrity, and Inclusivity" थी, जिसका उद्देश्य सुरक्षित, समावेशी और भरोसेमंद डिजिटल बैंकिंग समाधान विकसित करना था। हैकाथॉन में कुल 496 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें 15 देशों से अंतरराष्ट्रीय प्रविष्टियाँ भी शामिल थीं। इसमें विश्व भर से विभिन्न स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी कंपनियों और शोध संस्थानों ने भाग लिया।

Tokenised KYC श्रेणी में यूके की EarthId Technology Ltd. का 'Sangrah' समाधान विजेता रहा, जो गोपनीयता-संरक्षित और सहमति-आधारित डिजिटल केवाईसी व्यवस्था प्रदान करता है। वहीं ऑफलाइन सीबीडीसी (e₹) श्रेणी में पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी (PICT) के छात्रों की टीम A-SPARSH विजेता रही, जिसने बिना इंटरनेट के सुरक्षित डिजिटल रुपया लेनदेन का समाधान प्रस्तुत किया।

HaRBInger 2026 वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने की भारतीय रिज़र्व बैंक की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से विकसित समाधान ग्राहक पहचान सत्यापन, डिजिटल भुगतान सुरक्षा और वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ बनाने में सहायक हो सकते हैं तथा भारत को वैश्विक फिनटेक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने में योगदान देंगे।

ई-मेंडेट फ्रेमवर्क 2026 – डिजिटल भुगतान में पारदर्शिता और सुरक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 अप्रैल 2026 को ई-मेंडेट फ्रेमवर्क 2026 लागू किया। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रणाली को और सुरक्षित तथा उपभोक्ता हितैषी बनाना है। इस नई व्यवस्था के तहत ग्राहकों को ऑटो-डेबिट और आवर्ती भुगतान (Recurring Payments) पर अधिक नियंत्रण मिलेगा।

अब किसी भी आवर्ती भुगतान जैसे मोबाइल बिल, बिजली बिल, बीमा प्रीमियम या सब्सक्रिप्शन सेवाओं के लिए ग्राहक को पहले से स्पष्ट सहमति देनी होगी। रजिस्ट्रेशन और मेंडेट में किसी भी बदलाव या उसे रद्द करने के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारक (Additional Factor Authentication) अनिवार्य किया गया है। भुगतान से कम से कम 24 घंटे पहले ग्राहक को राशि, तारीख और व्यापारी का नाम जैसी जानकारी दी जाएगी, और भुगतान के बाद विस्तृत सूचना तथा शिकायत निवारण का विकल्प उपलब्ध होगा। ग्राहक को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह किसी भी समय ई-मेंडेट को रद्द या संशोधित कर सके, और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

इस कदम से डिजिटल भुगतान में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ता को अपने वित्तीय लेन-देन पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। इससे धोखाधड़ी और अनधिकृत लेन-देन की संभावना कम होगी। बैंकों और भुगतान कंपनियों को अपने सिस्टम को इस फ्रेमवर्क के अनुरूप अपडेट करना होगा। ई-मेंडेट फ्रेमवर्क डिजिटल अर्थव्यवस्था को मज़बूत करेगा और ग्राहकों का विश्वास बढ़ाएगा। यह भारत को सुरक्षित और आधुनिक डिजिटल भुगतान व्यवस्था की दिशा में आगे ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है।

मिशन 'सक्षम' – शहरी सहकारी बैंकों के लिए क्षमता निर्माण की पहल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 अप्रैल 2026 को मिशन 'सक्षम' (Mission SAKSHAM) की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण को मज़बूत करना है। डिजिटल लेन-देन के बढ़ते दौर में उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित भुगतान तरीकों, साइबर धोखाधड़ी से बचाव और जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है।

मिशन सक्षम के तहत लगभग 1.40 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड सदस्य, वरिष्ठ प्रबंधन, जोखिम और अनुपालन अधिकारी, ऑडिट प्रमुख, आईटी कर्मचारी और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में कार्यरत लोग शामिल होंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम इन-पर्सन और ई-लर्निंग दोनों माध्यमों से आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण सामग्री क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल में शहरी सहकारी बैंकों के संगठन और राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के सहकारी संघों को भी साझेदार बनाया गया है।

मिशन 'सक्षम' केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। शहरी सहकारी बैंक छोटे व्यवसायों, वेतनभोगी परिवारों और मध्यम आय वर्ग के लिए स्थानीय स्तर पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। उनकी क्षमता बढ़ने से ग्राहकों को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद सेवाएं मिलेंगी। साथ ही, यह पहल अनुपालन संस्कृति को मज़बूत करेगी और बैंकों को तकनीकी बदलावों के अनुरूप ढालने में मदद करेगी।

आरबीआई ओम्बड्समैन योजना 2026 – उपभोक्ता हितों की नई सुरक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 जुलाई 2026 से रिज़र्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2026 (आरबी-आईओएस, 2026) लागू की है। इस योजना का उद्देश्य ग्राहकों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का तेज़, सरल और निष्पक्ष समाधान उपलब्ध कराना है। नई व्यवस्था के तहत ग्राहक अपनी शिकायतें पूरी तरह नि -शुल्क दर्ज कर सकते हैं और उनकी स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।

यह योजना वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों, ₹50 करोड़ या उससे अधिक जमा वाले शहरी सहकारी बैंकों, ग्राहक इंटरफेस रखने वाली ₹100 करोड़ या उससे अधिक परिसंपत्ति वाली कुछ एनबीएफसी, गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान साधन जारीकर्ताओं तथा क्रेडिट सूचना कंपनियों पर लागू होती है।

योजना में "एक राष्ट्र, एक ओम्बड्समैन" दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे शिकायतों का निपटारा क्षेत्राधिकार की बाधाओं से मुक्त होकर किया जाता है। यह व्यवस्था वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही बढ़ाने, उपभोक्ता अधिकारों को सशक्त करने तथा बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वास को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सीकेवाईसी - बैंकिंग और निवेश में नई पहचान व्यवस्था

सरकार ने हाल ही में संसद में घोषणा की है कि केंद्रीकृत अपने ग्राहक को जानें (CKYC) व्यवस्था लागू की जा रही है। यह व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से प्रभावी हुई है, और इसका उद्देश्य ग्राहकों को बार-बार अलग-अलग संस्थानों में केवाईसी (KYC) कराने की झंझट से मुक्त करना है। अब बैंक खाता खोलने, म्यूचुअल फंड में निवेश करने या बीमा खरीदने जैसी सेवाओं में केवल एक बार सीकेवाईसी पूरा करना होगा। इसके बाद ग्राहक का डेटा सभी वित्तीय संस्थानों के लिए उपलब्ध रहेगा।

सीकेवाईसी एक केंद्रीकृत डेटाबेस है, जिसमें ग्राहक की पहचान और जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं। ग्राहक को केवल सीकेवाईसी नंबर देना होगा और बैंक या निवेश कंपनी उसी आधार पर उसकी पहचान सत्यापित कर लेगी। इससे न केवल सुविधा बढ़ेगी बल्कि धोखाधड़ी और फर्जी खातों पर भी रोक लगेगी। सीकेवाईसी में बायोमेट्रिक और फोटो पहचान जैसी आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाएं शामिल हैं।

इस बदलाव से वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा। शुरुआत में लोगों को नई प्रक्रिया समझने में समय लग सकता है, लेकिन लंबे समय में यह व्यवस्था सभी के लिए लाभकारी साबित होगी।

वित्तीय समावेशन सूचकांक 70.0 – भारत की बड़ी उपलब्धि

मार्च 2026 तक देश का वित्तीय समावेशन सूचकांक बढ़कर 70.0 के स्तर पर पहुँच गया है। यह सूचकांक इस बात का संकेत है कि अधिक से अधिक लोग बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल भुगतान, बीमा और ऋण जैसी सुविधाओं से जुड़ रहे हैं।

इस सूचकांक को तीन पहलुओं पर आँका जाता है – पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता। 70.0 तक पहुँचना दर्शाता है कि वित्तीय सेवाएँ अब

पहले से कहीं अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हैं और लोग इन्हें सक्रिय रूप से अपना रहे हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बैंक खाते खोलने, डिजिटल लेन-देन करने और बीमा जैसी सेवाओं का प्रयोग बढ़ा है।

मानवीय दृष्टिकोण से यह उपलब्धि बेहद महत्वपूर्ण है। इसका आशय है कि आम नागरिकों को अब आर्थिक सुरक्षा और बचत के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। छोटे किसान, मजदूर, महिलाएँ और युवा भी वित्तीय प्रणाली से जुड़कर अपने जीवन को अधिक सुरक्षित और स्थिर बना पा रहे हैं। वित्तीय समावेशन का स्तर बढ़ने से समाज में आर्थिक असमानता कम होने के साथ-साथ विकास की गति तेज होती है।

MuleHunter.ai का विस्तार - डिजिटल धोखाधड़ी के विरुद्ध रिज़र्व बैंक की एआई-आधारित पहल

भारत में डिजिटल भुगतान का विस्तार अभूतपूर्व गति से हो रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई लेन-देन की संख्या 200 बिलियन से अधिक हो गई, जिससे डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का आकार और जटिलता दोनों बढ़े हैं। इसी के साथ साइबर अपराधियों द्वारा मनी म्यूल अथवा म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से अवैध धन के हस्तांतरण की घटनाएँ भी बढ़ी हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए रिज़र्व बैंक के फिनटेक विभाग तथा रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) द्वारा विकसित MuleHunter.ai एक महत्वपूर्ण तकनीकी समाधान के रूप में उभरा है। यह प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग तथा उन्नत डेटा विश्लेषण तकनीकों का उपयोग कर संदिग्ध खातों और लेन-देन पैटर्न की पहचान करती है। RBIH के अनुसार यह मंच उच्च स्तर की सटीकता के साथ संभावित म्यूल खातों की पहचान करने में सक्षम है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार, MuleHunter.ai के दायरे और कवरेज का विस्तार किया जा रहा है ताकि अधिक बैंक और विनियमित संस्थाएँ इसका लाभ उठा सकें। यह पहल धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान को कम करने, धन शोधन निरोधक (AML) व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने तथा बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों के विश्वास को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बैंकिंग क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का बढ़ता महत्व और रिज़र्व बैंक की पहल

वैश्विक स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता बैंकिंग व्यवसाय को पुनर्परिभाषित कर रही है और भारत भी इस परिवर्तन से अछूता नहीं है। जुलाई २०२६ में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने बैंकों से एआई आधारित समाधानों को अपनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, लागत कम करने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने का आह्वान किया। एआई के माध्यम से बैंक ग्राहक व्यवहार का विश्लेषण कर व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, ऋण जोखिम का अधिक सटीक आकलन कर सकते हैं, धोखाधड़ी की त्वरित पहचान कर सकते हैं तथा साइबर सुरक्षा निगरानी को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। बैंकिंग उद्योग में एआई आधारित चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स तथा रियल-टाइम फ्रॉड मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है।

रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में नए सदस्य नमित

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में हाल ही में कुछ ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को शामिल किया गया है, जिनकी विशेषज्ञता प्रशासन, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक वित्त, उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों जैसे विविध क्षेत्रों में रही है। केंद्र सरकार ने पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन, सार्वजनिक वित्त एवं प्रशासन विशेषज्ञ एनी जॉर्ज मैथ्यू तथा प्रख्यात अर्थशास्त्री एवं प्रबंधन सलाहकार जनमेजय कुमार सिन्हा को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ को भी केंद्रीय बोर्ड में शामिल किया गया है, जबकि महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों से केंद्रीय बोर्ड को अर्थशास्त्र, सार्वजनिक वित्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उद्योग तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों जैसे क्षेत्रों का व्यापक अनुभव प्राप्त होगा।

डीमैट 2.0 - कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार में डिजिटल बदलाव की नई पहल

मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर और सेबी के अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से 'डीमैट 2.0' का शुभारंभ किया। यह पहल कॉरपोरेट बॉण्ड के निर्गम, निवेश, हस्तांतरण और भुगतान जैसी प्रक्रियाओं को अधिक तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

डीमैट 2.0 में कॉरपोरेट बॉण्ड को डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी

(DLT) के माध्यम से डिजिटल रूप में दर्ज किया जाएगा। बॉण्ड से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगी, जिससे रिकॉर्ड-रखरखाव और लेनदेन की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सकेगी। हालांकि, निवेशकों के अधिकार, बॉण्ड की कानूनी मान्यता, क्रेडिट रेटिंग, ट्रस्टी व्यवस्था तथा अन्य विनियामकीय प्रावधान पहले की तरह ही लागू रहेंगे। इस पहल में केवल तकनीक को आधुनिक बनाया गया है, निवेशक सुरक्षा से जुड़े नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इस व्यवस्था को आरबीआई की थोक सीबीडीसी और यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस (UMI) से जोड़ा गया है। इसके परिणामस्वरूप प्रतिभूति और भुगतान का निपटान एक साथ हो सकेगा, जिससे समय की बचत होगी और लेनदेन से जुड़े जोखिम कम होंगे। साथ ही, ब्याज भुगतान और परिपक्वता पर मूलधन वापसी जैसी प्रक्रियाओं को भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से काफी हद तक स्वचालित किया जा सकेगा।

कुल मिलाकर, डीमैट 2.0 भारतीय पूंजी बाजार को अधिक दक्ष, सुरक्षित और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह भविष्य में प्रतिभूति बाजार के डिजिटलीकरण को नई गति प्रदान करने के साथ-साथ निवेशकों और निर्गमकर्ताओं दोनों के लिए प्रक्रियाओं को अधिक सरल और सुविधाजनक बना सकता है।

यूपीआई टैप एंड पे (UPI Tap & Pay) एवं माई यूपीआई (MyUPI) - डिजिटल भुगतान को अधिक सरल और ग्राहक-केंद्रित बनाने की पहल

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा दो नई ग्राहक-केंद्रित यूपीआई पहलों, UPI Tap & Pay और MyUPI, की घोषणा की गई। इनका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को अधिक तेज, सुविधाजनक और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना है।

यूपीआई टैप एंड पे सुविधा के माध्यम से ग्राहक एनएफसी-सक्षम मोबाइल उपकरणों का उपयोग कर पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) टर्मिनल पर केवल टैप करके भुगतान कर सकेंगे। इससे भुगतान प्रक्रिया अधिक त्वरित और सहज बनेगी तथा छोटे मूल्य के खुदरा लेनदेन में ग्राहक अनुभव बेहतर होगा।

माई यूपीआई (My UPI) एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित ग्राहक सहायता समाधान है, जो एनपीसीआई के स्वदेशी भाषा मॉडल FiMi (Financial Intelligence Model of India) पर आधारित है। यह उपयोगकर्ताओं को यूपीआई लेनदेन, भुगतान संबंधी प्रश्नों एवं सामान्य शिकायतों के समाधान हेतु संवादात्मक और बहुभाषी सहायता प्रदान करेगा।

ये दोनों पहलें भारत के तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। जहां UPI Tap & Pay भुगतान को अधिक सहज बनाता है, वहीं My UPI ग्राहकों को बेहतर डिजिटल सहायता उपलब्ध कराकर डिजिटल वित्तीय सेवाओं को अधिक समावेशी और ग्राहक-केंद्रित बनाने में योगदान देता है।

बैंकिंग सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु रिज़र्व बैंक के प्रस्तावित केवाईसी संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 सितंबर 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक (आपने ग्राहक को जानें) संशोधन निदेश, 2026 का मसौदा सार्वजनिक सुझावों और टिप्पणियों के लिए जारी किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में बढ़ती साइबर धोखाधड़ी और मनी म्यूल खातों (ऐसे खाते जिनका उपयोग धोखाधड़ी से प्राप्त धन के हस्तांतरण के लिए किया जाता है) पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

यह मसौदा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 4 अगस्त 2026 के आदेश के अनुसरण में तैयार किया गया है। इसके तहत बैंकों को ऐसे खातों या धनराशि पर अस्थायी डेबिट रोक (Temporary Debit Hold) लगाने के लिए एक मानकीकृत प्रक्रिया अपनानी होगी, जिनका संबंध साइबर अपराध या मनी म्यूल गतिविधियों से होने की आशंका हो।

प्रस्तावित नियमों के अनुसार बैंकों को संदिग्ध लेनदेन की निगरानी और रिपोर्टिंग को और अधिक सुदृढ़ बनाना होगा। इससे धोखाधड़ी से जुड़े खातों की शीघ्र पहचान, ग्राहक हितों की बेहतर सुरक्षा तथा डिजिटल बैंकिंग में विश्वास बढ़ाने में सहायता मिलेगी। यह मसौदा वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस पर सुझाव आमंत्रित करते हुए 2 अक्तूबर 2026 तक टिप्पणियां मांगी हैं।

घूमता आईना (अंतरराष्ट्रीय खंड)

1. संयुक्त राज्य अमेरिका - श्रम बाजार की शिथिलता और फेडरल रिजर्व की नपी-तुली मौद्रिक ढील

हवा का रुख बदलते देर कितनी सी लगती है,
चराग़ों को संभलने की ज़रा मोहलत नहीं मिलती।

- अहमद फ़राज़

फ़राज़ साहब का यह शेर अमेरिकी वित्तीय परिदृश्य पर इस छमाही में अक्षरशः सटीक बैठता है, जहाँ लंबे समय से सख्त मौद्रिक रुख की जिद पर अड़े नीति-निर्माताओं को बदलते समष्टि-आर्थिक आंकड़ों और श्रम बाजार की अकस्मात नरमी ने पलक झपकते ही अपनी दिशा बदलने पर विवश कर दिया। अमेरिकी केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व ने विगत तीन वर्षों से चले आ रहे आक्रामक मौद्रिक संकुचन के चक्र को औपचारिक रूप से विराम देते हुए अपनी बेंचमार्क ब्याज दरों (Federal Funds Rate) में 25 आधार अंकों की बहुप्रतीक्षित कटौती की। यह नीतिगत कदम केवल मुद्रास्फीति के क्रमिक रूप से लक्षित 2.4 प्रतिशत के स्तर तक सुस्ताने का परिणाम नहीं था, बल्कि अमेरिकी रोजगार आंकड़ों में आई अप्रत्याशित नरमी और गैर-कृषि पेरोल (Non-farm Payrolls) के संकुचन की सीधी प्रतिक्रिया भी था।

फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) के वक्तव्यों में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया कि अब मौद्रिक नीति का प्राथमिक केंद्र बिंदु केवल मूल्य स्थिरता तक सीमित न रहकर 'दोहरे अधिदेश' (Dual Mandate) के दूसरे सिरे—अर्थात अधिकतम सतत रोजगार के संरक्षण—पर समान रूप से टिक चुका है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी मध्यम और क्षेत्रीय वाणिज्यिक बैंकों के तुलन-पत्रों पर कमर्शियल रियल एस्टेट (CRE) संपत्तियों के गिरते बाजार मूल्यों और बढ़ते अशोध्य ऋणों के दबाव ने केंद्रीय बैंक को अत्यधिक प्रतिबंधात्मक मौद्रिक रुख शिथिल करने पर विवश किया। हालांकि, सेवाओं की महंगाई में अब भी बनी अंतर्निहित 'चिपचिपाहट' (Sticky Inflation) को ध्यान में रखते हुए फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि आगामी कटौतियां पूर्व-निर्धारित पथ पर न होकर पूर्णतः आने वाले समष्टि-आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेंगी।



डॉ. आनंद उपाध्याय
महाप्रबंधक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

2. जापान - दशकों पुरानी अति-उदार नीति की समाप्ति और 'येन कैरी ट्रेड' का वैश्विक आघात

लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई — **मुज़फ़्फ़र रज़्मी**

जब समूचा विकसित विश्व मौद्रिक ढील की दिशा में कदम बढ़ा रहा था, बैंक ऑफ जापान (BoJ) ने ऐतिहासिक रूप से विपरीत दिशा में चलते हुए अपनी अल्पकालिक नीतिगत ब्याज दर को बढ़ाकर 0.50 प्रतिशत कर दिया। जापान में वसंत ऋतु के वार्षिक वेतन समझौतों (Shunto Wage Negotiations) में लगातार दूसरे वर्ष 5 प्रतिशत से अधिक की वेतन वृद्धि दर्ज होने, घरेलू उपभोग में सुधार आने और कोर मुद्रास्फीति के सतत रूप से 2 प्रतिशत से ऊपर बने रहने के कारण केंद्रीय बैंक ने दशकों पुरानी नकारात्मक व शून्य ब्याज दर व्यवस्था को हमेशा के लिए त्याग दिया।

बैंक ऑफ जापान के इस साहसिक कदम ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में अभूतपूर्व तरलता कंपन उत्पन्न कर दिया। वर्षों से अंतरराष्ट्रीय हेज फंडों और संस्थागत निवेशकों का सबसे पसंदीदा साधन रहा 'येन कैरी ट्रेड' जिसके अंतर्गत लगभग शून्य ब्याज दर पर जापानी मुद्रा उधार लेकर उच्च प्रतिफल वाले अमेरिकी ट्रेजरी बिलों, तकनीकी शेयरों और उभरते बाजारों की मुद्राओं में निवेश किया जाता था, उसमें अचानक तेजी से उलटी चाल (Unwind) होने लगी। वैश्विक निवेशकों द्वारा भारी मात्रा में येन की पुनर्खरीद और विदेशी जोखिम संपत्तियों की ताबड़तोड़ बिकवाली के कारण वॉल स्ट्रीट, लंदन और एशियाई शेयर बाजारों में तीव्र अल्पकालिक बिकवाली देखी गई, जिसने पुनः यह सिद्ध किया कि किसी एक प्रमुख अर्थव्यवस्था की घरेलू नीति पूरी दुनिया की वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करा सकती है।

3. यूरोपीय संघ - एआई एक्ट (EU AI Act) का वित्तीय क्रियान्वयन और बैंकिंग मॉडल

यूरोपीय संघ (EU) ने अपने बहुचर्चित 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम' (EU AI Act) के वित्तीय अनुपालन प्रावधानों को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया, जिसने यूरोपीय बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी अनुप्रयोगों के संचालन के नियम पूरी तरह बदल दिए। यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण (EBA) ने सभी सदस्य देशों के वित्तीय संस्थानों को कड़े निर्देश जारी किए कि क्रेडिट अंडरराइटिंग, व्यक्तिगत ऋण पात्रता निर्धारण और बीमा जोखिम प्रीमियम गणना में प्रयुक्त सभी स्वचालित एआई मॉडलों को अनिवार्य रूप से 'उच्च-जोखिम' (High-Risk) श्रेणी में माना जाएगा।

नए विनियामक ढांचे के तहत अब बैंकों को ऑडिट योग्य दस्तावेजों के साथ यह प्रमाणित करना होगा कि उनके क्रेडिट एल्गोरिद्म किसी भी प्रकार के ऐतिहासिक, लैंगिक, जातीय या भौगोलिक पूर्वाग्रह से पूरी तरह मुक्त हैं। साथ ही, यदि किसी ग्राहक का ऋण आवेदन खारिज होता है, तो बैंक को केवल एल्गोरिद्म के निष्कर्ष पर निर्भर न रहकर ग्राहक को उस निर्णय का सुस्पष्ट, पारदर्शी और मानवीय 'व्याख्या-योग्य' (Explainable AI) कारण लिखित रूप में उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इन विनियामक मानकों के उल्लंघन पर वित्तीय संस्थाओं पर उनके वैश्विक वार्षिक कारोबार का 7 प्रतिशत अथवा 35 मिलियन यूरो तक का भारी-भरकम दंडात्मक प्रावधान किया गया है।

4. यूनाइटेड किंगडम - बैंक ऑफ इंग्लैंड का 'डिजिटल पाउंड' प्रोटोटाइप और गोपनीयता मानक

कहाँ से चली और कहाँ को गई है, ये दौलत भी पानी की मानिंद बही है।

मुद्रा के इसी बदलते स्वरूप और उसके अनियंत्रित बहाव की चिंता ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को यह सोचने पर मजबूर किया है कि डिजिटल युग में संप्रभु मुद्रा की साख और नागरिक की व्यक्तिगत गोपनीयता के बीच एक सुरक्षित संतुलन कैसे साधा जाए। बैंक ऑफ इंग्लैंड (BoE) और महामहिम के राजकोष (HM Treasury) ने अपने प्रस्तावित सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)— 'डिजिटल पाउंड' (Britcoin), के तकनीकी प्रोटोटाइप परीक्षण और वास्तुकला डिजाइन के अंतिम चरण की शुरुआत की घोषणा की। इस व्यापक परियोजना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन की भुगतान प्रणाली को भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था के अनुरूप आधुनिक बनाना और निजी वित्तीय एकाधिकारों के मुकाबले एक संप्रभु, सुरक्षित डिजिटल विकल्प प्रस्तुत करना है।

ब्रिटिश केंद्रीय बैंक के नीतिगत दस्तावेज में नागरिकों के व्यक्तिगत वित्तीय डेटा की गोपनीयता और राज्य की निगरानी के बीच एक सख्त विभाजन रेखा खींची गई है। यह स्पष्ट किया गया कि केंद्रीय बैंक और सरकार के पास व्यक्तिगत नागरिकों के दैनिक लेन-देन या खर्च करने के तौर-तरीकों तक कोई पहुंच नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली से अचानक जमाराशियों के डिजिटल पलायन (Bank Disintermediation) और वित्तीय अस्थिरता के जोखिम को टालने के लिए प्रत्येक नागरिक हेतु 10,000 से 20,000 डिजिटल पाउंड की व्यक्तिगत धारिता सीमा (Holding Limit) तय की गई है।

5. स्विट्जरलैंड - क्रेडिट सुइस संकट के बाद 'टू-बिग-टू फेल' (TBTF) ढांचे का कड़ा पुनर्गठन

चला जाता हूँ हँसता-खेलता मौज-ए-हवादिस से,
अगर आसानियाँ हों, ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। — **असर लखनवी**

हवादिस यानी हादसों से सीख लेकर ही व्यवस्थाएं मजबूत बनती हैं, और स्विस विनियामकों ने भी क्रेडिट सुइस के अचानक आए वित्तीय तूफान को केवल एक दुर्घटना न मानकर अपने पूरे बैंकिंग दुर्ग को नए पूंजीगत नियमों से सुरक्षित करने का जरिया बना लिया है। मार्च 2023 में क्रेडिट सुइस के ऐतिहासिक पतन और यूबीएस (UBS) में उसके संकटकालीन विलय की कड़वी सीखों के तीन वर्ष पश्चात, स्विस संसद और स्विस नेशनल बैंक (SNB) ने देश के वित्तीय दुर्ग को अभेद्य बनाने के लिए 'टू-बिग-टू-फेल' विनियामक ढांचे में आमूल-चूल संशोधनों को अंतिम स्वीकृति दी। इस विनियामक पुनरीक्षण का केंद्र बिंदु यूबीएस बैंक की विशालकाय संरचना है, जिसकी कुल परिसंपत्तियां अब स्विट्जरलैंड के कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के दोगुने के करीब पहुंच चुकी हैं।

नए नियमों के अनुसार, यूबीएस को किसी भी भावी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय झटके को बिना सरकारी बेल-आउट के सहने हेतु अतिरिक्त 25 बिलियन डॉलर की प्राथमिक इक्विटी पूंजी (Common Equity Tier 1 - CET1) जुटाने और अलग रखने का वैधानिक अधिदेश दिया गया है। इसके अलावा, स्विस वित्तीय बाजार पर्यवेक्षी प्राधिकरण (FINMA) को अप्रत्याशित विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें

संकटग्रस्त बैंकों के शीर्ष प्रबंधन के पूर्व में वितरित बोनस को वापस वसूलने, प्रबंधन में सीधी विनियामक दखलंदाजी करने और गंभीर विफलता की स्थिति में त्वरित प्रशासनिक दंड लगाने की शक्तियां शामिल हैं।

6. सिंगापुर - 'प्रोजेक्ट नेक्सस' का संचालन और सीमा-पार तीव्र भुगतान क्रांति

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥-
— महोपनिषद् (अध्याय 4, श्लोक 71)

(उदार हृदय वालों के लिए संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार है)

इसी सुविचार को लक्षित कटे हुए, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) इनोवेशन हब और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (MAS) ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों (ASEAN) के प्रमुख केंद्रीय बैंकों के साथ मिलकर 'प्रोजेक्ट नेक्सस' (Project Nexus) के बहुप्रतीक्षित लाइव परिचालन चरण का उद्घाटन किया। यह अभूतपूर्व बहुपक्षीय अवसंरचना भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), सिंगापुर के PayNow, मलेशिया के DuitNow, फिलीपींस के InstaPay और थाईलैंड के PromptPay जैसी राष्ट्रीय तीव्र भुगतान प्रणालियों को एक साझा, मानकीकृत गेटवे के माध्यम से सीधे जोड़ती है।

इस प्रणाली के लागू होने के बाद सदस्य देशों के नागरिक, व्यापारी और प्रवासी कामगार बिना किसी मध्यस्थ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक की लंबी कतारों के, केवल प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर या वर्चुअल आईडी दर्ज करके 60 सेकंड के भीतर सीमा-पार धनराशि का अंतरण कर सकते हैं। इसने जी-20 द्वारा निर्धारित उस वैश्विक रोडमैप को प्राप्त करने की दिशा में ठोस प्रगति प्रस्तुत की है, जिसका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुदरा विप्रेषण (Remittance) लागत को घटाकर 3 प्रतिशत से कम करना और लेन-देन में पूर्ण पारदर्शिता स्थापित करना है।

7. ब्राजील - 'पिक्स' का ऑफलाइन विस्तार और डिजिटल क्रेडिट का नवाचार

ब्राजील के केंद्रीय बैंक (Banco Central do Brasil) ने अपनी अत्यंत लोकप्रिय और विश्व-प्रसिद्ध खुदरा भुगतान प्रणाली 'पिक्स' (Pix) का विस्तार करते हुए 'Pix Automático' और 'Pix Offline' नामक दो क्रांतिकारी तकनीकी उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर चालू किया। लैटिन अमेरिका के दूरदराज, ग्रामीण और कमजोर दूरसंचार कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में यह तकनीक नियर-फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) और एन्क्रिप्टेड क्यूआर कोड प्रोटोकॉल के जरिए बिना सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन के भी सुरक्षित वित्तीय लेन-देन संपन्न कराने में सफल रही है।

इसके साथ ही, ब्राजील ने वित्तीय समावेशन को और गहरा करने हेतु 'पिक्स गारंटीड' (Pix Garantido) की शुरुआत की, जो डिजिटल वॉलेट के भीतर ही छोटे उपभोक्ताओं और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बिना क्रेडिट कार्ड के किश्तों में भुगतान (Buy Now Pay Later) की त्वरित सुविधा प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी विशेष रिपोर्ट में ब्राजील के इस नवाचार को पारंपरिक बैंकिंग तंत्र से बाहर छूटे वंचित वर्गों को औपचारिक वित्तीय धारा में जोड़ने वाले विश्व के सबसे सफल मॉडलों में से एक के रूप में मान्यता दी है।

8. केन्या - 'एम-पेसा' (M-Pesa) का एआई-आधारित सूक्ष्म ऋण और केंद्रीय बैंक की विनियामक लक्ष्मण-रेखा

केन्याई केंद्रीय बैंक (CBK) ने देश में संचालित फिनटेक इकाइयों, डिजिटल लेंडिंग ऐप्स और मोबाइल मनी प्लेटफॉर्म्स (विशेषकर सफारीकॉम के M-Pesa नेटवर्क) द्वारा वितरित किए जाने वाले स्वचालित एल्गोरिद्मिक ऋणों पर अत्यंत सख्त विनियामक दिशानिर्देश अधिसूचित किए। केन्या में 80 प्रतिशत से अधिक वयस्क आबादी आपातकालीन जरूरतों के लिए इन डिजिटल क्रेडिट उत्पादों पर निर्भर हो चुकी है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल ग्राहक के स्मार्टफोन डेटा, कॉल रिकॉर्ड, एयरटाइम उपयोग और संदेशों का विश्लेषण करके सेकंडों में ऋण जारी करते हैं।

केंद्रीय बैंक की गहन जांच में यह चिंताजनक तथ्य सामने आया कि इन एआई मॉडलों द्वारा अत्यधिक दंडात्मक ब्याज दरें (वार्षिक 40 से 60 प्रतिशत तक) वसूली जा रही थीं और किश्त चूकने पर ग्राहकों के सामाजिक संपर्कों को स्वचालित रूप से संदेश भेजकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। सीबीके ने उपभोक्ता संरक्षण को सर्वोपरि रखते हुए सभी डिजिटल ऋणदाताओं के लिए ब्याज दरों की अधिकतम सीमा (Interest Rate Cap) तय कर दी और ग्राहकों की स्पष्ट पूर्व-सहमति के बिना उनके निजी फोन मेटाडेटा के उपयोग पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध लगा दिया।

9. नाइजीरिया - विदेशी मुद्रा बाजार सुधार और 'ई-नायरा' (eNaira) का लक्षित पुनरुद्धार

नाइजीरिया के केंद्रीय बैंक (CBN) ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा 'नायरा' को बार-बार होने वाले अवमूल्यन के आघातों से बचाने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में बहु-स्तरीय विनिमय दरों को समाप्त कर पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर आधारित पारदर्शी और बाजार-संचालित व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया। विगत दो वर्षों में तेल उत्पादन में आई गिरावट, मुद्रास्फीति के दबाव और विदेशी पूंजी के बहिर्वाह के बाद इन संरचनात्मक सुधारों के फलस्वरूप देश के विदेशी मुद्रा भंडार में पुनः स्थिरता दर्ज की गई।

इसके समानांतर, नाइजीरियाई केंद्रीय बैंक ने अपनी संघर्षरत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी 'ई-नायरा' (eNaira) के दूसरे उन्नत संस्करण को सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर पुनः सक्रिय किया। इस नए मॉडल के तहत सरकारी उर्वरक सब्सिडी, सूखा राहत और सामाजिक सुरक्षा निधियों का वितरण सीधे प्रोग्रामेबल ई-नायरा (Programmable CBDC) वॉलेट्स के माध्यम से किया गया, जिसे केवल अधिकृत कृषि और खाद्य केंद्रों पर ही भुनाया जा सकता है। इस तकनीकी व्यवस्था ने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में बिचौलियों की भूमिका और भ्रष्टाचार को 90 प्रतिशत तक समाप्त करने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की।

10. अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS) - 'प्रोजेक्ट अगोरा' (Project Agorá) और थोक टोकनाइजेशन

मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय समाशोधन और थोक बैंकिंग अवसंरचना के क्षेत्र में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) ने सात प्रमुख केंद्रीय बैंकों और 40 से अधिक वैश्विक व्यवस्थित वाणिज्यिक बैंकों के सहयोग से संचालित 'प्रोजेक्ट अगोरा' (Project Agorá) की अंतरिम परीक्षण रिपोर्ट आधिकारिक रूप से प्रस्तुत की। इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने यह व्यावहारिक रूप से सिद्ध किया कि कैसे टोकनाइज्ड वाणिज्यिक बैंक जमाराशियों (Tokenized Commercial Bank Deposits) और थोक सीबीडीसी (Wholesale CBDC) को एक एकीकृत, प्रोग्रामेबल लेज़र पर लाकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय अनुबंधों का वास्तविक समय में निपटान किया जा सकता है।

वर्तमान कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग प्रणाली में जो अंतरराष्ट्रीय लेन-देन अलग-अलग विनियामक मानकों, परिचालन समय (Time Zone) के अंतर, जटिल मनी-लॉन्ड्रिंग जांच और मुद्रा रूपांतरण की लागत के कारण 2 से 4 कार्यदिवस लेते हैं, वे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से बिना किसी प्रतिपक्ष जोखिम (Counterparty Risk) के तात्कालिक रूप से संपन्न किए गए। डिलीवरी बनाम भुगतान (DvP) और भुगतान बनाम भुगतान (PvP) के इस पूर्ण स्वचालन ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में तरलता की लागत को भारी मात्रा में घटाने का एक नया खाका पेश किया है।

11. अंतरराष्ट्रीय सततता मानक बोर्ड (ISSB) - वित्तीय संस्थानों हेतु 'स्कोप 3' वित्तपोषित उत्सर्जन प्रकटीकरण

माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः। ***अथर्ववेद (काण्ड 12, सूक्त 1, श्लोक 12 - भूमिसूक्त)***

(भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ)

पृथ्वी के प्रति इस पावन सनातन बोध को आज अंतरराष्ट्रीय वित्तीय तंत्र के विनियामकीय मानकों में कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय सततता मानक बोर्ड (ISSB) द्वारा जारी किए गए वैश्विक जलवायु प्रकटीकरण मानक **IFRS S2** के अंतर्गत बैंकों और संस्थागत निवेशकों के लिए 'स्कोप 3' (Scope 3 - Category 15 - Financed Emissions) प्रकटीकरण अधिकांश जी-20 अधिकार क्षेत्रों में सांविधिक रूप से अनिवार्य हो गया।

अब अंतरराष्ट्रीय बैंकों को केवल अपनी कार्यालयीन इमारतों या आंतरिक बिजली खपत का हिसाब देने भर से मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें यह भी विस्तृत रूप से सार्वजनिक करना होगा कि उनके द्वारा तेल, गैस, सीमेंट, उड्डयन और भारी विनिर्माण उद्योगों को दिए गए ऋणों व निवेशों से कुल कितना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। इस कठोर प्रकटीकरण अनिवार्यता के परिणामस्वरूप वैश्विक वित्तीय संस्थानों ने अपने ऋण पोर्टफोलियो में उच्च कार्बन उत्सर्जक परियोजनाओं पर पूंजीगत जोखिम भार (Risk Weightage) बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे 'ट्रांजिशन फाइनेंस' और हरित बॉन्ड बाजारों में पूंजी प्रवाह अभूतपूर्व गति से बढ़ा है।

12. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एवं विश्व बैंक - संप्रभु ऋण संकट और 'कॉमन फ्रेमवर्क' की समीक्षा

आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान निम्न और मध्यम आय वाले विकासशील देशों के सिर पर मंडराते संप्रभु ऋण संकट (Sovereign Debt Crisis) पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। विगत वर्षों की उच्च वैश्विक ब्याज दरों और मजबूत अमेरिकी डॉलर के दोहरे दबाव के कारण अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 60 से

अधिक राष्ट्र अपने कुल राजकोषीय राजस्व का 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा केवल विदेशी ऋणों के ब्याज भुगतान में झोंकने पर विवश हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य और शिक्षा बजट बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

जी-20 और पेरिस क्लब के 'कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेट ट्रीटमेंट्स' (Common Framework) के अंतर्गत पश्चिमी आधिकारिक लेनदारों, गैर-पेरिस क्लब लेनदारों (विशेषकर चीन) और निजी बॉन्डधारकों के बीच समन्वय की अत्यधिक धीमी गति और अविश्वास की तीखी आलोचना हुई। इसके समाधान हेतु आईएमएफ ने एक संशोधित कानूनी रूपरेखा प्रस्तावित की, जिसके तहत यदि कोई संकटग्रस्त राष्ट्र बहुपक्षीय आर्थिक सुधार कार्यक्रम को स्वीकार करता है, तो निजी और द्विपक्षीय लेनदारों को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर आनुपातिक ऋण कटौती (Debt Haircut) और पुनर्भुगतान पुनर्गठन पर हस्ताक्षर करना बाध्यकारी होगा।

13. कल, आज और कल

सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो।

यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिराके अगर तुम संभल सको तो चलो॥ — ***निदा फ़ाज़ली***

निदा फ़ाज़ली का यह प्रसिद्ध शेर आज की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था की सबसे खरी और यथार्थवादी तस्वीर पेश करता है। यह वह दौर है जहां प्रत्येक राष्ट्र को अपनी आंतरिक आर्थिक सुदृढ़ता, विवेकपूर्ण विनियामक दृष्टि और नीतिगत अनुशासन के बल पर ही वैश्विक उथल-पुथल का सामना करना होगा। कोई भी बाहरी शक्ति किसी के लिए बना-बनाया सुगम मार्ग प्रस्तुत करने वाली नहीं है।

अप्रैल से सितंबर 2026 की यह छमाही स्पष्ट करती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं, तकनीकी क्रांतियों और नीतिगत विचलन के एक अत्यंत नाजुक दोराहे पर खड़ी है। विकसित देशों में ब्याज दर कटौती का आरंभ वित्तीय बाजारों के लिए तात्कालिक राहत लेकर आया है, किंतु आर्थिक मंदी से बचाव, अनियंत्रित सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन और गैर-बैंक वित्तीय क्षेत्र के अदृश्य जोखिमों को थामने की कठिन चुनौती जस की तस बनी हुई है।

प्रौद्योगिकी, चाहे वह तेज भुगतान नेटवर्क हों, सीबीडीसी का प्रसार हो या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संस्थागत उपयोग, वित्तीय सेवाओं के मौलिक स्वरूप को क्रांतिकारी गति से नया रूप दे रही है। परंतु इन तकनीकी चमत्कारों की वास्तविक सार्थकता अंततः इस बात पर निर्भर करेगी कि वे कितनी पारदर्शिता, सुरक्षा, निष्पक्षता और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाते हैं। भू-आर्थिक विखंडन और संरक्षणवाद की धूप कितनी भी तीखी क्यों न हो, एक स्थिर और लचीली वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण केवल अंतरराष्ट्रीय विनियामकीय समन्वय, साझा तकनीकी मानकों और निष्पक्ष बहुपक्षीय संवाद से ही संभव हो सकेगा। ●

संदर्भ सूची

1. *Bank for International Settlements (BIS), (2026). Annual Economic Report 2026 - Navigating Monetary Divergence and Financial Innovation. Basel - BIS Publications*
2. *Bank for International Settlements (BIS) Innovation Hub, (2026). Project Agorá - Enhancing Cross-Border Payments through Tokenised Commercial Bank Deposits and Wholesale CBDCs (Progress Report). Basel - BIS*
3. *BIS Innovation Hub & Partner Central Banks, (2026). Project Nexus - Connecting Fast Payment Systems Across Borders (Operational Blueprint). Singapore - BIS Innovation Hub*
4. *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), (2026). Report on Banking Turmoil and Liquidity Risk Dynamics in the Digital Age. Basel - Bank for International Settlements*
5. *Financial Stability Board (FSB), (2026). Global Financial Stability Assessment - Risks from Leverage and Non-Bank Financial Intermediation (NBFI). Basel - FSB*
6. *International Monetary Fund (IMF), (2026). World Economic Outlook - Policy Divergence in a Fragmenting Global Economy (April & July 2026 Updates). Washington, D.C. - IMF*
7. *International Sustainability Standards Board (ISSB), (2026). IFRS S1 and IFRS S2 Implementation Guidance - Scope 3 / Financed Emissions Disclosures in the Banking Sector. London - IFRS Foundation*
8. *Network for Greening the Financial System (NGFS), (2026). Climate Scenarios for Central Banks and Supervisors (Phase V/VI). Paris - NGFS Secretariat*
9. *OECD, (2025/2026). Recommendation of the Council on Artificial Intelligence and Responsible AI Governance in Financial Supervision. Paris - OECD Publishing*
10. *World Bank Group, (2026). Remittance Prices Worldwide Database & Global Economic Prospects. Washington, D.C. - World Bank*
11. *World Gold Council (WGC), (2026). Gold Demand Trends and Central Bank Reserve Management (Q2 2026 Report). London - WGC*

प्रबंध संपादक
'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन'
भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
सी-9, आठवीं मंज़िल, बांद्रा कुर्ला संकुल
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

महोदया/महोदय,

मैं तीन वर्षों के लिए 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का ग्राहक बनना चाहता/चाहती हूँ। आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित ब्योरे के अनुसार मुझे नियमित रूप से पत्रिका भेजें।

सदस्यता क्रमांक (यदि पहले से सदस्य हैं) : _____

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : श्री/श्रीमती/सुश्री/कुमारी _____

पता (स्पष्ट अक्षरों में) : _____

_____

केंद्र _____ पिन कोड _____

मोबाइल नं. _____ टेलीफोन नं. (कार्यालय) _____ निवास _____

फैक्स नं. _____ एसटीडी कोड _____

ई मेल पता : _____

दिनांक : _____

भवदीय/या

(हस्ताक्षर)

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन / अप्रैल 2026 - सितंबर 2026
पंजीकरण संख्या - 47043/88